केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

39वां सत्र
नई दिल्ली

कार्य-सूची

NIEPA DC
D08896

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली
1983

353.8225
BHA-1

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-8896
Date ....20-10-95.

विषय सूची

विषय संख्या		पृष्ठ
1	5-6 जनवरी, 1983 को हुए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों पर विचार	1
2	नये 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16 का कार्यान्वयन :--	
	(क) प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति	6
	(ख) प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन	26
3	महिला शिक्षा	27
4	शिक्षा में मूल्य अनुस्थापन	38
5	राष्ट्रीय एकता और शिक्षा	40
6	माध्यमिक शिक्षा :--	
	(क) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण	43
	(ख) त्रिभाषा सूत्र	45
	(ग) के०म०शि० बोर्ड के छात्रों की समस्याऐं	54
7	शैक्षिक प्रौद्योगिकी और स्कूल शिक्षा के लिए जन-संचार माध्यमों की सुविधाओं का उपयोग	58
8	विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा की समस्याएं :--	
	(क) शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के सुझाव	64
	(ख) विश्वविद्यालय पद्धति को पुनःजीवित करने के लिए उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय (शिलांग) के कुलपति डा० बी०डी० शर्मा के सुझाव	65
9.	महिला शिक्षा [illegible] समिति का गठन	
10.	अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय	

विषय सं० 1—सभी राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों के सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार

1. नए 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 का कार्यान्वयन ।

प्रारंभिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण

(i) सम्मेलन ने 1982-83 के दौरान नए 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र-16 के कार्यान्वयन में प्राप्त प्रगति की गति पर संतोष व्यक्त किया । यह दाखिले की संख्या बढ़ाने के लिए इस वर्ष के दौरान चलाए गए विशेष अभियानों के फलस्वरूप हो हो सका । यह बड़े ही संतोष की बात है कि कुछ शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में इन प्रयासों से निरक्षर प्रौढ़ों के अतिरिक्त दाखिले के बहुत ही अच्छे परिणाम निकले हैं ।

(ii) तथापि यह मानना होगा कि अभी बहुत कुछ करना शेष है । क्योंकि निर्धारित तारीख 1990 का दृढ़ता से पालन किया जाना है इसलिए बाकी वर्षों में प्रगति की गति दुगनी से भी अधिक करनी होगी । इस संदर्भ में यह भी स्वीकार करना होगा कि इससे आगे शामिल किए जाने वाले लोग कठिन लक्षित वर्गों के होंगे जो विभिन्न कारणों से इस औपचारिक पद्धति की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं । अतः आत्म संतोष की कोई गुंजाइश नहीं है ।

(iii) सम्मेलन ने इस आवश्यकता को स्वीकार किया कि सर्वव्यापीकरण का अर्थ केवल दाखिला ही नहीं है बल्कि छात्रों को स्कूलों में बनाए रखना और पाठ्यक्रम को सफलता-पूर्वक पूरा कराना भी इसी में शामिल हैं । इस संदर्भ में देखने पर प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य और भी डांवाडोल हो सकते हैं ।

(iv) अतः ये चुनौतीपूर्वक लक्ष्य प्राप्त करने के लिये भारी प्रयास करने होंगे । इस प्रयोग से सम्बन्धित प्रशासनिक, आयोजनात्मक, शैक्षणिक और वित्तीय निहितार्थों को स्पष्ट रूप से करना होगा और उन पर उचित कार्यवाई करनी होगी यदि प्रगति को बाधाओं से मुक्त और निरन्तर बनाए रखना हैं ।

(v) इस तथ्य को देखते हुए कि दाखिल न हुए बच्चों का लगभग 70 प्रतिशत लड़कियां होती हैं और इनमें से अधिकांश कमजोर वर्गों से सम्बन्धित होती हैं । लड़कियों/महिलाओं की शिक्षा में तेज वृद्धि करने के लिये विशेष प्रयास करने होंगे । स्कूलों/अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में लड़कियों को दाखिल करने के लिये विशेष प्रोत्साहन देने होंगे और अध्यापिकाओं की नियुक्तियों को बढ़ाने के लिये स्टाफ पद्धति की नीतियों तथा प्रक्रियाओं में उपयुक्त परिवर्तन करने होंगे । इस संदर्भ में बड़े ग्रामों में कार्यरत महिलाओं के होस्टलों की स्थापना, विशेष केन्द्रीय सहायता से केवल लड़कियों के लिये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र और अध्यापिकाओं की भर्ती इत्यादि के लिये विशेष प्रयास करने होंगे ।

(vi) अपनाए गए लक्षित वर्ग उन्मुख दृष्टिकोण के अनुसार सम्मेलन ने आदिवासी क्षेत्रों में एक विशेष दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की है अर्थात् "प्रारम्भिक बाल्यवास्था शिक्षा के लिए सहायता प्रावधान और आवासीय प्राथमिक स्कूलों की स्थापना" ।

(vii) उचित भवनों और उपयुक्त भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था को प्रारंभिक स्कूलों के आकर्षण और दक्षता को बढ़ाने के लिये आवश्यक पूर्व-शर्तें स्वीकार किया गया । कुल मिलाकर साधनों की सीमाओं को देखते हुए सम्मेलन ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा०ग्रा०रो०का०), संस्थात्मक (बैंक जी०बि०नि०), व्यवस्था, चंदे शिक्षा उप कर लगाना, लोक सहायता पद्धतियां इत्यादि से इसे जोड़ कर धन व्यवस्था के स्रोतों के लिए एक समेकित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की । इस सम्बन्ध में पड़े बकाया भारी कार्य को विशेष रूप से नोट किया गया । यह महसूस किया गया कि योजनागत प्रावधानों से यह बकाया काम पूरा करना कभी भी संभव न हो सकेगा । क्योंकि ये सामान्य बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पूरी तरह पर्याप्त नहीं है । अतः यह निर्णय लिया गया कि इस समस्या को वित्त आयोग के सामने, इसका हल निकालने के लिये एक विशेष प्रावधान हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए ।

(viii) यह नोट किया गया कि हमारी विभिन्न धारणाओं और तकनीकों की जांच करने के लिये पिछले वर्षों में अनेक नई-नई परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं । इनमें से कुछ परियोजनाएं ऐसी जांच पड़ताल में खरी उतरी हैं और अब वे हमारी मौजूदा पद्धति में व्यापक रूप से अपनाने के लिये उपलब्ध हैं । यह महसूस किया गया कि ऐसे विकास से हमारी शिक्षा अधिक सार्थक और संगत बनेगी और इसी प्रकार हमारा दाखिला बढ़ेगा ।

(ix) अनौपचारिक शिक्षा पद्धति को एक ऐसी ही नवीन पद्धति पाया गया । पिछले तीन वर्षों में इस पद्धति ने अपनी उपयोगिता दिखाई है । जबकि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस प्रणाली में स्वीकार्य स्तरों को बनाए रखने के लिये उपयुक्त सुरक्षात्मक उपाय शुरू करने होंगे, तथापि लोक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए यह मानना होगा कि यह पद्धति वंचित बच्चे, विशेषकर

लड़कियों को जो औपचारिक पद्धति की सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर सकती हैं, जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम हैं । तथापि सम्मेलन ने इस बात के प्रति सचेत किया कि अनौपचारिक शिक्षा के अन्य व्यवहार्य प्रतिरूपों की खोज करने के लिये पर्याप्त अनुसंधान तथा विकासात्मक प्रयास करने की जरूरत है ।

(x) लड़कियों/महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान के संदर्भ में सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि इन लक्षित वर्गों के लाभ के लिये विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं और यह सिफारिश की कि ऐसे कार्यक्रमों (समेकित बाल विकास योजना, प्रयुक्त पोषण, बच्चों के लिये स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं) के बीच अन्तर क्षेत्रीय सम्बन्ध होना चाहिए ताकि उपलब्ध सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। सम्मेलन ने विशेषकर यह सिफारिश की कि स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल पर उत्तरोत्तर ध्यान दिया जाना चाहिए और स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत और अधिक स्कूलों को शामिल किया जाना चाहिए । इस संदर्भ में यह स्वीकार किया गया कि स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ पेय जल जैसी सेवाओं के अतिरिक्त निवेश, विशेषकर उन स्कूलों के लिए संगत होंगे जहां मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चल रहे हैं।

(xi) सम्मेलन ने 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16 के कार्यान्वयन के लिये अपर्याप्त बजट व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में कुछ राज्यों की टिप्पणियों को नोट किया। यह बताया गया कि समस्या के आयाम को देखते हुए आबंटनों में ठोस वृद्धि करने की आवश्यकता है। तदनुसार सम्मेलन ने सिफारिश की कि परिसीमित साधनों के बावजूद भी इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया कि वे 1990 के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई के वर्ष वार नक्शे (ब्लू प्रिंट) तैयार करें और उनमें लक्ष्य भी वर्ष वार स्पष्ट करें। इस संदर्भ में अपेक्षित वित्तीय प्रावधानों को सुस्पष्ट रूप से तैयार करना होगा ताकि कुल जरूरत केन्द्रीय योजना में भी प्रतिबिम्बित हो सके। ऐसी सहायता शिक्षा के आधार को मजबूत बनाने के लिये जिस पर प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया है, बहुत ही जरूरी है ।

(xii) बुनियाद को मजबूत बनाने के लिये राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विभिन्न मात्रात्मक और गुणात्मक कदम उठाने होंगे। इनमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय है :--

(क) स्कूल सुविधाओं को सर्वसुलभ करना और लगभग 40500 बस्तियों को जिन्हें एक किलोमीटर की दूरी पर कोई प्राथमिक स्कूल उपलब्ध नहीं है तरजीह देते हुए लाभ पहुंचाना।

(ख) सभी एकल अध्यापक स्कूलों को द्विअध्यापक स्कूलों में परिवर्तित करना।

(ग) अतिरिक्त दाखिले से निबटने के लिये अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति।

(घ) पर्याप्त प्रशासनिक कर्मचारियों की व्यवस्था ॥

(xiii) इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि 1982-83 के दौरान शुरू किए गए विशेष अभियानों की रचनात्मक प्रतिक्रिया रही है। सम्मेलन ने सिफारिश की कि आगामी वर्षों में भी ऐसे अभियान चलाए जाने चाहिए। ऐसे अभियानों में रुचि बनाए रखने और सभी सम्बन्धितों को अपना उत्साह बनाए रखने की प्रेरणा देने के लिये यह आवश्यक समझा गया कि अच्छे निष्पादन के लिये पुरस्कार/प्रोत्साहन दिए जाएं।

प्रौढ़ शिक्षा

(i) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति को नोट करते हुए सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किया गया कि और अधिक व्यापक प्रयास करने होंगे यदि निर्धारित दस वर्षों की अवधि में लक्ष्यों को प्राप्त करना है। उत्तर-साक्षरता और अनुवर्ती कार्यकलापों की ओर अधिक ध्यान देने की आवयश्कता को भी स्वीकार किया गया। उपयुक्त साहित्य के निर्माण के जरिये ऐसे कार्यकलापों को पर्याप्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध करने की जरूरत पर जोर दिया गया। यह सब कुछ करने के लिये सरकारी कार्यकलापों को बढ़ाने के अतिरिक्त इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में छात्रों, युवकों और पंचायती राज संस्थाओं सहित स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने के लिये भी जोर देना होगा। इस कार्यक्रम के संदर्भ में भी अन्तर क्षेत्रीय सम्पर्क में सुधार करने पर जोर दिया गया।

(ii) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अन्य विकास विभागों, विशेषकर समाज कल्याण मंत्रालय की रचनात्मक सहभागिता को इसकी सफलता के लिये आवश्यक समझा गया।

(iii) सम्मेलन ने कुछ राज्यों में राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (रा०प्रौ०शि०का०) के अन्तर्गत अपर्याप्त पर्यवेक्षण तंत्र और अनुदेशकों को दिए जा रहे कम पारिश्रमिक को इस कार्य में एक कमी बताया और इसके लिये सुधारात्मक उपाय करने के लिये कहा।

संचालन और मूल्यांकन

(i) सम्मेलन ने यह विचार व्यक्त किया कि-- प्रारम्भिक शिक्षा सर्वव्यापीकरण और प्रौढ़ शिक्षा--दोनों के संचालन और मूल्यांकन के लिये व्यवस्था अपर्याप्त और असंतोषजनक है। तदनुसार इस प्रयोजन के लिये खण्ड, जिला और राज्य स्तरों पर उपयुक्त तंत्र स्थापित करने की जरूरत पर बल दिया गया। इन तंत्रों को नियमित और समय पर सूचना उपलब्ध करनी चाहिये और निरन्तर आधार पर उपयुक्त सुधारात्मक/यथोचित उपाय शुरू करने चाहिये।

(ii) इस सम्बन्ध में सम्मेलन ने सिफारिश की कि नए 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16 के कार्यान्वयन पर नजर रखने और इसमें राष्ट्रीय प्रयोजन और महत्व की आवश्यक भावना भरने के लिये प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उप समिति होनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था से सभी सम्बन्धित विभागों विशेषकर स्वास्थ्य, कल्याण और शिक्षा से सम्बन्धित विभागों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलेगा। इन तीनों को विशेष उल्लेख के लिये चुना गया क्योंकि इस विभाग में कार्यक्रमों के माध्यम से समन्वय के लिये बहुत गुंजाइश उपलब्ध है फिर उनके कार्यक्रम कई प्रकार से एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं।

2. प्रारम्भिक शिक्षा (औपचारिक और अनौपचारिक दोनों) और प्रौढ़ शिक्षा को ग्रामीण विकास, सामाजिक वनविद्या, दस्तकारी और हथकरघा के साथ जोड़ना।

सम्मेलन ने इस तथ्य को नोट किया कि शैक्षणिक विकास, बच्चे के जीवन को निर्धारित करने वाले अन्य पहलुओं पर ध्यान दिए बिना बिल्कुल अलग से नहीं किया जा सकता। यह पहलू है पोषण की उसकी प्रथम शारीरिक आवश्यकता, प्रतिरक्षण और माता द्वारा उसकी देखभाल और इसके अतिरिक्त वह आहार जो उसे प्राकृतिक वातावरण अर्थात् पेड़-पौधों, जीव-जन्तुओं, कृषि, पशुजीवन और समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन-पद्धति जिसमें विभिन्न पारम्परिक दक्षताएं, त्यौहार, इत्यादि शामिल हैं से प्राप्त होते हैं। शिक्षा नीति अन्य विकास क्षेत्रों के साथ मिलकर तैयार की जानी चाहिए। ये विकास क्षेत्र हैं--बाल और परिवार कल्याण, पर्यावरण, सामाजिक वनविद्या, कृषि, दस्तकारी, लघु उद्योग आदि जिनमें बच्चे की जरूरतों पर ध्यान संकेन्द्रित रहता है। अतः राज्यों के शिक्षा विभागों के लिये यह जरूरी है कि वे उनसे सम्पर्क बनाए रखे और संरचनात्मक दृष्टि से अपने कार्यक्रमों को अन्य एजेंसियों और कार्यक्रमों अर्थात् आई०सी०डी०एस०,आर०आई०डी०पी० इत्यादि के साथ जोड़ें।

सम्मेलन में इस बात पर बहुत चिन्ता व्यक्त की गई कि स्कूल पद्धति और समाज के रचनात्मक और उत्पादक कार्यकलापों में विशेषकर ग्रामीण स्तर पर परस्पर असम्बद्धता है। सम्मेलन ने शिक्षा पद्धति की सहायता के लिए समाज में उपलब्ध समृद्ध जन शक्ति साधनों और विकसित एवं विविध दक्षताओं के प्रयोग पर बल दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की गई कि शैक्षणिक संस्थाओं को स्थानीय कारीगरों, कलाकारों, जुलाहों, कुम्हारों, सुनारों तथा अन्यों की, बच्चों के प्रशिक्षण के लिये सहायता लेनी चाहिए। ऐसे दक्षता प्राप्त कारीगरों के लिये शिक्षित होना जरूरी नहीं होना चाहिए। अध्यापकों को विशेषकर एकल अध्यापक स्कूलों को चाहिए कि वे एक ऐसी पाठ्यचर्या तैयार करें जो स्थानीय अथवा क्षेत्रीय कलाओं या शिल्पकारी और प्रौद्योगिकी पर आधारित हो।

सम्मेलन का यह विचार था कि ऐसे समेकित दृष्टिकोण से समाज में संशक्तिशीलता को बढ़ाने में सहायता मिलेगी और शिक्षित लोग समाज से अलग नहीं रहेंगे। इसका एक अतिरिक्त लाभ यह भी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक वनविद्या कार्यक्रम इत्यादि जैसे विकासात्मक क्षेत्रों से प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा के लिये अतिरिक्त साधन उपलब्ध हो सकेंगे।

3. जनसंख्या शिक्षा का प्रसार

सम्मेलन ने वर्तमान अध्ययन पाठ्यक्रमों में जनसंख्या शिक्षा को दिलाने की नीति को स्वीकार किया।

विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में जनसंख्या शिक्षा परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए सम्मेलन ने इस बात पर बल दिया कि स्कूलों में प्रगति की गति बढ़ाने तथा कालेजों और विश्वविद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा लागू करने के लिए जोरदार कार्रवाई करनी होगी। स्कूल से बाहर के बच्चों तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा तत्काल लागू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

विचार यह था कि सम्मेलन द्वारा इस संबंध में व्यक्त की गई चिन्ता से कक्षा कक्ष में उपयोग हेतु शिक्षण/अध्ययन सामग्री के निर्माण तथा इस प्रयोजन हेतु शिक्षकों/अनुदेशकों के तत्काल प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जानी चाहिए।

4. छात्रों को मूल्यों से परिचित कराना

आजकल हो रहे मूल्यह्रास तथा हाल ही के वर्षों में उभरी विघटन की प्रवृत्तियों के संदर्भ में सम्मेलन ने सभी स्तरों पर शिक्षा को मूल्योन्मुख बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

शिक्षा और कार्य तथा शिक्षा और संस्कृति को मिलाने के विषय में अपनी पहली सिफारिश को दोहराते हुए सम्मेलन ने यह मत व्यक्त किया कि इस प्रश्न पर शिक्षा को मूल्योन्मुख बनाने के व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए।

इस पर भी बल दिया गया कि स्कूल से बाहर के बच्चों की मूल्योन्मुख शिक्षा के लिए भी बराबर ध्यान दिया जाना चाहिए।

जैसा कि जनसंख्या शिक्षा के विषय में बल दिया गया है, मूल्योन्मुख शिक्षा के सम्बन्ध में उसी तरह बल देकर कहा गया कि इस प्रयोजन के लिए कक्षा कक्ष के उपयोग के लिए शिक्षण/अध्ययन सामग्री के निर्माण तथा शिक्षकों/अनुदेशकों का प्रशिक्षण शीघ्र हो जाना चाहिए।

5. राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा

सम्मेलन ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि, 1983-84 तक इस कार्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद् के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा की प्रगति सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में समान रूप से संतोषजनक नहीं है। संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया कि वे समीक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था करें जिससे वे शैक्षिक सत्र 1983-84 शुरू होने से पहले ही अपनी पाठ्यपुस्तकों को संशोधित कर सकें।

6. व्यावसायीकरण पर विशेष बल सहित स्कूल शिक्षा की 10+ 2 पद्धति

(क) कार्यान्वयन की प्रगति,

(ख) शिक्षा का व्यावसायीकरण

(ग) के० मा० शि० बो० के छात्रों की प्रवेश समस्याएं।

(क) यह नोट करते हुए कि कुछेक राज्यों ने अभी तक +2 पद्धति को शुरू नहीं किया है, सम्मेलन में उन से अनुरोध किया गया कि वे 1984-85 के शैक्षिक सत्र से पहले ही इस परिवर्तन को कर लें। इस संदर्भ में यह भी स्वीकार किया गया कि केवल संरचनात्मक परिवर्तनों को लागू करना ही पर्याप्त नहीं होगा। इस परिवर्तन के लिए पाठ्यचर्या में भी उपयुक्त परिवर्तन करने होंगे।

(ख) सम्मेलन ने यह बात दोहराना आवश्यक समझा कि +2 स्तर का व्यावसायीकरण 10+2 शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। यह भी नोट किया गया कि कुछेक राज्य ही इस कार्यक्रम को गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित कर रहे हैं। अन्य सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से माध्यमिक स्कूल शिक्षा को अधिक रोजगारोन्मुख बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

इस बात के लिए भी सहमति व्यक्त की गई कि एन० सी० यू० टी० से इन पाठ्यक्रमों के प्रमाणन तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम पास करने वालों पर प्रशिक्षणुता योजना के लागू करने के संबंध में तत्काल श्रम मंत्रालय से लिखा-पढ़ी की जाए।

राज्य-वार आधार पर विभिन्न राज्यों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में तमिलनाडु सरकार के अनुभव राज्यों को उपलब्ध कराने की वांछनीयता को सम्मेलन ने स्वीकार किया। अतः यह निर्णय किया गया कि रा० शै० अनु० प्र० प० तमिलनाडु सरकार के सहयोग से, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्य सरकार के अनुभवों का निर्धारण करने के लिए एक मूल्यांकन अध्ययन आरम्भ करेगा। जिससे अन्य राज्य सरकारों को अपने-अपने व्यवसायीकरण संबंधी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सहायता मिल सकेगी।

(ग) के० मा० शि० बो० पद्धति से पास होने वाले छात्रों के अनुभव को देखते हुए सम्मेलन ने विभिन्न राज्यों में विभिन्न परीक्षाओं के स्तरों के बीच असमानता से उत्पन्न, समस्याओं की गंभीरता को स्वीकार किया। संपूर्ण राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि विभिन्न स्तरों में समानता के लिए व्यवस्था करना जरूरी है इस संबंध में सम्मेलन ने इस सिफारिश को नोट किया कि सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए सामान्यतः एक राष्ट्रीय जांच सेवा गठित की जानी चाहिए।

7. नए विश्वविद्यालयों के खोलने पर प्रतिबंध और विश्वविद्यालय शिक्षा की अन्य समस्याएं

(*i*) सम्मेलन ने इस बात पर जोर दिया कि समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं के विस्तृत सर्वेक्षणों के बाद तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व परामर्श से बाद ही नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिएं। यह भी निर्णय किया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार ही नए कालेज खोले जाने चाहिएं। सम्मेलन ने छात्रों की बढ़ती शैक्षिक प्रत्याशाओं की पूरा करने के लिए नई औपचारिक संस्थाएं खोले बिना पत्राचार पाठ्यक्रम सायंकालीन कक्षाओं आदि जैसी गैर संस्थात्मक प्रक्रियाओं के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।

(*ii*) सम्मेलन ने विशेषकर उन पाठ्यचर्या सुधारों को जो स्कूल स्तर पर हो चुके हैं तथा शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना की आवश्यकता को दोहराया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई मार्गदर्शन रूपरेखाओं के अनुसार, तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना हेतु पुनः बल दिया गया। सम्मेलन का विचार था कि विश्वविद्यालयों में पाठ्यचर्या विकास सैलों तथा आयोजना यूनिटों की स्थापना से पाठ्यचर्या नवीकरण पर उपयुक्त ध्यान देने में सहायता मिल सकती है।

(*iii*) छात्रों की उपलब्धियों के मूल्यांकन को अधिक तथ्यपरक और सार्थक बनाने के लिए विद्यमान परीक्षा प्रणाली में सुधारों को भी आवश्यक समझा गया।

(*iv*) सम्मेलन ने स्तरों को बनाए रखने तथा शिक्षा कोटि में सुधार हेतु विकास अनुदानों के उपयोग को बेहतर बनाने के लिए कालेज तथा विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण अनुदान बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया।

8. राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने शैक्षिक विकास हेतु रा० शै० अ० प्र० प० की सुविधाओं तथा सेवाओं के उपयोग के लिए रा० शै० अ० प्र० प० के सुझाव

9. शैक्षिक प्रशासन को कारगर बनाने के लिए, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान के सुझाव

(i) सम्मेलन ने नोट किया कि दृष्टिकोण विकसित करने हेतु विशेषकर शिक्षा कार्मिक में सुधार हेतु दृष्टिकोणों के विकास के लिए रा० शै० अ० प्र० प० तथा रा० शै० आ० एवं प्र० सं० द्वारा पर्याप्त कार्य किया जा रहा है। कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु इन संगठनों में उपलब्ध सुविधा को भी सम्मेलन ने नोट किया और कहा कि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा उनका और अधिक उपयोग किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) सम्मेलन ने कार्यक्रम तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अनुसंधान विकास तथा विस्तार सहायता देने के लिए रा० शै० अ० प्र० प० तथा रा० शै० अ० प्र० से विशेष आग्रह किया। इस संदर्भ में, यह आवश्यक समझा गया कि इन संगठनों को राज्य शिक्षा विभागों और राज्य स्तर की संस्थाओं के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने चाहिए।

(iii) इस संदर्भ में यह मानना ही होगा कि राष्ट्र स्तरीय संगठन केवल उत्प्रेरक का काम करते हुए नेतृत्व ही प्रदान कर सकते हैं। वैसी ही सेवाएं बनाने तथा नई नीतियों तथा दृष्टिकोणों को पूर्ण रूप से अपनाने का काम राज्य स्तर पर शुरू करना होगा और इस के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इसी प्रकार की संस्थाएं स्थापित/सुदृढ़ करनी चाहिए (अर्थात् रा० शि० सं०/रा० शै० अ० ए० प्र० परि)।

10. 1982-83 के लिए राज्यों के वार्षिक योजना कार्यक्रमों की समीक्षा तथा 1983-84 के लिए प्रावधान

सम्मेलन ने प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के सर्व-सुलभीकरण के कार्यक्रमों के लिए संसाधनों की कमी के अन्दर पर्याप्त आबंटन की आवश्यकता को स्वीकार किया तथा छठी योजना के लिए सिफारिश किए गए परिव्ययों के सम्पूर्ण प्रयोग पर बल दिया यह भी स्वीकार किया गया कि शिक्षा क्षेत्र के लिए संसाधनों के अन्तिम आवंटन में अंतर्क्षेत्रीय प्राथमिकताएं वही दी जाएंगी जैसा कि शिक्षा संबंधी कार्यकारी दल की सिफारिशों में दी गई हैं।

11. राज्य सरकारों आदि द्वारा सुझाए गए अन्य विषय

सम्मेलन ने रियायती कागज न दिए जाने के कारण राज्य सरकारों के सामने आ रही समस्याओं पर गहरी चिन्ता व्यक्त की। इस बात को देखते हुए कि मिलें सफेद किस्म का मुद्रण कागज नहीं दे रहे हैं बल्कि केवल अन्य किस्मों के कागज दे रही हैं जिनके लिए 24 नवम्बर, 1982 की उत्पाद शुल्क अधिसूचना लागू नहीं होती हैं।

इस बात पर बल दिया गया कि शैक्षिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त सभी किस्मों के कागज पर रियायती उत्पाद शुल्क लगाने के मामले की पुनः जांच की जानी चाहिए। उन कापियों के लिए पुराने मूल्य बनाए रखने के कारण जिनके लिए ऊंची दर का कागज प्रयोग किया जाता है, राज्य एजेंसियों पर पड़ रहे वित्तीय भार के संदर्भ में इस बात पर बल दिया गया कि राज्य सरकारों को कापियों का मूल्य संशोधित करने की अनुमति दे दी जाए।

विषय सं० 2—नए 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16 का कार्यान्वयन

(क) प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति

स्कूल कक्षा पद्धति

भारत ने 12 वर्षीय स्कूल शिक्षा पद्धति अपनाई थी। यह 10 + 2 पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है—इस वर्ष माध्यमिक स्तर पर और दो वर्ष सीनियर माध्यमिक स्तर पर। कक्षा 11 और 12 सीनियर माध्यमिक स्तर की होती हैं जिस स्तर पर छात्र विज्ञान/वाणिज्य/मानवविद्याओं को चुन सकते हैं। जमा दो स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी प्रदान किए जाते हैं।

दस वर्षीय स्कूल जिससे कि माध्यमिक स्तर बनता है, सभी के लिए एक सामान्य पाठ्यचर्या निर्धारित करते हैं। तात्पर्य यह है कि विज्ञान और गणित सहित सभी विषयों का निर्धारण अनिवार्य रूप से सभी के लिए बहुमुखी विकास और एक संतुलित विकास के लिए किया जाए। दस वर्षीय स्कूल पद्धति को निम्नलिखित तीन भागों में प्रस्तुत किया गया है :—

प्राथमिक :—1 से 5 कक्षाएं (6 से 11 आयु वर्ग)

मिडिल :—6 से 8 कक्षाएं (11 से 14 आयु वर्ग)

माध्यमिक :—9 और 10 कक्षाएं (14 से 16 आयु वर्ग)।

'प्राथमिक' और 'मिडिल' दोनों से 'प्रारंभिक' स्तर बनता है।

अतः सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम का अभिप्राय प्रारम्भिक स्तर से है (6 से 14 आयु वर्ग)।

प्रारम्भिक कक्षा पद्धति में भिन्नता

2. सोलह राज्य और पांच संघ शासित क्षेत्र राष्ट्रीय प्रारंभिक कक्षा पद्धति (5 + 3) का अनुपालन करते हैं। ये राज्य/सं०शा०क्षेत्र राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार नामांकन के अपने-अपने आंकड़ों की रिपोर्ट देते हैं।

पांच राज्यों और चार सं० शा० क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर पर 7 कक्षाएं (4 + 3) होती है। इनमें से एक राज्य और एक सं०शा० क्षेत्र में एक संयुक्त प्रारंभिक स्तर है (कक्षा 1—7)। ये हैं : गुजरात और दादरा तथा नागर हवेली। तथापि नामांकन के आंकड़ों की रिपोर्ट राष्ट्रीय पद्धति (5 + 3) के अनुसार 3 राज्यों और तीन सं०शा० क्षेत्रों में की जाती है। बाकी राज्य अर्थात् आन्ध्र प्रदेश कर्नाटक और गोआ दमन व दीव प्रारंभिक कक्षाओं की केवल अपनी पद्धति के अनुसार नामांकन आंकड़ों की रिपोर्ट देते हैं।

असम में प्रारम्भिक स्तर 4 + 2 कक्षाओं का हैं। तथापि, वे राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार ही अपने नामांकन आंकड़ों की रिपोर्ट भेजते हैं।

प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने संबंधी कार्यक्रम के हित में यह आवश्यक है कि सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राष्ट्रीय पद्धति से अपनी प्रारंभिक प्रणाली भिन्न होने के बावजूद प्रारंभिक कक्षाओं की अपनी नामांकन प्रगति रिपोर्ट राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार भेजनी चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भिन्न प्रारंभिक प्रणाली वाले राज्य भी यदि राष्ट्रीय पद्धति का ही अनुसरण करें तो यह अच्छा रहेगा किन्तु इसके लिए खर्च का भार बढ़ सकता है। सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए इस सुधार को अभी स्थगित किया जा सकता है।

प्रवेश की आयु

3. अनुच्छेद 45 में दिए गए संवैधानिक निर्देशों के परिणामस्वरूप और साथ ही राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पद्धति के अनुसार कक्षा 1 में बच्चे की प्रवेश आयु केवल 6 + आयु तक ही सीमित होनी चाहिए। अन्यथा कम आयु (और साथ ही अधिक आयु) के बच्चों के एक भारी अनुपात के कारण दाखिले का काम कठिन हो जाएगा। इसके फलस्वरूप प्राथमिक और मिडिल स्तरों पर आयु वर्ग में दाखिले का अनुपात काफी बढ़ जाता है। दस राज्यों और दो सं०शा० क्षेत्रों में प्रवेश आयु 6 वर्ष है। दूसरे 12 राज्यों और छः सं०शा० क्षेत्रों में दाखिले की आयु 5 + है। एक सं०शा० क्षेत्र (गो०द०दी०) में दाखिले की आयु 4 वर्ष और 7 मास हैं। सभी राज्यों/संघ शा० क्षेत्रों में दाखिले की आयु एक समान रखने का समर्थन किया गया है। किन्तु अभी भी भिन्नता है। यह आवश्यक है कि इस बात में एकरूपता बनाए रखने के लिए उन राज्यों/संघ शा० क्षेत्रों द्वारा जिनके यहां दाखिला आयु छः वर्ष से कम हैं चरणबद्ध तरीके में सक्रिय उपाय किए जाने चाहिएं।

पृष्ठभूमि और परिप्रेक्ष्य

4. प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ करना उभरते हुए राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम का एक महान लक्ष्य था। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने यह परिकल्पना की थी कि सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम शिक्षा 8 वर्षीय स्कूली शिक्षा होनी चाहिए।

संवैधानिक निर्देश

5. इस तरह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित सिद्धांत सम्मिलित हैं :

"राज्य इस संविधान के आरम्भ होने से 10 वर्षों की अवधि में 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के लिए

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए व्यवस्था करने का प्रयास करेगा"

यह लक्ष्य 1960 तक प्राप्त किया जाना था। इस लक्ष्य की तारीख को सर्वप्रथम संशोधित करके 1970 किया गया फिर 1976 और बाद में 1988 कर दिया गया था। वर्तमान लक्ष्य 1990 तक का है। छठी पंचवर्षीय योजना के नीति प्रारूप में तदनुसार ही वर्तमान लक्ष्य की तारीख का निम्नलिखित शब्दों में उल्लेख किया है :

शैक्षिक विकास का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होगा :

"अगले 10 वर्षों के अन्दर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए आवश्यक न्यूनतम शिक्षा सुनिश्चित करना"

6. विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करके आधुनिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विश्व के साथ-साथ भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति की दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। किन्तु अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं। विशेष रूप से इनका संबंध लाखों लोगों से है। इस स्थिति को सुधारने और बुनियादी कठिनाइयों के समाधान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को गतिशील बनाने के उद्देश्य से भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 जनवरी 1982 को सरकार के एक नए 20-सूत्री कार्यक्रम की राष्ट्र के लिए घोषणा की। इस कार्यक्रम का सूत्र 16 इस प्रकार हैं :

"लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल देते हुए 6—14 आयु वर्ग के लिए सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा का प्रसार और साथ ही साथ प्रौढ़ निरक्षरता को दूर करने के लिए कार्यक्रमों में छात्रों और स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल किया जाए"।

7. अनुच्छेद 45 में चार बातें दी गई हैं :

(i) प्रारंभिक स्तर (कक्षा 1—8) पर निशुल्क स्कूल शिक्षा की व्यवस्था

(ii) कानूनों के माध्यम से अनिवार्य स्कूल शिक्षा प्रारंभ करना

(iii) 6—14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का नामांकन करना

(iv) प्रारंभिक स्तर (कक्षा 1—8) के अंत तक सभी बच्चों को शिक्षा देना।

निःशुल्क शिक्षा

उत्तर प्रदेश को छोड़कर जहां 6—8 कक्षाओं में बाल शिक्षा को अभी निःशुल्क किया जाना है, फिलहाल देश के सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सभी राजकीय, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 1—8 कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है।

अनिवार्य शिक्षा

8. 16 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए कानून विद्यमान है, अर्थात :—

आंध्र प्रदेश	महाराष्ट्र
असम	उड़ीसा
गुजरात	पंजाब
हरियाणा	राजस्थान
हिमाचल प्रदेश	तमिलनाडु
जम्मू और काश्मीर	उत्तर प्रदेश
कर्नाटक	पश्चिम बंगाल
केरल	अ० तथा नि० द्वीपसमूह
मध्य प्रदेश	चंडीगढ़
	दिल्ली

तथापि, इन कानूनों की दण्डात्मक व्यवस्थाओं पर बहुत कम अमल किया गया है क्योंकि इसमें कुछ सामाजिक आर्थिक पहलू निहित हैं ऐसा होने के कारण अनिवार्य शिक्षा के लिए विधान बनाने मात्र से देश में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने में सफलता नहीं मिल सकती।

शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना

9. विगत में योजनाबद्ध विकास के माध्यम से नामांकन में काफी प्रगति हुई है, किन्तु शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का संवैधानिक लक्ष्य आज भी वास्तविकता से दूर है। एक ओर जनसंख्या में वृद्धि और दूसरी ओर बीच में स्कूल छोड़ने की समस्या और स्थिरता ने नामांकन में भारी वृद्धि को व्यर्थ कर दिया है। अतः छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक तो नामांकन में वृद्धि करके और दूसरे स्कूल में छात्रों के बनाए रखने की स्थिति में सुधार करके इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया जाना है। कार्यकुशलता के प्रयोजनों की दृष्टि संचालन से 1980-85 के दौरान प्राथमिक स्कूलों पर और 1985—90 के दौरान मिडिल स्कूलों पर ध्यान केन्द्रित करने का विचार है।

10. छठी पंचवर्षीय योजना (1980—85) के अनुसार नए 20-सूत्री कार्यक्रम को लागू करके 6—14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा को 1989—90 तक यथार्थ रूप देने का लक्ष्य है जो कि अगली पंचवर्षीय योजना अवधि का अंतिम वर्ष होगा। लक्ष्यों को पूर्ववर्ती पैराग्राफ में दर्शाए गए दृष्टिकोण के अनुसार निर्धारित किया गया है, अर्थात 1984—85 तक प्राथमिक स्कूलों में 95% नामांकन और 1989—90 तक दोनों में 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है।

योजनाबद्ध विकास के वर्षों के माध्यम से प्रगति

11. यद्यपि अभी यथार्थ लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है तथापि अब तक हुई प्रगति किसी भी मामले में कम महत्वपूर्ण और प्रभावहीन नहीं है। संख्या की दृष्टि में यह काफी संतोषजनक रही है। जनसंख्या में साथ-साथ वृद्धि होना एक ऐसा कारण रहा है जिसके कारण प्रतिशतता कम रही है और उपलब्धि का प्रभाव भी कम रहा है।

12. उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं के आधार वर्षों के दौरान प्रारंभिक स्तर पर (जिसमें 6--11 आयु वर्ग के लिए प्रारंभिक कक्षाओं का 1--5 और 11--14 आयु वर्ग के लिए मिडिल कक्षाओं का 6.8 नामांकन शामिल है) नामांकन दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-1 में संलग्न है। इस विवरण से निम्नलिखित स्थिति का पता चलता है :--

(i) 1--8 कक्षाओं में 2 करोड़ 22 लाख 80 हजार (32.4%) के कुल नामांकन से आरंभ करके 1979-80 में कुल नामांकन बढ़कर 9 करोड़ 4 लाख 20 हजार (67.2%) हो गया है।

(ii) उत्तरोत्तर योजना अवधियों के दौरान प्राथमिक और मिडिल दोनों स्तरों पर लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की नामांकन संख्या काफी कम रही है। यह अंतर 1984-85 तक भी बने रहने की संभावना है किन्तु आशा है कि यह अंतर काफी कम हो जाएगा।

(iii) अब तक सर्वाधिक बल प्राथमिक स्तर पर दिया गया है। (जैसा पहले बताया गया है यह बल वर्तमान योजना अवधि के अंत तक जारी रहेगा जबकि यह आशा की जाती है कि प्राथमिक स्तर पर नामांकन 95% हो जाएगा)।

13. दो स्तरों पर 1979-80 के दौरान राज्यवार नामांकन स्थिति दर्शाने वाला एक अन्य विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है। यह विवरण निम्नलिखित स्थिति दर्शाता है :---

(i) 15 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों ने प्राथमिक स्तर पर 80% नामांकन प्राप्त कर लिया है। ऐसे तीन राज्य हैं जिनका प्राथमिक स्तर पर नामांकन 70% से कम है।

(ii) मिडिल स्तर पर, ऐसे 9 राज्य हैं जिनका नामांकन अनुपात 40% से अधिक परन्तु 50% से कम है।

(iii) मिडिल स्तर पर और ऐसे 5 राज्य तथा 7 संघ शासित क्षेत्र हैं जिनका नामांकन अनुपात पहले से ही 50% से अधिक पहुंच गया है।

(iv) तथापि, मिडिल स्तर पर, शेष 8 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में नामांकन अनुपात 40% से कम है।

14. स्कूली शिक्षा की प्रगति के महत्वपूर्ण संकेत निम्नलिखित हैं : (क) स्कूलों की संख्या, (ख) अध्यापकों की संख्या, (ग) नामांकन और (घ) खर्च। इनमें से प्रत्येक की स्थिति अगले पैराग्राफों में दी गई है।

15. वर्ष 1950-51 में, प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों की कुल संख्या 223, 267 (290, 671 प्राथमिक और 13,596 मिडिल) थी। 1979-80 के दौरान संख्या 592,969 (प्राथमिक : 478,249 तथा मिडिल : 114,720) तक अर्थात् 2.6 गुणा बढ़ गई। प्राथमिक स्कूल 2.3 गुणा बढ़ गए जबकि इसी अवधि के दौरान, मिडिल स्कूलों में 8.4 गुणा वृद्धि हो गई।

16. वर्ष 1950-51, में 537,918 प्राथमिक विद्यालय शिक्षक (453,637 पुरुष तथा 82,281 महिला) थे। इसी प्रकार, मिडिल स्कूल शिक्षकों की संख्या 85,496 (72,609 पुरुष तथा 12,887 महिला) थी। वर्ष 1979-80 में प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल अध्यापकों की अनुरूप संख्या निम्नलिखित थी :

प्राथमिक : 1,311,931 (990,684 पुरुष तथा 321,283 महिला)

मिडिल : 855,292 (585,086 पुरुष तथा 250,206 महिला)

इस प्रकार, प्राथमिक अध्यापकों की संख्या 2.4 गुणा बढ़ गई (पुरुष 2.2 गुणा तथा महिला 3.9 गुणा)। मिडिल स्कूल अध्यापकों की संख्या में 9.8 गुणा (पुरुष 8 गुणा तथा महिला 19.4 गुणा) हो गई।

17. कक्षा 1--8 में 2 करोड़ 3 लाख बच्चों के कुल नामांकन से शुरू करके (प्राथमिक 1 करोड़ 92 लाख तथा मिडिल 31 लाख)। अतः कुल नामांकन में वृद्धि 4.4 गुणा हुई है।

18. वर्ष 1950-51 में प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों पर कुल खर्च 44.2 लाख रु० था। वर्ष 1981-82 में यह आंकड़े 1498.4 लाख रु० थे अर्थात् 34 गुणा वृद्धि हुई।

मूल उपायों की वर्तमान स्थिति

19. प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण में तीन मूल तत्व अर्थात् स्कूली सुविधाओं की सर्वव्यापी व्यवस्था सर्वव्यापी नामांकन तथा सर्वव्यापी अवरोधन शामिल हैं। अधिकांश देश "सफलतापूर्वक समापन" को भी सर्वव्यापीकरण के एक अनिवार्य भाग के रूप में शामिल करते हैं। हमने यह अभी तक नहीं किया है। वास्तव में हमने अभी तक "सर्वव्यापीकरण" को संचालन के दृष्टिकोण से अवरोधन के रूप में स्वीकार नहीं किया है।

20. इस समय औपचारिक पद्धति के अन्तर्गत प्राथमिक तथा मिडिल स्कूली सुविधाओं की व्यवस्था के मापदण्ड निम्नलिखित हैं :

(1) बच्चों के घरों से 1 किलोमीटर के आराम से पैदल चलने के फासले के अन्तर्गत एक प्राथमिक स्कूल; और

(2) बच्चों के घरों से 3 किलोमीटर की दूरी के अन्दर एक मिडिल स्कूल।

स्कूली सुविधाओं की व्यवस्था में पर्याप्त प्रगति हुई है। चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (1978-79) के अनुसार मिडिल, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 93,467 प्राथमिक अनुभागों सहित 567,103 प्राथमिक स्कूल/अनुभाग थे, मिडिल स्कूलों/अनुभागों की संख्या 147.250 थी जिनमें माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 34,846 मिडिल अनुभाग शामिल थे।

21. देश में 964,664 निवास स्थान थे जिनकी जनसंख्या अलग-अलग 110 से 5000 से कम तथा अधिक थी। चौथे शैक्षिक सर्वेक्षण (1978-79) के अनुसार, प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों की व्यवस्था निम्नलिखित रही है :—

(1) 773,997 निवास स्थानों (जनसंख्या का 92.82%) के 1 किलोमीटर की दूरी में प्राथमिक स्कूल/अनुभाग उपलब्ध हैं।

(2) अन्य 124,679 निवास स्थानों में 1.1 से 2.0 किलोमीटर की दूरी में भी प्राथमिक स्कूल/अनुभाग उपलब्ध हैं।

(3) शेष 65,988 निवास स्थानों के लिये, प्राथमिक स्कूल/अनुभाग 2 किलोमीटर से अधिक फासले पर उपलब्ध हैं।

(4) 644,971 निवास स्थानों (जनसंख्या के 78.83% में मिडिल स्कूल/अनुभाग अधिक से अधिक 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं।

(5) अन्य 180,051 निवास स्थानों के लिये मिडिल स्कूल/अनुभाग अधिक से अधिक 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं।

(6) शेष 139,642 निवास स्थानों के लिये, मिडिल स्कूलों की सुविधाएं 5 किलोमीटर से अधिक फासले पर उपलब्ध हैं।

22. "300 अथवा अधिक" तथा "500 अथवा अधिक" की विभिन्न जनसंख्या वाले सभी निवास स्थानों पर औपचारिक प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों की सुविधाएं प्रदान करने के प्रयत्न छठी योजना में किये गये हैं।

सर्वव्यापी नामांकन प्रगति तथा भविष्य

23. अब तक दिये गये नामांकन के आंकड़े 1971 जनगणना पर आधारित हैं। वर्ष 1981 की जनगणना (प्रारंभिक आंकड़े) छठी पंचवर्षीय योजना से प्रतिशत लक्ष्यों के संदर्भ में गिरावट का संकेत मिलता है।

योजना में परिकलित कक्षा 1—8 तक 1 करोड़ 80 लाख के अतिरिक्त नामांकन लक्ष्य को, 1981 जनगणना (प्रारंभिक आंकड़ों) के आयु-वर्ग जनसंख्या के अनुमानों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 95% नामांकन तथा मिडिल स्तर पर 50% नामांकन प्राप्त करने के लिये 2.64 करोड़ तक बढ़ाना होगा। अतः, 2 64 करोड़ अतिरिक्त नामांकन को प्राप्त करने के प्रयत्न चल रहे हैं। भाग्यवश, ऐसे निश्चित संकेत हैं कि इस क्रम का अतिरिक्त नामांकन प्राप्ति के परिमण्डल में है। पहले तीन वर्षों के दौरान/राज्यों/संघशासित की रिपोर्टों के अनुसार कुल नामांकन 107 7 लाख तक पहुंच गया है। आशा है कि योजना के शेष दो वर्षों के दौरान, 1.80 करोड़ के छठी योजना लक्ष्य के मुकाबले में चालू योजना अवधि के दौरान औपचारिक पद्धति में अतिरिक्त नामांकन 205.1 लाख होगा। वर्ष 1982-83 के अर्थात् 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में प्रगति 1982-83 के दौरान 40 लाख अतिरिक्त नामांकन के टी पी पी (बीस सूत्री कार्यक्रम) के मुकाबले में प्रोत्साहक है, नामांकन 403.6 करोड़ रहा। अनौपचारिक अंशकालीन शिक्षा की वैकल्पिक समर्थित पद्धति के जरिए छठी योजना में 80 लाख अतिरिक्त बच्चों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। तथापि, वर्तमान संकेतों के अनुसार देश में अनौपचारिक पद्धति में 60 लाख बच्चे शामिल हैं। दोनों पद्धतियों के जरिए अतिरिक्त नामांकन से 6—14 आयु वर्ग के 2.6 करोड़ बच्चों का कुल नामांकन होगा, जिसका अर्थ है 1981 की जनगणना के अनुमानों के अनुसार भी प्रतिशतता में नामांकन लक्ष्य (प्राथमिक स्तर पर 95 तथा मिडिल स्तर पर 50) प्राप्त कर लिया जायेगा।

24. 1971 की जनगणना के अनुमानों के आधार पर 1984-85 में अनुमानित 6—14 आयु वर्ग की जनसंख्या 13.82 करोड़ है। 1981 की जनसंख्या प्राक्कलन के अनुसार, यह आंकड़े 14.82 करोड़ होंगे। इस प्रकार, छठी पंचवर्षीय योजना के नामांकन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेने पर भी चालू योजना अवधि में दाखिल न किये गये बच्चों की संख्या लगभग 3.13 करोड़ होगी। वर्ष 1989-90 में सर्वव्यापी प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये, अगले पांच वर्षीय योजना अवधि (1985-90) के दौरान 4.61 करोड़ अतिरिक्त बच्चों को दाखिल करना होगा।

सर्वव्यापी अवरोधन

25. जैसा कि हमारे अनुभव से पता लगा है कि बच्चों का नामांकन अपेक्षाकृत आसान है। उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा पद्धति में तब तक रखना है जब तक कि वे कक्षा 8 पूरी नहीं कर लेते जो कठिन समस्याएं पैदा करता है। जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, इस तथ्य के कारण प्रगति संतोषजनक नहीं है कि कुछेक राज्यों में अवस्थापना पर्याप्त नहीं है। अतः छठी पंचवर्षीय योजना में बीच में ही अध्ययन छोड़ देने वाले बच्चों की दर में बहुत अधिक कमी करने

के लिये अवस्थापना कमियों को दूर करने के लिये व्यापक उपायों को अपनाने पर जोर दिया गया है।

बीच में अध्ययन छोड़ने वालों की समस्या

26. सारे देश को मिला कर, बीच में अध्ययन छोड़ने वालों की दरें प्राथमिक स्तर पर 63.1% तथा मिडिल स्तर पर 77.1% रही है (क्रमशः प्राथमिक तथा मिडिल स्तरों के अन्त में बीच में अध्ययन छोड़ देने की दरों के अनुमान के लिये चार वर्ष पहले तथा 7 वर्ष पहले कक्षा 1 में नामांकन आधार के रूप में लिया गया है)।

27. प्राथमिक स्तर पर 6 राज्यों तथा पांच संघ-शासित क्षेत्रों में बीच में अध्ययन छोड़ देने की दर नियन्त्रण में रही है अर्थात् सारे देश के लिए 63% के मुकाबले में 50% से कम :

तमिलनाडु	47.2%
पंजाब	45.3%
हरियाणा	41.6%
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	40.0%
असम	38.7%
पांडिचेरी	30.9%
लक्षद्वीप	21.5%
चंडीगढ़	20.5%
दिल्ली	17.5%
केरल	6.2%

अन्य सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के अन्त में बीच में अध्ययन छोड़ देने वालों की दर 50% से अधिक रही है ।

28. मिडिल स्तर के अन्त में लगभग सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में बीच में अध्ययन छोड़ देने वालों की दर 50% से अधिक रही है ।

29. बीच में अध्ययन छोड़ने तथा अपव्यय की समस्या नामांकन की संतोषजनक प्रगति को प्रभावित कर रही है । अतः सर्वव्यापीकरण कार्यक्रम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि बीच में अध्ययन छोड़ने की दर को बहुत अधिक कम करने के लिए जोरदार प्रयत्न नहीं किए जाते ।

सामने आने वाली समस्याएं

30. प्रारम्भिक स्तर पर अध्ययन छोड़ने की उच्च दरों की प्रवृत्ति जैसा कि पहले संकेत दिया गया है, पद्धति के कमजोर होने के कारण है सबसे गम्भीर समस्याएं हैं बंचित वर्गों की समाज-आर्थिक स्थिति, अपर्याप्त भौतिक सुविधाएं । एकल अध्यापक स्कूलों की बड़ी संख्या, अध्यापकों की भर्ती तथा सतत प्रशिक्षण की समस्या, असंगत तथा अरुचिकर पाठ्यक्रम, वार्षिक प्रोन्नति परीक्षाओं की पद्धति, तथा औपचारिक पद्धति की कुछ अनम्यताएं ।

पिछड़ा वर्ग

31. विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर दाखिल न किए गए बच्चों की बड़ी संख्या में कमजोर सामाजिक रूप से अलाभान्वित तथा आर्थिक रूप से बंचित वर्ग जिनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति शामिल हैं आते हैं । ऐसे वर्गों में अधिकांशतः अपने परिवारों को पढ़ाने की परम्परा नहीं है तथा इनके बच्चों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है जबकि उन्हें स्कूलों में जाने के लिए राजी किया जाता है ।

उन्हें जीविका कमाने तथा परिवारिक आय में मदद व जब उनके अभिभावक काम पर दूर जाते हैं तो अनेक घरेलू कार्य करने होते हैं । इन वर्गों की लड़कियों को अपने छोटे भाई-बहनों की भी देखभाल करनी होती है । कुछ राज्यों तथा देश के हिस्सों में परम्परागत धारणाओं के कारण सामाजिक रुकावटों से नौ वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों की सह-शिक्षा स्कूलों में नहीं जाने देती । ऐसे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते यदि वे जाते भी हैं तो कुछ समय बाद स्कूल छोड़ जाते हैं। कुल गैर-नामांकित बच्चों में से लड़कियां 71% हैं । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में गैर-नामांकित लड़कियों का अनुपात अधिक है।

पिछड़े राज्य तथा क्षेत्र

इस लिए समस्या और प्रबल हो जाती है कि कुछ मुख्य राज्य पिछड़े हुए हैं। (पिछड़ेपन को केवल नामांकन स्थिति से आंका गया है) ऐसे नौ राज्य हैं जहां कुल गैर-नामांकित बच्चों की संख्या 80.3% है । नौ शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य निम्नलिखित हैं--आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू व काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल/अधिकांश राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों में ऐसे पिछड़े क्षेत्र/अंचल हैं जिनमें असुविधा प्राप्त वर्ग संकेन्द्रित हैं। इनमें साक्षर लोगों की संख्या बहुत कम है ।

स्कूलों की असंतोषजनक व्यवस्था

33. प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल अधिकांशतः असंतोषजनक भवनों में स्थित हैं जिसमें कच्चे घास-फूस की झोंपड़ियों तथा टेन्टों व खुले हिस्से शामिल हैं । चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 474,636 प्राथमिक स्कूलों में से 190,357 प्राथमिक स्कूल (40.11%) तथा 112,404 मिडिल स्कूलों में से 15934 स्कूल (14.18%) असंतोषजनक भवनों में स्थित हैं। स्कूल भवनों की अधिक कमी के कारण प्रारम्भिक शिक्षा में एक समस्या के रूप में जो अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ऐसे भवनों में बच्चे जाना पसंद नहीं करते ।

34. छत्तीस प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों में अपेक्षित फर्नीचर नहीं हैं जिसमें बच्चों के बैठने के लिए चटाई भी शामिल हैं । इतने ही प्राथमिक स्कूलों में ब्लैकबोर्ड तथा अपेक्षित अन्य न्यूनतम उपस्कर नहीं हैं ।

एकल अध्यापक स्कूल

35. चौथे सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि वर्ष 1978-79 के दौरान 167,868 एकल अध्यापक प्राथमिक स्कूल थे जो कुल का 37% है । यह स्थिति सारे ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में है । इसका मुख्य कारण यह है कि विशेष स्कूल, में नामांकन एक अध्यापक की नियुक्ति के लिए न्यायोचित नहीं है । 200 से कम लोगों की बस्तियों में यह समस्या अनिवार्य तौर पर होगी ।

अध्यापक भर्ती तथा प्रशिक्षण

36. सारे देश को ध्यान में रखते हुए; प्राथमिक तथा मिडिल दोनों स्तर में प्रशिक्षित अध्यापकों की स्थिति असंतोषजनक है । प्राथमिक तथा मिडिल स्तरों पर प्रशिक्षित अध्यापकों की प्रतिशतता क्रमश: 86.27 तथा 86.67 है। ऐसे कुछ क्षेत्र भी हैं जहां अर्हताप्राप्त अध्यापकों की स्थिति उपलब्धता से संबंधित समस्या स्थायी है । सारे देश को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक तथा मिडिल स्तरों पर अर्हता प्राप्त अध्यापक क्रमश: 420,585 अध्यापक (26.3%) तथा 52,705 अध्यापक (7%) हैं । अधिकतर राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में केवल अर्हता प्राप्त अध्यापक नियुक्त किए जाते है । यह मुख्यत: उपयुक्त रूप से अर्हता प्राप्त स्थानीय अध्यापकों की गैर उपलब्धता का कारण है और अधिक जो रुकावट डालती हैं, वह है संसाधनों की कमी के कारण प्रशिक्षित अध्यापकों को सेवारत प्रशिक्षण न दे सकना । अन्य विशेष कमी महिला अध्यापकों की अपर्याप्तता की है । कुल प्राथमिक तथा मिडिल अध्यापकों में केवल 27.37% तथा 27.76% महिलाएं हैं ।

पाठ्यचर्या

37. अधिकतर सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में औपचारिक प्राथमिक तथा मिडिल स्तरीय पाठ्यचर्या ज्ञान-अनुस्थापित हैं। ऐसी पाठ्यचर्या, शिक्षाविदों द्वारा राज्य मुख्यालयों में तैयार की जाती है और सारे राज्य/संघ शासित क्षेत्र में पाठ्यपुस्तकें एक समान रहती है। ये भूगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार, विभिन्न विविधताओं में बच्चों की वास्तविक आवश्यकताओं तथा जीवन-परिस्थितियों से संबंधित नहीं होती हैं। भारतीय परिस्थितियों में, यह पाठ्यचर्या उन बच्चों तथा उनके अभिभावकों में रुचि पैदा करने में असफल रही है, जो ऐसी पाठ्यचर्या के द्वारा शिक्षा का कोई महत्व नहीं समझते।

औपचारिक शिक्षा की अनम्यता

38. औपचारिक शिक्षा कई तरीकों से इतनी अनम्य है कि पिछड़े वर्गों के बच्चे स्कूलों को दाखिल तथा उपस्थिति होने के अनुपयुक्त तथा असुविधाजनक समझते हैं। पहले, स्कूल कक्षाएं अनम्य समय-सारणी के अनुसार आयोजित की जाती हैं और स्कूल सत्र तथा छुट्टियों का समय सभी स्कूलों पर लागू होता हैं। समय-सारणी तथा स्कूल समय को मौसम, क्षेत्रीय विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता। यह अनम्यता प्रारम्भिक स्तर पर नामांकन तथा स्कूल जाने में बाधा डालती है। दूसरे जैसा कि पहले बताया गया है कि पाठ्यचर्या अनम्य है और कक्षा-वार पुस्तकों पर आधारित है। तीसरे औपचारिक शिक्षा में केवल एक प्रविष्टि अर्थात् कक्षा 1 है। यदि बच्चा कक्षा 1 में दाखिला लेने से वंचित हो जाता है तो शिक्षा के द्वार उसके लिए बन्द हो जाते हैं । औपचारिक पद्धति में, प्राथमिक तथा मिडिल स्तरों पर कुशलता प्राप्त करने के लिए छात्र को क्रमश: पांच वर्ष और तीन वर्ष तक अध्ययन करना पड़ता है। चौथे एक कक्षा से अगली कक्षा में प्रोन्नति वार्षिक प्रोन्नति परीक्षा पर आधारित है।

परीक्षा पद्धति

39. वार्षिक प्रोन्नति परीक्षा तथा आवधिक परीक्षाएं बच्चे द्वारा रटने के माध्यम से प्राप्त किए गए ज्ञान की जांच करने के लिए तैयार की गई हैं। इसके अतिरिक्त, वार्षिक परीक्षा के आधार पर किसी विशेष कक्षा में छात्र को रोकना, उसी कक्षा में निष्क्रियता कई मामलों में स्कूल छोड़ जाने का परिणाम हैं। प्रोन्नति/रोकना के प्रयोजनार्थ एक बार वार्षिक परीक्षा पर निर्भर करता है इसके अतिरिक्त, पहले नामांकन पर बल दिया जाता था और सभी आयु-वर्गों को कक्षा 1 में दाखिला दिया जाता था। इसका परिणाम छोटे आयु तथा बड़े-आयु के बच्चों की विषम सहगणता है। नियत स्तर तथा प्रणाली के अनुसार ऐसे सहगण मूल्यांकन अवास्तविक बन जाते हैं।

परिकल्पित/किए गए उपाय

40. इस पर काबू पाने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा पद्धति में कमियों का मुश्किल से कोई पहलू होगा जिसके लिए उपाय न सोचा गया हो। 1989-90 तक सर्वव्यापी शिक्षा के उद्देश्य को पाने के लिए व्यापक उपाय परिकल्पित तथा शुरू किए गए हैं। ये निम्नलिखित रूप से दर्शाए गए हैं :—

(1) छठी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत "शिक्षा" में "प्रारंभिक शिक्षा" को उच्च प्राथमिकता दी गई है। योजना के न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम में "प्रारंभिक शिक्षा" को शामिल किया गया है।

(2) स्कूल न जाने वाले, शुरू न करने वाले तथा स्कूल छोड़ने वालों को शामिल करने, प्रारम्भिक शिक्षा पद्धति में उनके बने रहने को सुनिश्चित करने की मुख्य नीति, नए उद्देश्य सहित नीति में मुख्य तबदीली अपनाई गई हैं, 6—14 आयु वर्ग में प्रत्येक बच्चा शिक्षा पाता रहेगा, पूर्णकालिक आधार पर, यदि संभव हुआ तो अंशकालिक आधार पर, यदि आवश्यक हो। इसके अनुसरण में, औपचारिक स्कूली पद्धति में वैकल्पिक पद्धति के रूप में गैर-औपचारिक अंशकालिक पद्धति को विकसित किया जा रहा है। इस पद्धति के अन्तर्गत, जो बच्चे सामाजिक, आर्थिक कारणों से औपचारिक स्कूलों में नहीं जा सकते, उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार स्थानों तथा समय पर उसी स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान की जाती हैं। 9—14 आयु वर्ग के बच्चों को (9—11 प्राथमिक स्तर तथा 11—14 मिडिल स्तर के

लिए) गैर-औपचारिक केन्द्रों में क्रमिक तथा संघनित रूप में शिक्षा प्रदान की जाती है। सामान्यतः प्राथमिक स्तरीय गैर-औपचारिक केन्द्र में प्राथमिक स्तरीय पाठ्यक्रम को दो वर्ष में पूरा कर सकते हैं जबकि मिडिल स्तरीय पाठ्यक्रम को छात्र को तीन वर्ष में पूरा करना होगा। गैर-औपचारिक केन्द्रों में लगभग 2-3 घंटे प्रतिदिन अध्ययन कराया जाता है। राज्य/क्षेत्र की विविध विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष पाठ्यचर्या तथा पठन-पाठन सामग्री को विकसित किया गया है। गैर-औपचारिक शिक्षा में मुख्य बल शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में शिक्षा प्रदान करना है जिसके लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य में संचालित की जाने वाली प्राथमिक तथा मिडिल स्तरीय परीक्षाओं में दाखिल होने के लिए गैर-औपचारिक पद्धति के अन्तर्गत छात्रों को दाखिले के लिए प्रबन्ध भी किए गए हैं।

(3) पिछले वर्षों की तरह, एकल बिन्दु प्रवेश की अनम्यता पर प्रगति की जा रही है और औपचारिक स्कूलों की प्रारम्भिक स्तर पर किसी कक्षा में बहु-बिन्दु प्रवेश के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यह गैर-औपचारिक पद्धति के बच्चों को, यदि वे चाहें, तो औपचारिक स्कूलों में जाने योग्य बनाएंगे। स्कूल छोड़ने वालों की कमी, क्योंकि बच्चा अपनी आवश्यकता की सुविधानुसार पूर्णकालिक से अंशकालिक तथा अंशकालिक से पूर्णकालिक शिक्षा के क्रम को बदल सकता है।

(4) स्कूल छोड़ने वालों की समस्या का सामना करने के लिए एक विशेष उपाय के रूप में, राज्यों को यह सुझाव दिया गया है कि गैर-क्रमिक स्कूल पद्धति तथा 'रोकना नहीं' नीति को शुरू किया जाए ताकि प्रत्येक बच्चा प्रत्येक वर्ष एक कक्षा को पूरा करे और जब तक कक्षा 8 पूरी नहीं करता तो अगले उच्च स्तर पर प्रोन्नत किया जाएगा। शैक्षिक विचारधाराओं पर प्रोन्नत/अवरोधन के प्रयोजनार्थ समकालीन वार्षिक परीक्षा पर अनुचित निर्भर रहने से इस नीति की साख समाप्त हो जाती है। परन्तु साथ ही यह महसूस किया जाता है कि परीक्षाओं को एकदम समाप्त करने से शैक्षिक स्तर एकदम गिर जाएगा। अतः इसके साथ साथ यह कहना ठीक होगा कि सतत आधार पर सावधिक मूल्यांकन के जरिए प्राप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस नीति को पहले ही आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में लागू कर दिया गया है, बाद वाले दो राज्यों में इसे प्राथमिक स्तर में लागू किया गया है। केरल ने 1–3 तक की कक्षाओं की अवर्गीकृत प्रणाली को अपनाकर और अगली उच्चतर कक्षाओं में न्यूनतम अवरोधन से प्राथमिक स्तर के अन्त में स्कूल छोड़ने वाले की दर में मात्र 5% तक कमी की है।

(5) प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण कार्यक्रम में असंतोषजनक प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों के ढांचे कठिन मस्या पैदा करते हैं। इस कार्यक्रम की देखभाल के लिए योजना में चूंकि साधन अपर्याप्त है अतः प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल/भवनों के निर्माण के लिए विकल्प संसाधनों का पता लगाने का प्रयास किया गया है जिसमें 1.61 लाख अधिक कक्षाएं शुरू करना शामिल है। अब तक की कमी को पूरा करने के लिए अनुमानित 1,92,000 लाख रु० खर्च आएंगे। स्कूल भवनों के निर्माण की अर्थव्यवस्था को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल भवन के निर्माण कार्य को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आरम्भ किया जा रहा है। कुछ राज्यों ने, विशेष रूप से, स्कूल भवनों में उपस्कर लगाना आरम्भ कर दिया है। इस प्रयोजन के लिए भारी बहुपक्षीय सहायता प्राप्त करने के भी प्रयास किए जा रहे है।

(6) विद्यमान स्कूल सुविधाओं के उपयोग में तेजी लाकर, प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक घंटों की कम अवधि को लागू करने, प्रारम्भिक स्तर पर दोहरी पारी शुरू करने, वास्तविक उपस्थिति के आधार पर अध्यापकों की भर्ती तथा प्राथमिक स्तरीय अध्यापक छात्र अनुपात को बढ़ाना जहां 1 : 40 से कम हैं और नए स्कूलों में फालतू अध्यापकों के विकास जैसे उपायों को अपनाया जा रहा है।

(7) विद्यमान योजनावधि के दौरान, 1 किलो० मी० तथा 3 किलोमीटर की अधिकतम दूरी पर 300 और उससे अधिक तथा 500 और उससे अधिक जनसंख्या के लिए स्कूल रहित स्थानों में क्रमशः प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल की व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं।

(8) प्राथमिक स्कूलों की कुल संख्या के एकल अध्यापक स्कूल 37% हैं। स्कूल छोड़ने वालों की दर को कम करने के उपाय के रूप में राज्यों को यह सुझाव दिया गया कि : एकल अध्यापक स्कूल को दो अध्यापक स्कूलों में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

अथवा

ऐसे तीन-चार स्कूलों में एक अतिरिक्त अध्यापक को छुट्टी आरक्षी के रूप प्रदान किया जाना चाहिए।

(9) उस क्षेत्र के समुदायों/वर्गों में से प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति के लिए स्थानीय अध्यापकों की भर्ती के उपायों को जारी रखा जाए। इसके अतिरिक्त, स्थानीय जनसंख्या में से महिला अध्यापकों की भर्ती के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

यह अनुभव रहा है कि अर्हताप्राप्त और प्रशिक्षित अध्यापक अकसर स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं होते और जो बाहर के होते है वे दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार नहीं होते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्थानीय अध्यापकों को, नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जाती है और उसके साथ-साथ ऐसे उपाय भी किए जाते हैं जो उनकी शैक्षणिक

अर्हताएं और अध्यापन दक्षताएं बढ़ाने के लिये जरूरी हैं । अनेक उपायों पर विचार किया गया है परन्तु अभी उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है। सबसे पहले शिक्षा मंत्रालय, समाजकल्याण मंत्रालय और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड अपनी समन्वित कार्रवाई की योजना के एक भाग के रूप में कम अर्हता वाली स्थानीय महिलाओं की, भी अध्यापिकाओं के रूप में भर्ती को सुनिश्चित कर सकते हैं और उनकी शैक्षिक अर्हताओं की बढ़ाने के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कर सकते हैं इसके साथ-साथ विशेष अध्यापक प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध कर सकते हैं दूसरे केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्कूलों के लिए अध्यापिकाओं की भर्ती के लिए एक पूर्ण वित्त पोषित योजना चलानी चाहिए और उन अध्यापिकाओं को सर्वव्यापीकरण (1989-90) का लक्ष्य प्राप्त होने तक बनाए रखना चाहिये। जब वे अपने कार्य पर लगी हुई हों, उसी दौरान उनके लिए सान्तराल पाठ्यक्रमों सहित विशेष अध्यापक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती ह। तीसरे समाज कल्याण स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और शिक्षा मंत्रालयों एक खंड के बड़े ग्रामों में कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावास बना सकता हैं ताकि महिलाओं की ग्रामों में रोजगार स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। राज्य शिक्षा विभागों को भी अन्य संबंधित विभागों के परामर्श से राज्य स्तर पर ऐसे ही प्रस्ताव करने चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया हैं कि कुल मिलाकर देश में प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता की स्थिति असंतोषजनक नहीं है परन्तु सेवारत प्रशिक्षण की सुविधाएं अपर्याप्त हैं। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में यह सलाह दी गई है कि योजना के अंतर्गत अनिवार्य कार्यक्रम के रूप में भारी मात्रा में सेवारत प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करें। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के व्यावसायिक विकास के लिए एक सुविधा के रूप में सतत शिक्षा के केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता दे रही है। अभी हाल ही में हमने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया था कि वे अपनी तात्कालिक अध्यापक प्रशिक्षण की जरूरतों के बारे में सूचित करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठाएं।

(10) सर्वव्यापीकरण का कार्यक्रम लक्षित वर्गोन्मुख है। यह पहली बार हुआ है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति से संबंधित न दाखिल किए गए बच्चों की संख्या लिंगवार दोंनों प्राथमिक तथा मिडिल दोनों स्तरों पर निश्चित करने और जनजातीय उपयोजनाओं के लिए केन्द्र प्रायोजित और राज्य क्षेत्र की योजनाओं में किए गए निवेशों को निश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पिछड़े क्षेत्रों जिनमें कम साक्षरता वाले खंड/बस्तियां भी शामिल हैं ये संकेन्द्रित बच्चों की संख्या भी निश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। ऐसे क्षेत्रों/बस्तियों को निर्धारित किया जा रहा है, जहां ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता है परन्तु इसके बावजूद जनजातीय उपयोजनाओं और अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

(11) भारत की स्थिति में, वंचित और शोषित वर्गों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सहित) के बच्चों के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा की एक महत्वपूर्ण नीति है। ये कार्यक्रम मुख्यरूप से है :—

(क) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों और लेखन सामग्री की व्यवस्था (ख) निःशुल्क वर्दियों की व्यवस्था विशेषकर लड़कियों के लिए (ग) उपस्थिति छात्रवृत्तियां विशेषकर लड़कियों के लिए और (घ) माध्याह्न भोजन। इस प्रकार के प्रोत्साहनों के प्रावधान की मात्रा निम्न लिखित है ।

(आंकड़े 10 लाख में)

कार्यक्रम		लाभ-ग्राही 1980-85
(क)	निशुल्क पाठ्य पुस्तकें और लेखन सामग्री	68.73 इसमें 15.38 अनु. जाति/अनु. जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं ।
(ख)	निशुल्क वर्दियां	5.4 इसमें 3.6 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के बच्चे भी शामिल हैं ।
(ग)	उपस्थिति छात्रवृत्तियां	6.0 इसमें 5.02 अनु. जाति/अनु० जन जाति के बच्चे भी शामिल हैं।
(घ)	मध्याह्न भोजन	72.63 इसमें 9.91 अनु० जाति/अनुसूचित जन जाति के बच्चे भी शामिल हैं।

यहां यह उल्लेखनीय है कि उपस्थिति छात्रवृत्तियों में एक तरह से अवसर लागत की हानि के लिए प्रतिपूर्ति के दावों को स्वीकार किया जाता है । अतः यह सुझाव दिया गया है कि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को चाहिए कि वे अनौपचारिक शिक्षा की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए संबंधित बच्चों को प्रोत्साहित करें क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा सुविधाएं आमदनी बढ़ाने वाले कार्य-कलापों में बिना किसी दखल के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करती है । यहां तक मध्याह्न भोजन का संबंध है यह सुविदित है कि केन्द्रीय सरकार दाखिले का पर्याप्त विस्तार करने के पक्ष में है । दुर्भाग्यवश कुल मिलाकर सीमित साधन, ऐसे विस्तार के रास्ते में बाधा बन जाते हैं । अतः यह सुनिश्चित करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए कि यदि शामिल की जाने वाली संख्या को बढ़ाया नहीं भी जाता है तो भी उसे कम से कम घटाया नहीं जाना चाहिए । इस संदर्भ में ही केयर द्वारा वस्तु सहायता में की गई कमी महत्वपूर्ण हो जाती है । राज्यों/संघ शासित क्षत्रों से पहले ही यह अनुरोध कर दिया गया है कि वे इस कमी को पूरा करने के लिए आगे आएँ ऐसी व्यवस्था करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय देने के उद्देश्य केन्द्रीय सरकार ने 1982-83 के दौरान, विशेष केन्द्रीय सहायत प्रदान की है । हमें विश्वास है कि सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र इस कमी को पूरा करने के लिए सहायता का लाभ उठा रहे हैं और उन्होंने 1983-84 से आगे इस

जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लिया है । इस संबंध में यह नोट करने योग्य है कि कुछ राज्यों ने ही अपनी दाखिले और छात्रों को स्कूलों में बनाए रखने की नीति के एक भाग के रूप में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक आयु वर्ग के बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। तमिलनाडु मध्याह्न भोजन योजना और आन्ध्र प्रदेश भोजन कार्यक्रम इस संदर्भ में उल्लेखनीय है ।

(12) छठी पंचवर्षीय योजना में पहली बार प्राथमिक स्कूलों के संघटक के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की पढ़ने वाली प्रथम पीढ़ी के 3-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, शिशु शिक्षा केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की गई है। ऐसे शि० शि० केन्द्र न केवल पूर्व स्कूल आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक विकास की व्यवस्था करेंगे बल्कि उससे क्रेच सुविधाएं भी मिल सकेंगी और ऐसे केन्द्रों की देखभाल में बच्चों को छोड़कर लड़कियां स्वयं भी स्कूल जा सकेंगी । इससे स्कूल छोड़ने का एक बड़ा कारण समाप्त हो जाएगा।

(13) प्रयोगात्मक और नवीन परियोजनाओं के माध्यम से, यूनिसिफ की सहायता से पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया को विकेन्द्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं । इससे संदर्भ अनुस्थापित शिक्षा प्रदान करने में सहायता मिलती है जो देश के विविध क्षेत्रों में रह रहे बच्चों की आवश्यकताओं जीवन परिस्थितियां और वातावरण में मेल खाती है । इसका और विस्तृत प्रयास का विवरण आगे दिया गया है।

(14) प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए समाज को आगे लाना एक महत्वपूर्ण कदम समझा गया है । राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को सुझाव दिया गया है कि वे सभी प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के लिए विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्थिति स्कूलों के लिए स्कूल समितियां स्थापित करें । इस उपाय का लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त करना है :–

(क) ग्रामों, शहरी गंदी बस्तियों तथा अन्य क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में समाज द्वारा भाग लेने से बच्चों विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के प्रति पैतृक उदासीनता को दूर करने में सहायता मिलेगी ।

(ख) समुदाय स्कूल की भौतिक सुविधाओ में सुधार करने के लिए धन अथवा वस्तुओं के रूप में योगदान करने में रुचि रखेगा ।

(ग) स्कूल समितियां स्कूल के नियमित और सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने में सहायक होगी ।

(घ) ये समितियां औपचारिक स्कूल और अनौपचारिक केन्द्र से लगने वाले क्षेत्र के सभी बच्चों के दाखिले को सुनिश्चित करने और उनकी नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करने में भी सहायक होंगी ।

(15) राज्यों को यह सुझाव भी दिया गया है कि वे जन संचार साधनों का और अधिक प्रयोग करें, न केवल प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपितु अध्यापक प्रशिक्षण के लिए भी। इनसैट के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार ने शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करने की क्षमता का निर्माण करने हेतु छः राज्यों में एक व्यापक कार्यक्रम शुरु किया है परन्तु यह मानना होगा कि हमारे देश में रेडियों अभी कई वर्षों तक एक प्रभावशाली जनसंचार साधन बना रहेगा। अतः राज्य और संघ शासित क्षेत्र सभी प्राथमिक मिडिल स्कूलों को रेडियों उपलब्ध करने की संभावनाओं का पता लगाए ताकि उपयुक्त शैक्षिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम तैयार करने के संबंध में विचार किया जा सके । हमने ई टी सी ई आर बी में सीमित सामर्थ्य का विकास करने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में और अधिक सहायता उपलब्ध करने के लिए ई टी कार्यक्रमों का विस्तार किया है । हमें विश्वास है कि वे प्रदान की गई सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएंगे ।

(16) मात्रात्मक विस्तार और गुणात्मक सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन, प्रशासन, मोनिटोरिंग और मूल्यांकन के लिए खण्ड स्तर तक पर्याप्त संख्या में पर्यवेक्षीय अधिकारियों की नियुक्ति और प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासन का विकेन्द्रीकरण एक अनिवार्य उपाय समझा गया है ।

(17) शिक्षा की कोटि में सुधार के अतिरिक्त शिक्षा को मूल्योन्मुख बनाने पर भी जोर दिया गया है सत्यम शिवम्, सुन्दरम् ईमानदारी, इत्यादि जैसे परम्परागत मूल्यों के अतिरिक्त, राष्ट्रीयता, धर्मनिर्पेक्षता, समाजिक संस्कृति, दाय के प्रति गर्व, प्रकृति से समंजस्य, बड़ों के प्रति आदर इत्यादि जैसे मूल्यों को विकसित करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। हमें आशा है कि शिक्षा मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्र इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई कर रहे है ।

साथ-साथ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी ध्यान दिया जा रहा है कि इस प्रयास की पाठयपुस्तकें भी मजबूत करें । तदनुसार भाषाओं की सभी पाठयपुस्तकों की राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से समीक्षा की जा रही है । हमें आशा है कि सभी राज्य संघ शासित क्षेत्र 1983-84 से पुनरीक्षित संशोधित पुस्तकों का उपयोग करने लगेगा। पाठ्यपुस्तकें निर्धारित सिफारिश करने के लिए मार्गदर्शी रूप रेखाएं तैयार की जा रही हैं ताकि ऐसे विचारों को प्रारंभिक जांच पड़ताल के समय ही पुस्तकों में स्थान दिया जा सके ।

(18) सर्वव्यापीकरण के कार्यक्रम में सम्पूर्ण राष्ट्र के सहयोग का वातावरण तैयार करने के लिए और प्रारंभिक शिक्षा के कछ नाजुक पहलुओं पर सम्पूर्ण राष्ट्र का ध्यान संकेंद्रित करने क लिए अध्यापक दिवस (5 सितम्बर) और बाल दिवस (14 नवम्बर) के बीच सम्पूर्ण राष्ट्र में एक

अभियान चलाया गया। इस अभियान में प्रारंभिक स्तर पर दाखिले में वृद्धि और छात्रों को स्कूल में बनाए रखने के लिए व्यापक प्रयत्न करने के लिए आह्वान किया गया। हमारी प्रधान मंत्री ने एक प्रेरणादायक संदेश दिया जिसमें उन्होंने देशवासियों से प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण में अपने आपको सक्रिय रूप से लगाने का आह्वान किया। इससे राज्यों के घनिष्ट सहयोग के लिए रास्ता साफ हो गया है। इस अभियान से संबंधित कार्यकलापों में शामिल है दूरदर्शन/रेडियो साक्षात्कार, पैनल चर्चाएं सांख्यिकीय चार्टों का प्रदर्शन, चित्रों का प्रदर्शन, तथा प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित वृत्त चित्रों का वितरण करने के लिए फिल्म प्रभाग द्वारा संकेंद्रित प्रयत्न/मार्गदर्शी रूप रेखाएं राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को 1982 में भेज दी गई थीं। हम जानते है कि सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों ने यह अभियान चलाया है। 14 नवम्बर के बाद यह विषेश प्रयत्न समाप्त नहीं कर दिये जाने चाहिएं थे। उन्हें शैक्षणिक वर्ष के अंत तक चलते रहना चाहिए ताकि उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जा सके और भविष्य में इस प्रकार के अभियानों में सुधार किया जा सके। इस संदर्भ में यह बहुत अच्छा होगा कि पंचायतों, खण्डों, जिला तथा राज्य स्तरों पर किए गए अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदान किए जायें-राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इस सुझाव पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

विशेष योजनाएं :

अनौपचारिक शिक्षा

41. जैसा कि पहले बताया जा चका है औपचारिक शिक्षा पद्धति के वैकल्पिक सहायक के रुप में प्रारंभिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक अंशकालिक शिक्षा का विकास किया जा रहा है। यह कार्यक्रम शैक्षणिक रूप से पिछड़े राज्यों को व्यापक रूप से लाभान्वित करने के लिए शुरू किया गया है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम के लिए शैक्षिणिक रुप से पिछड़े राज्यों को विशेष (केन्द्रीय) सहायता प्रदान कर रहा है।

42. केन्द्रीय क्षेत्र के लिए छठी योजना में इस परियोजना के लिए 2500 लाख रूपये की परिव्यय की व्यवस्था की गई है। यह योजना केन्द्र और राज्यों के बीच 50 : 50 के हिस्से के आधार पर चलाई जा रही है। इस योजना में निम्नलिखत मदों का खर्च वहन किया जाता है :-अर्थात् राज्य शिक्षा निदेशालय में एक विशेष सेल जिसका प्रमुख पर्याप्त उच्च स्तर का एक अधिकारी होता है, और जो इस कार्यक्रम का पूर्णतः प्रभारी भी होता है, एक शैक्षणिक दल जिसमें एक वरिष्ठ परामर्शदाता और चार कनिष्ठ परामर्शदाता राज्य संसाधन केन्द्र में होते हैं। (अक्सर राज्य संसाधन केन्द्र राज्य शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद या राज्य शिक्षा संस्थान में होता है)। सभी शैक्षणिक कार्यक्रम अर्थात् पाठ्यचर्या और अध्यापन-अध्ययन सामग्री का विकास अनौपचारिक अध्यापकों तथा प्रशासनिक कार्मिको के लिए प्रशिक्षण माडयूल, सर्वेक्षण और ऐसे ही अन्य कार्य जो राज्य संसाधन केन्द्र द्वारा किए जाए मोनिटरिंग और मूल्यांकिन के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना, और प्राथमिक तथा मिडिल दोनों स्तरों पर अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन/अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के शैक्षणिक पहलुओं पर राज्यों की सहायता तथा मार्गदर्शन करने की जिम्मदारी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को सौंपी गई है।

43. यह योजना 1979-80 के अन्तिम तिमाही में शुरू की थी। 9 शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों को 1982-83 तक 108/2 लाख रुपये की धनराशि दी जा चुकी है। अब इस कार्यक्रम को अच्छी गति प्राप्त हो चुकी है। 1982-83 तक केन्द्रों की संख्या तथा दाखिले का संख्या नीचे दी गई हैं।

	प्राथमिक	मिडिल	कुल
केन्द्र . . .	78,738	12,863	91,601
शामिल छात्र . .	1,765,805	1,84,600	21,02,805

चालू पचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक निम्नलिखत उपलब्धियों की आशा हैं :

केन्द्र 1,72,180

शामिल छात्र 53 लाख

44. मुख्य योजना के एक भाग के रुप में शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों को राज्य पद्धति पर अनौपचारिक केन्द्रों के संचालन के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं और किसी भी राज्य/संघ शासित क्षेत्र में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी या प्राइवेट को नए-नए प्रयोगों तथा ऐसे प्रयोगात्मक अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं। अभी तक 24 स्वैच्छिक संगठनों और एक शैक्षिणक संस्था को कुल मिलाकर 10,62 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया जा चका है जिसमें से इस वर्ष के दौरान दिए गए अनुदान की राशि 9.26 लाख रुपए है।

यहां यह उल्लेखनीय कि लगभग सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में प्रारंभिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा एक बड़े पैमाने पर शरु की गई है। सम्पूर्ण देश में चालू योजना के अन्त तक अनौपचारिक पद्धति के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमानित कुल संख्या 60 लाख है।

46. नौ राज्यों को केन्द्रीय सहायता दिए जाने का कारण था दाखिल न किए गए छात्रों की संख्या का 75% से अधिक इन्ही राज्यों में ही है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे बच्चों में से एक बहुत बड़ी संख्या लड़कियों की हैं यह तर्कसंगत होगा कि लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। तदनुसार केन्द्रीय सरकार ने 9 शैक्षणिक रूप से

पिछड़े राज्यों में मात्र लड़कियों के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र अयोजित करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता देने का एक प्रस्ताव पेश किया है यदि यह प्रस्ताव अनुमोदित हो जाता है तो ऐसे केन्द्रों को भविष्य में 100% केन्द्रीय सहायत के लिए उपलब्ध हो सकेगी ।

अनौपचारिक शिक्षा के लिए कागज सहायता

47. अनौपचारिक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना है सभी राज्यों/संघ शसित क्षेत्रों को वस्तु सहायता देना । इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की क्षेत्रीय भाषाओं में अपने अनौचरिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए पाठ्य पुस्तकें तथा अन्य साहित्य के निर्माण के लिए अपेक्षित कागज के रूप में वस्तु सहायता प्रदान की जाती है । इस योजना के लिए कुल परिव्यय 2800 लाख रुपये है। इस प्रयोजन के लिए स्वीडन द्वारा नगद सहायता प्रदान किए जाने के परिणाम स्वरुप ही भारत सरकार के लिए सभी राज्यों संघ शासित क्षेत्रों को यह महत्वपूर्ण सहायता देना संभव ही पाया है 21 जनवरी, 1980 को भारत सरकार और स्वीडन का सरकार के बीच हस्ताक्षर हुए करार के अनुसार स्वीडन स्वीडिश अन्तरर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के माध्यम से पांच वर्षों की अवधि के लिए 1979-84 1400 लाख (1500 लाख स्वीडिश क्रोनस) तक की नकद सहायता देगा । करार के प्रथम तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 1979-82 के लिए कल 240 लाख स्वडिश क्रोनर्स की कल सहायता (470 लाख रुपये तीन वार्षिक संवितरण में प्राप्त हो चुकी है। परियोजना के विवरण के अनुसार जो कि भारत स्वीडिश करार का एक भाग है 20,000 मीट्रिक कागज प्राप्त होने की आश है। यह कागज राज्यों में उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरित किया जाएगा। पहले तीन वर्षों अर्थात् 1979-82 में प्राप्त की गई कागज की मात्रा 7200 मीट्रिक टन है। 1982-83 के लिए 5450 मीट्रिक टन कागज प्राप्त करने के लिए कारवाई की जा रही है ।

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा

48. जैसा कि पहले बताया जा चुका है 3-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ई सी ई) जिसे आमतौर पर पूर्व स्कूल शिक्षा कहा जाता है, विशेषकर पढ़ने वाले परिवारों की प्रथम पीढ़ी के बच्चों के लिए , छठी पंच वर्षीय योजना में बड़े महत्वपूर्ण ढंग से शुरु की गई है । पूर्व स्कूल शिक्षा अभी शहरों में रही है और अधिकांशत: निजि तत्वावधान में ग्रामीण क्षेत्रों में ई सी ई केन्द्रों के संचालन के लिए स्वैच्छिक एजेन्सियों का सहयोग लेना जरूरी समझा गया है । 100 लाख रुपये के केन्द्रीय क्षेत्र परिव्यय के साथ यह योजना, ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे ई सी ई केन्द्र चलाने के लिए स्वैच्छिक एजेन्सियों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरु की गई है मूल योजना सभी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों के लिरू थी अब यह निर्णय किया गया है कि इसका संचालन नौ शैक्षणिक रूप से पिछड़े राज्यों में ही किया जाए । अभी तक कोई अनुदान संस्वीकृत नहीं किया गया है, परन्तु आशा है कि प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्णय शीघ्र ही हो जाएगा । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में ई सी ई केन्द्र के विकास करने का मुख्य कार्यक्रम राज्य क्षेत्र में ही है। इसके अति-रिक्त ई सी ई कार्यक्रम के गुणात्मक पहलुओं की देखभाल के लिये विशेषकर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यूनिसैफ की सहायता से शुरु किया गया है ।

युनिसेफ सहायता प्राप्त कार्यक्रम

49. प्राथमिक आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा से संबंधित अनेक कार्यक्रमों में यूनिसेफ भारत की सहायता कर रहा है। इस समय निम्नलिखित परियोजनाएं चल रही ह ।

(i) प्राथमिक शिक्षा पाठयचर्या नवीकरण (पी०ई० सी०आर०) (औपचारिक)

(ii) सामुदायिक शिक्षा और सहभागिता (डी०ए०सी० ई०पी०) (अनोपचारिक) संबंधी विकास कार्यकलाप) ।

(iii) प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच (सी०ए०पी० ई०) भूतपूर्व (अनौपचारिक)

(iv) प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ई०सी०ई०) (अनौपचारिक)

(v) पोषण स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यवेक्षण स्वच्छता (एन०एच०ई०ई०एस०) (औपचारिक)

50. उपरोक्त परियोजनाओं में से (i) (ii) और (v) पहले से ही चल रही है जबकि अन्य नई परियोजनाएं है । तीन परियोजनाएं अर्थात् पी०ई०सी०आर०, सी० ए०पी०ई० और एन०एच०ई०ई० एस० प्राथमिक स्कूल पाठयचर्या को दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे बच्चों की जरुरतें और उनकी जीवन परिस्थिति के अनुकूल बनाने के लिए हैं—किताबी और ज्ञान परक पाठ्यचर्या-दाखिला न लेने और स्कूल छोड़ जाने के प्रमुख कारणों में से एक हैं । इस प्रकार की पाठयचर्या उन बच्चों में पढ़ने की रुचि पैदा नहीं कर पाती जिन्हें परिवार के जीवन यापन के लिए कमाना होता है और कमाने में सहायता करनी होती है । एक या दो राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को छोड़ कर देश के लगभग सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में पी०ई०सी० आर० और सी० ए० पी० ई० कार्यान्वित किए जा रहे हैं ।

51. पी०ई०सी०आर० के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र के प्रतिनिधि विभिन्न क्षेत्रों में 30 से 100 के बीच परियोजना का पता लगाया गया है और औपचारिक स्कूल के लिए ऐसे बच्चों की आवश्यकताओं, जीवन परिस्थितियों और

पर्यावरण के अनुसार विकेन्द्रीकृत पाठ्यचर्या केन्द्रीय स्तर की कार्यान्वियन एजेंसी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के मार्गदर्शन और सक्रिय सहयोग से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राज्य शिक्षा संस्थान के शैक्षिक यूनिटों द्वारा तैयार की जा रही है । इस समय इसे केवल एक संघ शासित क्षेत्र को छोड़ कर सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्विनत किया जा रहा है, इसमें 180 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, 2465 प्राथमिक स्कूल, 1100 शिक्षक और 4 लाख छात्र शामिल हैं । किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र में जितनी विविधताएं हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए विकेन्द्रीकृत और संगत पाठ्यचर्या इस परियोजना के अंतर्गत तैयार की गई पाठ्यचर्या और शिक्षा सामग्री को प्रयोगात्मक प्राथमिक स्कूलों में आजमाया जाता है, आजमाइश और जानकारी के आधार पर इसे परिशोधित किया जाता है और सम्पूर्ण राज्य/संघशासित क्षेत्र में व्यापक रूप से लागू किया जाता है । परियोजना कार्य में क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण, विभिन्न स्तर के प्रमुख और परियोजना कार्मिकों का प्रशिक्षण पाठ्यचर्या आयोजना और पुस्तकों एवं संदर्शिकाओं का विकास शामिल है। सफल परीक्षण के बाद कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों जैसे महाराष्ट्र, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह और मिजोरम में इसे व्यापक रूप से शुरू करने का प्रश्न उठाया गया है ।

52. सी०ए०पी०ई० के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्र-शिक्षकों के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण के अनिवार्य भाग के रूप में पूरी तरह से पर्यावरण से लिए गए विषयों पर अध्ययन वृत्तांत तैयार किए जा रहे हैं । इन वृत्तान्तों को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के आस पास स्थित अनौपचारिक अध्ययन केन्द्रों में आजमाया जा रहा है । यह अपेक्षा की जाती है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार की गई विकेन्द्रीकृत अध्ययन सामग्री न केवल अनौपचारिक केन्द्रों के लिए उपयोगी होगी बल्कि अनौपचारिक रूप से औपचारिक पाठयचर्या में भी शामिल हो सकेगी । सी० ए० पी० ई० के अंतर्गत तैयार किए गए अध्ययन वृत्तांत जब पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे तो अनौपचारिक शिक्षा की विषय वस्तु और रीति नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे । सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में एक जैसी प्रगति तो नहीं हुई है लेकिन काफी कार्य हुआ है । 15 राज्यों और चार संघशासित क्षेत्रों ने अपने-अपने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण एवं निर्माण पद्धति अपना ली है और वे अध्ययन वृत्तांतों को आजमाते हैं । अब तक शिक्षक प्रशिक्षकों और शिक्षक-प्रशिक्षार्थियों द्वारा लगभग 10,000 प्रारूप अध्ययन वृत्तांत तैयार किए जा चुके हैं । इनमें से 2800 की जांच की जा चुकी है और उनकी आगे कार्यवाही के लिए चयन कर लिया गया है 400 माडयुलों को प्रकाशन के लिए तैयार किया गया है । चार राज्यों अर्थात बिहार, मध्य प्रदेश तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश में 50 अध्ययन वृत्तांत पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं इसके अलावा 28 नमूना अध्ययन वृतांत रा० शै० अ० प्र० प० के सी ए पी ई ग्रुप द्वारा प्रकाशित किए गए हैं ।

53. लुधियाना, कोयम्बटूर, जबलपुर, कलकत्ता और बड़ौदा स्थित पांच क्षेत्रीय केन्द्रों में 1975 से एन० एच० ई० ई० एस० परियोजना को इसके कार्यान्वियन के प्रायोगिक चरण में शुरु किया गया था । वर्तमान एम० पी० ओ० अवधि में इस परियोजना को 14 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रायोगिक चरण में कार्यान्वियन के लिए शुरु किया गया है ।

54. वर्तमान एम० पी० ओ० अवधि, 1981-1983, के दौरान इन सभी परियोजनाओं के लिए 110 लाख अमरीकी डालर की कुल यूनीसेफ सहायता प्राप्त होने की आशा है ।

55. प्राथमिक स्तर पर हमारे पास में शायद सर्वाधिक महत्वपूर्ण और नई परियोजनाएं हैं । संकल्पनाओं की निहित क्षमता और विकसित तकनिकों का प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रदर्शन किया जाता है । उसके बाद, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मौजूदा प्रणाली में उन्हें व्यापक रूप से अपनाएं। सफलतापूर्वक प्रदर्शन पूरा कर लेने के बाद अब हम इसे व्यापक रूप से अपनाने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को समझाने बुझाने का कार्य कर रहे हैं । आगामी एक या दो वर्षों में इस प्रयास में काफी रोचक और उपयोगी अनुभव प्राप्त हो सकें ।

विचारार्थ मुद्दे

56. जहां एक ओर वर्षो के योजनाबद्ध विकास के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा का असाधारण विस्तार हुआ है वहां दूसरी ओर संवैधानिक लक्ष्य की प्राप्ति में इसकी प्रगति एक सर्वाधिक कठिन अवस्था हैं । संवैधानिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरे मनोयोग से कठिन, बाधाओं पर काबू पाना होगा ताकि विशेषकर पिछड़े राज्यों और क्षेत्रों के सर्वाधिक दुसाध्य वर्गो को लाभान्वित किया जा सके । सौभाग्यवश, जैसाकि उपर्युक्त वर्णन से पता चलता है, नीति संबंधी निर्णयों में कोई संदिग्धता नहीं, राजनीतिक इच्छा और जन सहयोग में कोई कमी नहीं है, और कुल मिलाकर पर्याप्त प्रशासनिक संकल्प भी है, लकिन दुर्भाग्यवश, यह सब सम्पूर्ण देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं । विशेष रूप से कुछ राज्यों/संघशासित क्षत्रों में कार्यान्वियन का स्तर और नीतियों को लागू करने की प्रगति न्यूनतम स्तर तक की भी नहीं है । अत: यह आवश्यक समझा गया है कि सुझाए गए और अपनाएं गए उपायों की सी० ए० बी० ई० द्वारा विस्तृत से जांच की जानी चाहिए । यदि आवश्यक हो तो क्या इनमें से किसी के नीति निर्देश में कोई परिवर्तन किया जाए ? बोर्ड द्वारा ऐसे उपायों का संकेत दिया जाए जिनमें सीमित संसाधनों के वावजूद भी उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सके । निम्नलिखित पैराग्राफों में खास तौर से विचार के लिए ऐसी कुछ बातों को उठाया गया है ।

सर्वसुलभीकरण के लिए कक्षा पद्धति और दाखिले की रिपोर्टें

57. इस तरह मिडिल स्तर की एक या दो कक्षाओं को माध्यमिक स्तर के साथ मिलाना अर्थात् कक्षा 5 को मिडिल

स्तर के साथ मिलाना संवैधानिक निर्देश के सफलतापूर्वक अनुपालन में सहायक नहीं होगा । इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हैं कि दो राज्य और एक संघशासित क्षेत्र सर्व-सुलभीकरण के लिए अपने दाखिले के आंकड़े राज्य/संघ शासित क्षेत्र में प्रचलित कक्षा पद्धति के अनुसार सूचित करते हैं जबकि कुछ अन्य राज्य ऐसा नहीं करते यद्यपि प्रारंभिक कक्षाओं की पद्धति को राष्ट्रीय पद्धति (5+3) के अनुरूप नहीं बदला जा सकता । दाखिले के आंकड़े 5+3 पद्धति के अनुसार होने चाहिए अर्थात् पहली पांच कक्षाओं में दाखिला प्राथमिक स्तर के रूप में और अगली तीन कक्षाएं मिडिल स्तर के रुप में होनी चाहिऐ, यदि वे कक्षाएं वहां हैं । अन्ततोगत्वा ऐसे राज्यों के लिए यह उपयुक्त होगा कि वें राष्ट्रीय पद्धति अपना लें ।

कक्षा 1 में प्रवेश की आयु

58. जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि 12 राज्यों और 6 संघ शासित क्षत्रों में 5 वर्ष की आयु के बच्चों को कक्षा 1 में दाखिला दिया जाता हैं । यद्यपि प्रारम्भिक शिक्षा में यह कोई गम्भीर समस्या नहीं है, इसे न केवल बाद्य कक्षा के सामजस्य को हटाकर प्रारंभिक शिक्षा पद्धति की दक्षता बढ़ाने के लिए बल्कि दाखिले की वास्तविक प्रगति को भी सुनिश्चित करने के लिए बदल कर 6 वर्ष कर दिया जाना चाहिए । राज्यों/संघ शासित क्षत्रों में अपर्याप्त सांख्यिकीय और मानिटरिंग तंत्र के कारण कम आयु के बच्चों की सही प्रतिशतता की सूचना नहीं दी गई है ।

निशुल्क शिक्षा संबंधी संवैधानिक निर्देश

59. संवैधानिक निर्देश के अनुसार सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों में कक्षा 1-8 तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध है, केवल एक राज्य अर्थात् उत्तर प्रदेश को छोड़ कर जहां कक्षा 6 से 8 तक लड़कों की शिक्षा अभी निशुल्क की जाती है । प्रारम्भिक स्तर पर निशुल्क शिक्षा के संवैधानिक निर्देश का भारत के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य में पालन न किया जाना अभी भी एक बड़ी बाधा है । सभी राज्यों/संघ-शासित क्षत्रों द्वारा निशुल्क शिक्षा की सुविधाएं उनके अपने योजनेत्तर संसाधनों में से सुलभ कराई जाती है ।

सर्वसुलभ स्कूली सुविधाएं

60. देश की, 964, 664 बस्तियों में से 300 या इससे अधिक की आबादी वाली 4,66,707 बस्तियां हैं जिनमें से 24,198 और 41,550 बस्तियों में क्रमशः 50% से अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की आबादी है । राष्ट्रीय मानदड के अनुसार इनमें से 93.05% बस्तियों में बच्चों के घरों से 1 किलोमीटर की पैदल आने जाने की दूरी के अंदर प्राथमिक स्कूलों की सुविधाएं हैं। 1 अनु० जाति और अनु० जन जाति बाहुल्य वाली ऐसी 90.65% और 90.48% बस्तियों में एक किलोमीटर के अंदर प्राथमिक स्कूल की ऐसी ही सुविधाएं सुलभ है ।

61. 300 से कम आबादी वाली बस्तियों की संख्या 4,97,957 है जिनमें से 200-299 तक की आबादी वाली बस्तियों की संख्या 1,31,630 है ।

62. छठी योजना में 300 या अधिक आबादी वाली ऐसी बस्तियों में एक किलोमीटर के अन्दर प्राथमिक स्कूल की सुविधाएं प्रदान किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं जहां एसी सुविधाएं नहीं हैं । 300 से कम आबादी वाली बस्तियों में यह व्यवहार्य नहीं है क्योंकि बच्चों की न्यूनतम संख्या अर्थात् 40 बच्चे प्रति शिक्षक ऐसी बस्तियों में उपलब्ध नहीं हो पाते खास कर 200 से कम आबादी वाली बस्तियों में । अतः पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्रों सहित बिखरी हुई आबादी वाली और गैर व्यवहार्य बस्तियों में प्राथमिक स्कूल की सुविधाएं अलग किस्म की होगी । ऐसे क्षेत्रों में औपचारिक प्राथमिक स्कूल केवल एक शिक्षक वाले स्कूल ही हो सकते हैं । कुछ राज्य सरकारें ऐसे क्षेत्रों में अनु० जाति और अनु० ज० जा० के बच्चों के लिए आवासीय आश्रम स्कूल चलाते हैं । तीसरी किस्म के प्राथमिक स्कूल सुविधाओं के रूप में सी० ए० वी० ए० कृपया मार्गदर्शन करें कि ऐसे क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र ही सर्वोत्तम समाधान हो सकते हैं बशर्ते कि शिक्षित व्यक्ति अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का प्रभार लेने के लिए उपलब्ध हों ।

एक शिक्षक वाले स्कूल

63. चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (1978-79) के अनुसार पूरे देश में एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या 1,64,931 है । उपलब्ध सूचना के अनुसार 1982-83 के दौरान एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या में 11,483 की कमी होकर यह संख्या 1,53,448 हो गई है । 22 जून, 1981 को हुए शिक्षण मंत्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि ऐसे स्कूलों में शिक्षकों को निरंतरता को या तो जहां सम्भव हो इन्हें दो शिक्षक वाले स्कूलों मे बदल कर अथवा छुट्टी रिजर्व शिक्षकों की व्यवस्था के साथ स्कूलों के समूह बना कर सुनिश्चित किया जाना चाहिए । उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य अपने संसाधनों के अंदर एक शिक्षक वाले स्कूलों को दो शिक्षक वाले स्कूलों में बदलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन डर है कि इस प्रक्रिया में काफी समय लगेगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय शि० सं० बोर्ड कृपया विचार करें कि क्यों न शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा सिफारिश किए गए दूसरे उपाय को सभी राज्यों द्वारा पूरी शक्ति से कार्यान्वित किया जाए । साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि हम एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या में वृद्धि न करें । यह कार्य एक शिक्षक वाले स्कूल खोलने के बजाए अनौपचारिक केन्द्र स्थापित करके किया जा सकता है ।

लड़कियों के दाखिले के लिए महिला शिक्षक

64. जैसाकि पहले बताया जा चुका है, दाखिला न लेने वाले बच्चों में 70% से अधिक लड़कियां है । विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किए गए उपायों के बावजूद प्राथमिक स्तर पर भी लड़कियों का दाखिला लड़कों मे कम हैं । चालू योजना के पहले तीन वर्षो के दौरान 107.71 लाख के कुल अतिरिक्त दाखिले में से लड़कों और लड़कियों के दाखिले क्रमशः 61,12 लाख और 46.59 लाख थे, अर्थात् 57% लड़के और 43% लड़कियां । यह अनुपात आदर्श रूप में तो क्रमशः 30% और 70% होना चाहिए क्योंकि स्कूल न जाने वाले बच्चों में लड़कियां 70% से अधिक हैं । सर्वसुलभीकरण के कार्यक्रम में यह बहुत बड़ी बाधा हैं । लड़कियों के दाखिले को पर्याप्त तेजी से बढ़ाने का एक उपाय यह है कि प्राथमिक स्कूलों में महिला शिक्षकों को नियुक्त किया जाए । इस समय प्राथमिक स्कूलों में तीन पुरुष शिक्षकों के मुकाबले में एक ही महिला शिक्षक है ।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कृपया इस बात पर विचार करे कि सेवानिवृत्त होने वाले इस्तीफा देने वाले शिक्षकों के स्थान पर और अतिरिक्त शिक्षकों के पदों सहित सभी नियुक्तियों के लिए महिला शिक्षकों को नियुक्त करने की स्पष्ट और दृढ़ नीति अपनाने के लिए राज्यों को सलाह दी जाए । यदि आवश्यक हो तो उपलब्ध स्थानीय महिलाओं को कम अर्हता होने पर अर्थात् कक्षा 8 उत्तीर्ण को भी भर्ती किया जाना चाहिए और उनकी अर्हताओं में सुधार करने और पूर्व सेवा प्रशिक्षण तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण, जब वे सेवारत हो, के प्रबन्ध किए जाने चाहिए । यह उपाय राज्य की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं ।

विकेन्द्रीकृत संगत पाठ्यचर्या की आवश्यकता

65. कमजोर वर्गों के बच्चों की औपचारिक स्कूलों द्वारा आकर्षित न कर पाने अथवा दाखिला लेने के तुरंत बाद स्कूल छोड़ जाने के प्रमुख कारणों में से एक कारण है अरूचिकर और ज्ञानपरक पाठ्यचर्या । ऐसी पाठ्यचर्या स्थानीय परिस्थितियों मे मेल खाती और सामाजिक आर्थिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थितियों के अनुसार एक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे बच्चों की जीवन संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है । जैसाकि पहले बताया जा चुका है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पद्धतियों के लिए पाठ्यचर्या सुधार के लिए यूनिसेफ की सहायता से देश में महत्वपूर्ण नवीन और प्रयोगात्मक परियोजनाएं शुरू की गई हैं । ऐसी ही एक परियोजना ई. ई. सी. आर. के अंतर्गत, उतनी ही विविध पाठ्यचर्याएं तैयार की गई हैं जितनी कि विविधाएं राज्य/संघ शासित क्षेत्र में मौजूद है। इन परियोजनाओं के परीक्षण, के स्कूलों में उत्साहजनक परिणाम निकले हैं । परियोजना स्कूलों में न केवल दाखिले में वृद्धि हुई है बल्कि स्कूल छोड़ जाने वालों की दर में भी काफी कमी हुई है । के०शि०सं० बोर्ड के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षक प्रशिक्षार्थियों द्वारा पूर्णतः पर्यावरण से लिए गए विषयों पर अध्ययन सामग्री (वृत्तांत) तैयार किए जा रहे हैं। उन्हें शीघ्र ही शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के आस पास के अनौपचारिक अध्ययन केन्द्रों में परीक्षण के तौर पर शुरू किया जाएगा। यह परियोजना बहुत ही समीचीन लगती है । दाखिले में वृद्धि करने और दाखिल छात्र स्कूल न छोड़ दें इसके विशिष्ट उपाय के रूप में पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करने के प्रयासों पर सी. ए. बी. ई. कृपया अपने विचार व्यक्त कर मार्गदर्शन करें ।

ग्रेड रहित स्कूल पद्धति और फेल न करने की नीति

66. उपलब्ध सूचना के अनुसार तीन राज्यों, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा ने प्रारम्भिक स्तर के अंत तक फेल न करने की, नीति पहले ही अपना ली है। आठ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् असम, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह, गोवा, दमन और दीव तथा पांडिचेरी में केवल कक्षा 1–2 में ग्रेड रहित स्कूल पद्धति शुरू की गई है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कक्षा 1–3 में ग्रेड रहित पद्धति है। केरल में कक्षा 1 में फेल न करना और प्राथमिक स्तर की अन्य तीन कक्षाओं में कम सें कम फेल करना प्रचलित है । इसके अलावा, राजस्थान में कक्षा 4 तक, पश्चिम बंगाल में कक्षा 5 तक और चण्डीगढ़ में कक्षा 6 तक फेल न करने की नीति लागू कर दी गई है । मणिपुर कक्षा 5 तक उदार कक्षोन्नति की नीति अपनाता है। सात राज्य और संघ शासित क्षेत्र अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, नागालैण्ड, पंजाब, त्रिपुरा, दिल्ली और मिजोरम ने इस नीति को स्वीकार नहीं किया है । हिमाचल प्रदेश में इसे शुरू किया लेकिन सूचना मिली है कि शिक्षकों के विरोध के कारण इसे छोड़ दिया गया है। कर्नाटक और सिक्किम में यह नीति विचाराधीन है। अन्य तीन संघ शासित क्षत्रों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नागर हेवली तथा लक्षद्वीप से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

उपर्युक्त स्थिति सें पता चलेगा कि स्कूल छोड़ जाने वालों की दर को कम करने के लिए विशिष्ट नीति के रूप में प्रारम्भिक स्तर पर फेल न करने की नीति को देश में अभी स्वीकार किया जाना है। जैसाकि पहले भी जोर दिया गया है एक बार की प्रोन्नति परीक्षा पर निर्भरता का शैक्षिक दृष्टि मे कोई औचित्य नहीं है। सतत् आवधिक मूल्यांकन और परीक्षाएं और साथ-साथ धीमी गति से सीखने वाले और अपेक्षित उपलब्धि न प्राप्त कर सकने वाले बच्चों के लिए उपचारी शिक्षण से न केवल शैक्षिक प्रगति ही सुनिश्चित होगी बल्कि स्कूल छोड़ जाने के कारणों को भी दूर किया जा सकेगा । क्या यह नीति सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में समान रूप से अपना ली जाए अथवा इसमें कोई परिवर्तन आवश्यक है तो कैसा, इस संबंध में के० शि० सं० बोर्ड कृपया सलाह देने का कष्ट करें ।

अनौपचारिक शिक्षा की वैकल्पिक सहायक पद्धति

67. जैसाकि पहले के विवरण से पता चलेगा अब तक देश में प्रारम्भिक आयुवर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के विकास को औपचारिक स्कूली पद्धति की वैकल्पिक सहायक पद्धति के रूप में बड़े पैमाने पर शुरू किया जा चुका है। मिडिल स्तर के लिए पाठ्यचर्या विकास से संबंधित कार्यक्रमों पर विशेष रूप से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान मुख्यत: प्राथमिक स्तर के अनौपचारिक केन्द्रों पर ही जोर दिया गया। शुरू में अनौपचारिक पद्धति ने औपचारिक पद्धति की कठोरता को दूर किया है ताकि स्कूल न जाने वाले बच्चे अपनी सुविधानुसार ऐसे केन्द्रों में जा सकें और प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ वे अपने आर्थिक कार्यकलाप भी जारी रख सकें। इस प्रयोजन के लिए औपचारिक स्कूल पाठ्यचर्या को सघन बनाया गया है और शिक्षार्थी को अपनी क्षमतानुसार प्रगति करने दी जाती है। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच (सी. ए. पी. ई.) की प्रयोगात्मक परियोजना को लगभग सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपनाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत अध्ययन वृत्तांत (सामग्री) पूर्णत: उस क्षेत्र के प्रमुख कार्यकलापों अथवा प्रमुखताओं पर आधारित पर्यावरण में तैयार किए जाते हैं। इस परियोजना के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के आस पास के अनौपचारिक अध्ययन केन्द्रों में परीक्षण के तौर पर शुरू करने के लिए अध्ययन वृतांत तैयार करने का काम शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षक-प्रशिक्षार्थियों को दिया जा रहा है। जब सी. ए. पी. ई. पूरी तरह से विकसित हो जाएगी तो इससे प्रारंभिक शिक्षा की पद्धति और विषय वस्तु दोनों में परिवर्तन हो सकेगा। के० शि० सें० बोर्ड अनौपचारिक पद्धति के संबंध में जो प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण से संबंधित है अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें।

बहुविध प्रवेश

68. प्रारम्भिक स्तर की किसी भी कक्षा में बहुविध प्रवेश की नीति को राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में अधिक स्वीकार्य पाया गया। 14 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में या तो प्राथमिक स्तर पर अथवा सम्पूर्ण प्रारम्भिक स्तर पर बहुतविधि प्रवेश की सुविधाएं प्रदान की जाती है। दो राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बहुविधी प्रवेश की सुविधा केवल अनौपचारिक पद्धति के छात्रों की ही दी जाती है। सात राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने इस नीति को स्वीकार नहीं किया है। एक राज्य और एक संघ शासित क्षेत्र में यह मामला विचाराधीन है। हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ भी अंतिम परीक्षा के आधार पर स्कूल छोड़ जाने वालों के लिए बहुविध प्रवेश की सुविधा प्रदान करते हैं। चार संघ शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि अधिकांश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अपनाई जा रही यह नीति पूर्णत: संतोषजनक नहीं है। यदि आवश्यक हो तो प्रारंभिक स्तर की किसी भी कक्षा में प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर बहुविध प्रवेश की सुविधा सुलभ कराई जानी चाहिए। केवल प्राथमिक स्तर पर अथवा अंतिम परीक्षा के आधार पर ही यह सुविधा देनी पर्याप्त नहीं हैं जब प्राथमिक और मिडिल दोनों स्तरों पर अनौपचारिक पद्धति विकसित हो जाएगी तो यह औपचारिक स्कूलों से पढ़ कर आने वाले बच्चों को भी कुछ परिस्थितियों में आकर्षित कर सके और अनौपचारिक पद्धति में उन्हें स्वीकार कर लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इस महत्वपूर्ण उपाय पर के० शि० सं० बोर्ड सलाह देनी चाहेंगे।

भौतिक सुविधाओं में कमी

69. विशेषकर प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के लिए टिकाऊ स्कूली ढांचों की सुविधा की भारी कमी का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। देशी और विदेशी सहायता से संस्थागत वित्तीय व्यवस्था के प्रयासों को तेज करने से भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं। अब समय आ गया है कि असंतोषजनक प्राथमिक स्कूल भवनों को कुछ टिकाऊ किस्म के ढांचे सुलभ कराने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। ये ढांचे पूर्णत: पक्के हों यह आवश्यक नहीं है। अब समय आ गया है जब आत्म सहायता आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। स्कूल भवनों के लिए उपकर लगाना जैसाकि मध्य प्रदेश द्वारा लगाया गया है राज्य सरकारों के लिए कठिन नहीं होना चाहिए। इससे यदि कुछ और नहीं तो मामूली उपकर के माध्यम से अपने संसाधनों को बढ़ाने की राज्य सरकार की उत्सुकता तो प्रदर्शित होगी ही। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन. आर. ई. पी.) के अंतर्गत सुविधाओं का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि यदि राजनीतिक समर्थन मिले तो 4000–5000 से अधिक वार्षिक आय वाले खाते-पीते अभिभावकों से अपनी आय के अनुसार मामूली सी राशि अर्थात 50 पैसे सें 2 रु० प्रति माह के हिसाब से एक वर्ष में 9 माह के लिए अंशदान लिया जा सकता है। अपेक्षाकृत गरीब वर्ग के लोगों को यदि और कुछ नहीं तो श्रम दान करने के लिए समझाया जा सकता है। साथ ही साथ संस्थागत वित्तीय व्यवस्था और बाह्य सहायता के प्रयास जारी रखे जा सकते है। के० शि० सं० बोर्ड इस संबंध में कृपया अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें।

प्रारम्भिक शिक्षा -- जन आन्दोलन का राष्ट्रीय कार्य

70. सर्वसुलभीकरण के कार्यक्रम में स्कूल से लगते क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित करना सर्वाधिक प्रभावी गैर वित्तीय उपायों में से एक हो सकता है। यह बताया गया है कि लगभग सभी राज्यों में किसी न किसी किस्म की स्कूल समितियां हैं। यह आवश्यक है कि साथ लगने वाले क्षेत्रों

के सभी वर्गों को इन समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जाये। इस समिति के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्त किया जा सकता है :

(i) बच्चों की शिक्षा विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों की उदासीनता को दूर करना ।

(ii) स्कूल की भौतिक आवश्यकताओं के लिए सामुदायिक अंशदान को तेज करना।

(iii) क्षेत्र के सभी स्कूल जाने योग्य आयु वर्ग के बच्चों के लिए व्यापक आधार पर दाखिला सुनिश्चित करना चाहे औपचारिक स्कूल में अथवा अनौपचारिक केन्द्र में और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना ।

(iv) स्कूल के कार्यकरण और शिक्षक उपस्थिति पर सजग निगरानी रखना ।

अनुबन्ध I

प्रारम्भिक स्तर पर नामांकन (कक्षा 1—8)

(आंकड़े 10 लाख में)

उत्तरोत्तर योजना अवधियों का आधारित वर्ष	आयु-वर्ग 6—11 कक्षा 1—5 कुल	बालिकाएं	आयु-वर्ग 11—14 कक्षा 6—8 कुल	बालिकाएं	आयु-वर्ग 6—14 कक्षा 1—8 कुल	बालिकाएं
1	2	3	4	5	6	7
1950-51	19.15	5.09	3.12	0.53	22.27	5.62
(प्रथम योजना) . . .	(42.6)	(24.6)	(12.7)	(4.5)	(32.4)	(17.4)
1955-56	25.17	7.64	4.29	0.87	29.46	8.51
(दूसरी योजना) . . .	(52.9)	(32.4)	(16.5)	(6.6)	(42.5)	(22.5)
1960-61	34.99	11.40	6.70	1.63	41.69	13.03
(तीसरी योजना) . . .	(62.4)	(41.4)	(22.5)	(11.3)	(48.7)	(30.9)
1968-69	54.37	20.21	12.54	8.55	66.91	23.76
(चौथी योजना) . . .	(78.1)	(59.6)	(33.5)	(19.4)	(82.5)	(45.5)
1973-74	61.25	23.11	13.95	4.30	75.20	27.41
(पांचवीं योजना) . . .	(77.0)	(59.9)	(32.8)	(21.0)	(61.6)	(46.4)
1979-80	70.94	27.18	19.48	6.53	90.42	33.71
(छठी योजना) . . .	(83.6)	(65.9)	(40.2)	(28.7)	(67.2)	(52.0)
1984-85	82.63	34.18	25.84	9.21	108.47	43.39
(छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य) .	(95.2)	(81.5)	(50.3)	(36.8)	(78.8)	(64.8)

पुनश्च : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े नामांकन अनुपात दर्शाते हैं।

2. 1984-85 के लक्ष्य 1971 की जनगणना से संबंधित जनसंख्या प्रक्षेपणी पर आधारित हैं।

3. 1968-69 तक के नामांकन अनुपात 1961 की जनगणना से संबंधित जनसंख्या प्रक्षेपणी पर आधारित है।

अनुबन्ध II

विषय : 1979-80 में कक्षा 1—5 में नामांकन

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	नामांकन (हजारों में)			नामांकन 6–11 आयु वर्ग की प्रतिशतता के रूप में		
		बाल	बालिकाएं	कुल	बाल	बालिकाएं	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
क.	राज्य						
1.	आन्ध्र प्रदेश	3057	2125	5182	93.8	67.7	81.0
2.	अस्सम	1013	718	1731	90.00	67.1	78.8
3.	बिहार	4632	1980	6612	104.2	47.4	76.7
4.	गुजरात	2480	1658	4138	118.7	84.6	102.2
5.	हरियाणा	783	381	1164	91.0	48.8	71.0
6.	हिमाचल प्रदेश	298	214	512	126.8	85.6	105.6
7.	जम्मू तथा काश्मीर	333	185	518	93.3	51.7	72.4
8.	कर्नाटक	2076	1612	3688	89.1	73.3	81.4
9.	केरल	1664	1564	3228	103.4	102.2	102.8
10.	मध्य प्रदेश	3234	1528	4763	84.9	43.2	64.8
11.	महाराष्ट्र	4687	3502	8189	124.4	97.5	111.4
12.	मणिपुर	85	66	151	97.7	73.3	85.3
13.	मेघालय	99	96	195	120.7	115.7	118.2
14.	नागालैण्ड	55	46	101	137.5	117.9	127.8
15.	उड़ीसा	1622	1058	2680	96.5	66.9	82.2
16.	पंजाब	1157	963	2120	118.1	107.6	113.0
17.	राजस्थान	2059	663	2722	88.0	30.4	60.2
18.	सिक्किम	24	16	40	150.0	100.0	125.0
19.	तमिलनाडु	3428	2800	6228	121.1	103.3	112.2
20.	त्रिपुरा	126	91	217	94.7	66.9	80.7
21.	उत्तर प्रदेश	6372	2945	9317	91.0	45.1	68.9
22.	पश्चिम बंगाल	3903	2496	6399	104.4	69.7	87.4
	कुल राज्य	43187	26708	69895	100.2	65.6	83.4
(ख)	संघ शासित क्षेत्र						
23.	अं० और नि० द्वीप समूह	14	12	26	140.0	120.0	130.0
24.	अरुणाचल प्रदेश	37	18	55	102.8	51.4	77.5
25.	चण्डीगढ़	23	17	40	95.8	73.9	85.1
26.	दादर और नागर हवेली	10	6	16	166.6	100.0	133.3
27.	दिल्ली	346	298	644	104.8	91.7	98.3
28.	गोआ दमन और दीव	67	58	125	104.7	90.6	97.7
29.	लक्षाद्वीप	4	3	7	154.6	128.6	141.9
30.	मिजोरम	34	31	65	90.0	89.9	90.0
31.	पाण्डीचेरी	41	35	76	120.6	100.0	110.1
	कुल संघ शासित क्षेत्र	576	478	1054	108.5	91.2	999.2
	कुल (राज्य और संघशासित क्षेत्र)	43763	27186	70949	100.2	65.9	83.6

अनुबन्ध—II जारी

विषय : 1979-80 में कक्षा 6–8 में नामांकन

क्रम संख्या	राज्य/संघशासित क्षेत्र	नामांकन (हजारों में)			नामांकन 11—14 आयु वर्ग की प्रतिशतता के रूप में		
		बाल	बालिकाएं	कुल	बाल	बालिकाएं	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
	(क) राज्य						
1.	आंध्र प्रदेश	537	275	812	27.8	14.8	21.4
2.	असम	368	240	608	48.6	32.7	40.7
3.	बिहार	1019	321	1340	41.0	13.3	27.8
4.	गुजरात	699	403	1102	57.9	35.4	46.9
5.	हरियाणा	320	110	430	62.7	24.4	44.8
6.	हिमाचल प्रदेश	122	54	176	87.8	37.8	62.4
7.	जम्मू तथा काश्मीर	113	54	167	57.0	27.4	42.2
8.	कर्नाटक	731	441	1172	55.2	34.7	45.2
9.	केरल	839	752	1591	91.8	85.3	88.6
10.	मध्य प्रदेश	937	299	1236	45.0	15.5	30.8
11.	महाराष्ट्र	1316	727	2043	58.8	23.7	46.5
12.	मणिपुर	21	12	33	44.7	23.1	33.3
13.	मेघालय	19	17	36	44.2	3.69	40.4
14.	नागालैण्ड	23	18	41	100.0	78.3	89.1
15.	उड़ीसा	371	172	543	39.0	18.9	29.2
16.	पंजाब	407	254	661	68.4	48.4	59.0
17.	राजस्थान	579	135	714	44.5	11.4	28.7
18.	सिक्किम	4	2	6	44.4	22.2	33.3
19.	तमिलनाडु	1100	667	1767	64.9	41.2	53.3
20.	त्रिपुरा	32	32	64	45.1	39.0	41.8
21.	उत्तर प्रदेश	1010	674	1684	49.4	33.8	41.7
22.	पश्चिम बंगाल	2120	672	2792	53.3	18.7	36.8
	कुल राज्य	12687	6331	19018	51.5	27.2	39.7
	(ख) संघशासित क्षेत्र						
23.	अं० और नि० द्वीप समूह	5	3	8	90.9	51.7	70.8
24.	अरुणाचल प्रदेश	6	2	8	35.3	11.8	23.5
25.	चण्डीगढ़	11	8	19	73.3	61.5	67.8
26.	दादर और नागर हवेली	2	0.6	2.6	40.0	17.1	27.7
27.	दिल्ली	175	128	303	90.7	67.4	79.1
28.	गोवा, दमन और दीव	38	29	67	97.4	70.7	83.7
29.	लक्ष द्वीप	1.5	0.9	2.4	125.0	75.0	100.0
30.	मिजोरम	13	17	30	76.4	61.1	68.5
31.	पाण्डीचेरी	18	14	32	90.0	66.7	78.0
	कुल संघशासित क्षेत्र	269	203	472	82.2	63.5	74.9
	कुल (राज्य और संघशासित क्षेत्र)	12956	6534	19490	52.0	27.7	40.2

बाल और बालिकाओं से संबंधित अनुमानों का अलग-अलग विवरण।

अनुबन्ध III

प्रारम्भिक शिक्षा के लिए योजनावार परिव्यय

(रु० 10 लाख में)

	परिव्यय		
	कुल शिक्षा	प्रारम्भिक शिक्षा	कालम 2 के मुकाबले कालम 3 की प्रतिशतता
1	2	3	4
प्रथम योजना (1951--56)	1690	930	55.0
दूसरी योजना (1956--61)	2770	880	31.8
तीसरी योजना (1961--66)	5600	2020	36.1
चौथी योजना (1969--74)	8220	2350	28.6
पांचवीं योजना (1974--78)	12850	4100	31.9
छठी योजना (1980—85)	25240	9050	35.9

(ख) प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन

छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में प्रौढ़ शिक्षा को प्रारम्भिक शिक्षा के एक भाग के रूप में शामिल किया गया । यद्यपि 1980--85 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए तथापि, छठी योजना के दस्तावेज में यह दर्शाया गया कि लक्ष्य 1990 तक 15--35 वर्ष आयु वर्ग के शत-प्रतिशत बच्चों को करना होगा। छठी योजना में प्रौढ़ शिक्षा के लिए 128 करोड़ रुपये (केन्द्र से 60 करोड़ रुपये तथा राज्यों से 68 करोड़ रुपये) के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 का वास्तविक योजनागत व्यय तथा वर्ष 1982-83 का योजनागत परिव्यय नीचे दिया गया है :--

1980-81		15.91 करोड़
1981-82		21.09 करोड़
1982-83	परिव्यय	26.71 करोड़

छात्रों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता से प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन नए 20-सूत्री कार्यक्रम का महत्वपूर्ण तत्व है । 15–35 आयु वर्ग के लगभग 11.55 करोड़ प्रौढ़ों का साक्षरता कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 1990 तक शामिल करना होगा । इस संख्या में से 55 लाख प्रौढ़ों को 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान शामिल किया गया और शेष 11 करोड़ प्रौढ़ों को वर्तमान वर्ष से लेकर 8 वर्षों में शामिल करना होगा ।

वास्तविक लक्ष्य

छठी योजना के प्रथम दो वर्षों (1980-81 तथा 1981-82) के दौरान 15–35 आयु वर्ग के कुल 56,89,724 (1980-81 के दौरान 30,99,000 तथा 1981-82 के दौरान 25,90,724) प्रौढ़ निरक्षरों को शामिल करने में सफलता मिली । वर्ष 1982-83 के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित 55.85 लाख के लक्ष्य के मुकाबले में यह आशा की गई थी कि लगभग 45 लाख प्रौढ़ निरक्षरों को शामिल करने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा । इस कमी का मुख्य कारण यह है कि तीन राज्यों अर्थात् गुजरात, केरल तथा पश्चिम बंगाल ने यह सूचित किया था कि उनके लिए 1982-83 हेतु निर्धारित लक्ष्य उनकी क्षमता से बहुत ऊँचे हैं और वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पायेंगे । राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चलता है कि 31-12-1982 की स्थिति के अनुसार लगभग 40 लाख प्रौढ़ों को शामिल किया गया ।

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं

यद्यपि इस कार्यक्रम की कार्यान्वित करना अधिकतर राज्यों का काम है किन्तु केन्द्र भी इसके कई प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । केन्द्र विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में फैली 316 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करता है । विभिन्न राज्यों में इन परियोजनाओं के वितरण को दर्शाने वाली सारणी संलग्न है । इन परियोजनाओं में अधिक से अधिक 26.83 लाख प्रौढ़ों को शामिल किया जा सकता है । ये परियोजनाएं मुख्य रूप से उन जिलों में हैं जिनमें साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत अर्थात् 36.17% से कम है। वर्तमान वर्ष के दौरान यह अनुमान लगाया गया है कि केन्द्र राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को 15.59 करोड़ रुपये की सहायता देगा ।

राज्य प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाएं

इसके अतिरिक्त राज्यों में उनकी अपनी ही राज्य प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाएं होती हैं । इन परियोजनाओं में अधिक से अधिक 15.58 लाख प्रौढ़ों को शामिल किया जा सकता है । दुर्भाग्यवश कई राज्यों ने प्रौढ़ शिक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी है और न ही उन्होंने उनके राज्यों में भारत सरकार द्वारा व्यय की गई राशि के बराबर राशि ही व्यय की है । ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना और राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रों की राज्यवार तुलना से यह स्पष्ट हो जाएगा ।

स्वैच्छिक संगठन

चालू वर्ष के दौरान केन्द्र ने स्वैच्छिक एजेंसियों और राज्य संसाधन केन्द्रों के लिए 75 लाख रुपये की सहायता दी है जो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आयोजित करेंगी और प्रशिक्षण साक्षरता सामग्री तैयार करने, अनुसंधान और मूल्यांकन का काम करेंगे ।

विश्वविद्यालय/कालेज

इस समय छात्र संचालित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के संचालन में 68 विश्वविद्यालयों तथा 705 कालेजों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। इससे संबंधित व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बजट में से वहन किया जाता है। ऐसे संचालित केन्द्रों की संख्या लगभग 9000 है तथा शामिल किए गए पढ़ने वालों की संख्या 2.5 लाख है। अनुमान है कि यदि हम इन कार्यक्रमों को संचालित करने में छात्रों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने तथा बड़ी संख्या

में छात्रों में उत्साह पैदा करने में सफल हो जाते हैं तो चालू वर्ष के दौरान उसमें दुगने छात्र शामिल किए जा सकते हैं तथा और आने वाले वर्षों में आगे और अधिक प्रौढों को शामिल किया जा सकता है। इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

केन्द्र को एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। केन्द्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करता है। यह मुख्य रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पाठ्यचर्या विकसित करने, सामग्री तैयार करने, मूल्यांकन जनसंचार माध्यमों के प्रयोग तथा अपेक्षित मार्गदर्शन और परामर्श के कार्य करता है। पिछले वर्ष के दौरान इस निदेशालय ने इन क्षेत्रों में पर्याप्त विशेषज्ञता विकसित कर ली है।

उपरोक्त के अलावा मंत्रालय अपने क्षेत्र अधिकारियों के माध्यम से राज्यों से पूर्ण संपर्क बनाए रखता है। यह अधिकारी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी है और उन्हें व्यवस्थित दौरों तथा चर्चाओं द्वारा विशेष राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र से संबंधित पूर्ण जानकारी देने का काम सौंपा गया है। जब प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्य कर रहे होते हैं तो क्षेत्र की स्थिति से परिचित होने के लिए ये अधिकारी कुछ केन्द्रों का दौरा करते हैं तथा इन राज्यों के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श भी करते हैं।

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रमों के अलावा, प्रौढ़ शिक्षा का कुछ कार्य प्रौढ़ महिला साक्षरता कार्यनामक कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है जो समाज कल्याण मंत्रालय के समेकित बाल विकास सेवा का एक घटक है। इन परियोजनाओं में से 200 परियोजनाएं इस समय कार्य कर रही हैं और आशा है कि पिछले वर्ष में अन्य 100 परियोजनाएं इस वर्ष कार्य करना आरंभ कर देगी। इन परियोजनाओं में प्रौढ़ साक्षरता के प्रयोजनार्थ 1.74 लाख महिलाओं को शामिल किया जा सकता है।

प्रौढ़ शिक्षा के संचालन में आने वाली कुछ मुख्य कठिनाइयां निम्नलिखित हैं:—

(I) विशेष रूप से महिला तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनुदेशकों की अपर्याप्तता।

(II) आवास, बिजली आदि के संबंध में पिछड़े क्षेत्रों में अपर्याप्त सुविधाएं

(III) रोजगार की खोज में यहां से वहां जाने के कारण साक्षरता कक्षाओं में नियमित रूप से भाग लेने में प्रौढों की कठिनाइयां।

विषय सं० 3 : महिला शिक्षा

1981 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता का स्तर 36.17 प्रतिशत है और महिलाओं की साक्षरता का स्तर 24.88 प्रतिशत है। 1961-81 के दौरान देश में मुख्य रूप से स्कूल शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार के परिणाम स्वरूप साक्षर महिलाओं की संख्या 275.79 लाख से बढ़कर 791.54 लाख से भी अधिक हो गई है तथापि, निरक्षर पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या भी उन वर्षों के दौरान बढी है। 1981 की जनगणना की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि देश के लगभग आधे लोग निरक्षर हैं तथा लगभग 3/4 महिलाएं निरक्षर हैं।

2. 6—14 आयु वर्ग की लड़कियां कुल गैर-दाखिल बच्चों का 77.1 प्रतिशत है। 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक उन्हें संविधान के अनुच्छेद 45 में उल्लिखित निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराने के संवैधानिक लक्ष्य को इस भयंकर समस्या से निपटना होगा। अधिक से अधिक लड़कियों को दाखिल करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद भी स्थिति बहुत ही विकट है। सभी संबंधितों का यह पक्का विचार है कि यदि कुछ प्रभावी कार्यक्रम काफी बड़े पैमाने पर शुरू नहीं किए जाते हैं तो समस्या आगामी योजना (7वीं योजना अवधि) के दौरान भी बनी रहेगी। जिसके परिणामस्वरूप यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकेगा।

3. छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के अनुसार 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को जिस पर नए 20 सूत्री कार्यक्रम में भी बल दिया गया हैं, वर्ष 1989-90 तक प्राप्त करना है। 1984-85 तक प्राथमिक स्कूलों में 95% दाखिले तथा मिडिल स्कूलों में 50% दाखिले और 1989—90 तक दोनों प्रकार के स्कूलों में 100% दाखिले का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं।

4. छठी योजना (1980-85) में औपचारिक स्कूल शिक्षा के जरिए I –VIII तक की कक्षाओं में अतिरिक्त दाखिला का लक्ष्य 180 लाख बच्चों (6—14 आयु वर्ग में) का है, प्रारम्भिक (कक्षाएं I—V) स्तर पर 117 लाख तथा मिडिल (कक्षाएं VI-VIII) स्तर पर 63 लाख-लक्षित अतिरिक्त दाखिला के लिए लड़कों तथा लड़कियों का अलग-अलग ब्यौरा निम्नलिखित है:—

(आंकड़ें लाखों में)

स्तर	लड़के	लड़कियां	कुल
प्राथमिक	47.00	70.00	117.00
मिडिल	36.50	26.50	63.00
कुल	83.50	96.50	180.00

वर्तमान योजना अवधि के दौरान अनौपचारिक प्रणाली के माध्यम से शामिल किए जाने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या 60 लाख हैं।

5. देश में योजनाबद्ध विकास की शुरुआत से ही लड़कियों का दाखिला लड़कों के दाखिलो के मुकाबले में बहुत कम रहा है। अनुबंध -I में दिए गए विवरण से यह स्थिति प्रमाणित हो जाती है। वर्ष 1950-51 में कुल दाखिला के 42.6 प्रतिशत के मुकाबले में लड़कियों का दाखिला प्राथमिक स्तर पर केवल 24.6 प्रतिशत था। वर्तमान योजना के आधार वर्ष (1979–80) में प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का दाखिला बढ़कर 65.9 प्रतिशत हो गया है। मिडिल स्तर पर लड़कियों का दाखिला 1950-51 के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 1979-80 में 27.7 प्रतिशत हो गया है। यह समस्या बराबर बनी हुई है और चालू योजना अवधि के अंत तक भी बनी रहेगी। लड़कियों के 100 प्रतिशत दाखिला का लक्ष्य पूरा करने की समस्या अगली योजना अवधि के दौरान भी हल करनी पड़ेगी। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों में गैरदाखिल लड़कियों का अनुपात सबसे अधिक है।

6. लड़कों से लड़कियों के पीछे रहने के सामाजिक आर्थिक कारणों के अलावा सबसे अधिक विकट समस्या अध्यापिकाओं की हैं। 1978-79 में, चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 15,19,182 शिक्षकों में से महिला शिक्षक केवल 4,37,696 (27.37 प्रतिशत) थी। शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़िसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में गैर दाखिल बच्चे 80 प्रतिशत से भी अधिक हैं, प्राथमिक शिक्षकों की कुल संख्या 9,50,491 है जिसमें से 1,81,223 अध्यापिकाएं (कुल में से 19%) हैं। अत: सर्वसुलभीकरण कार्यक्रम के हित में यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि यदि प्राथमिक स्तर पर अध्यापिकाओं की संख्या अध्यापकों से बहुत अधिक नहीं हो सकती तो अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं का अनुपात कम से कम बराबर होना चाहिए।

7. यद्यपि शिक्षा की मूल जिम्मेदारी राज्यों की ही है और उनके पास विशेष रूप से लड़कियों के लिए नि:शुल्क वर्दी तथा उपस्थित छात्रवृत्तियों की व्यवस्था जैसे प्रोत्साहन कार्यक्रम भी होते है तथापि भारत सरकार को समाज के एक कमजोर वर्गो के रूप में महिलाओं के संबंध में विशेष भूमिका निभानी है। 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत महिला शिक्षा को विशेष स्थान दिया गया है जिससे कि शिक्षा मंत्रालय पर एक विशेव जिम्मेदारी आ गई है।

8. प्रारंभिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा मंत्रालय प्रौढ़ शिक्षा तथा गैर औपचारिक शिक्षा के दो केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम संचालित करता है। इस समय ये दोनों योजनाएं केवल महिलाओं/लड़कियों के लिए ही संचालित नहीं की जाती हैं। यद्यपि इन कार्यक्रमों में महिलाओं तथा लड़कियों के दाखिले को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्राथमिकता दी गई है। शामिल किए जाने वालों की बड़ी संख्या को देखते हुए आगे पड़े भारी कार्य के लिए उचित गति पकड़नी होगी। राज्य सरकारों को उनके प्रयासों में सहायता करने के अतिरिक्त कार्रवाई के कुछ सीधे कार्यक्रम मंत्रालय को स्वयं शुरू करने होंगे। इस पृष्ठभूमि में वर्तमान कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं बनाई गई है:-

(I) महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा की यूनीसेफ सहायता प्राप्त योजना

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है ताकि वे विकासात्मक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले सकें फिर भी इन कार्यक्रम में महिलाएं अपेक्षित संख्या में भाग नहीं ले रही हैं। महिलाओं को बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नई योजना का उद्देश्य प्रौढ़शिक्षा कार्यक्रम मातृत्व तथा शिशु देखभाल का एक पर्याप्त घटक शुरू करने का है जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से हितकर होंगे। इस योजना का विवरण अनुबंध II के रूप में संलग्न नोट में दिया गया है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा के अन्तर्गत ही इस योजना को संचालित किए जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 24,000 केन्द्र प्रयोगात्मक आधार पर महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है।

दो वर्ष अर्थात् 1982-83 की अवधि के लिए इस कार्यक्रम के संचालन हेतु 71.00 लाख रुपये तक की यूनिसेफ सहायता उपलब्ध की गई है। इसमें से अधिकांश राशि महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों से सम्बंधित शिशु देखभाल केन्द्रों के लिए अपेक्षित सामग्री जुटाने हेतु राज्य सरकारों को नकद दी जाएगी जबकि और कुछ राशि सहायता सामग्री के रूप में प्राप्त होगी।

(II) केवल लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना में वित्त पोषण को व्यवस्था 50:50% की साझेदारी के आधार पर है। इस कारण इनमें से काफी राज्य सरकारों के लिए बराबर का हिस्सा जुटाना संसाधनों की कमी के कारण कठिन हो रहा है और इसीलिए वे अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत एक वर्ष में लक्षित लोगों को शामिल करने के लिए अपेक्षित केन्द्रीय सहायता का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। लड़कियां गैर दाखिल बच्चों का 71% है। उनके दाखिला को बढ़ाने के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता से बहुपक्षीय नीति जरूरी है। परिकल्पित उपायों में से एक उपाय है केवल लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र जिनमें अधिमानत: अध्यापिकाएं ही हों और इनमें स्थानीय

शिल्प कार्यकलाप (एस० यू० वी० डब्ल्यू०) रखे जाएं तथा ऐसे केन्द्रों के लिए 100% केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए। बनाई गई योजना का ब्यौरा अनुबंध-III के रूप में संलग्न है। यह परियोजना योजना आयोग को भेजी हुई है।

(III) अध्यापिकाओं की नियुक्ति

औपचारिक तथा अनौपचारिक स्कूलों में लड़कियों का दाखिला सुनिश्चित करने में एक सबसे बड़ी कठिनाई विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकाओं का अभाव है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए केवल यह एक विकल्प रह जाता है कि उस स्थान को शैक्षिक रूप से अर्हक लड़कियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए जहां शिक्षकों की मांग हो। शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में प्राथमिक स्तर पर अध्यापिकाओं की प्रतिशतता 19 है। इसका विवरण अनुबन्ध-IV में दिया गया है। तदनुसार, शुरू में, शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में प्राथमिक स्कूलों के लिए अध्यापिकाओं की भर्ती और प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय सहायता योजना तैयार की गई है। उक्त योजना की रूप रेखा अनुबन्ध-V में दी गई है। राज्यों की परिस्थितियों के अनुसार विशेष पाठ्यक्रमों तथा सान्तराल पाठ्यक्रमों के विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निर्धारण पर इस योजना में विशेष बल दिया गया है।

(IV) महिला छात्रावासों/आवासीय स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण

9. ऊपर (i), (ii), (iii) में दी गई योजनाओं में औपचारिक तथा गैर औपचारिक प्रणालियों में लड़कियों का दाखिला बढाने की नीति दी गई है। किन्तु इस योजना की नीति की कारगरता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिला के लिए छात्रावासों की व्यवस्था आवश्यक है। स्वास्थ्य, समाज कल्याण तथा शिक्षा क्षेत्र (20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 13, 14, 15 और 16, के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो में बुनियादी सेवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न महिला पदाधिकारियों की व्यवस्था की जा रही हैं। इसके अलावा, सबसे निचले स्तर पर तीनों क्षेत्रों को सम्बद्ध करने की अत्याधिक आवश्यकता है। बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा पूर्व स्कूल आयु वर्ग के बच्चों और माताओं के लिए आई० सी० डी० एस० माताओं के लिए ऐसी प्रौढ शिक्षा जिसका शिशु कल्याण तथा बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं पर प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे की सहायता कर रही हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी महिला पदाधिकारियो के लिए कार्यरत-महिला छात्रावास ब्लाक के बडे-बडे गांवों में स्थापित कर दिए जाएं तो ये वास्तव में ही बहुत लाभ प्रद होगा। ऐसे छात्रवासों मे केवल वास्तविक बाधाएं ही दूर नहीं होंगी बल्कि ये इन मूल सेवाओं को अन्तर क्षेत्रीय आधार पर व्यावहारिक रूप से जोड़ने में भी सहायक होंगे। क्योंकि समाज कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य देखभाल प्रति रक्षण पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा पूर्व-स्कूल बच्चों की देखभाल तथा कल्याण के सम्बन्ध में बच्चों और माताओं की सेवाओं के लिए केन्द्रीय मंत्रालय है यह प्रस्ताव किया गया है कि उन्हें इस अनिवार्य कार्रवाई के संबंध में नेतृत्व का काम सौंप दिया जाना चाहिए। क्योंकि कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण की योजना उक्त मंत्रालय द्वारा ही संचालित की जा रही है अत: इनसे इस मामले में भी कार्यवाई करने का अनुरोध किया गया है।

10. गृह मंत्रालय की अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जातियों के छात्रो के लिए छात्रावासों के निर्माणार्थ धन सुलभ कराता है। शिक्षा मंत्रालय भी छात्रावासों और कालेजों के निर्माण के लिए ऋण की एक योजना संचालित किया करता था। इस योजना को पुन: शुरू करने का प्रस्ताव है क्योंकि छात्रों और स्टाफ के लिए छात्रावास/आवासीय सुविधाओं का अभाव असंतोष का एक मुख्य कारण है और इससे महिला शिक्षा की प्रगति में गम्भीर रूकवाट पैदा होती है।

11. उपरोक्त सभी योजनाएं नई नहीं है बल्कि लगभग वर्तमान योजनाओं का ही विस्तार हैं और इनमें महिला शिक्षा के विस्तार पर विशेष बल दिया गया है। इस मामले के महत्व को देखते हुए वित्तपोषण की व्यवस्था के संबंध में कुछ सहायता विदेशी निकायों से भी प्राप्त की गई हैं यद्यपि यह सीमित अवधि के लिए ही है। अत: इन योजनाओं को नियमित योजनाओं के रूप में अपनाना तथा 1984–90 तक की अवधि के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करना भी आवश्यक होगा ताकि 20 सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। चालू योजना के दौरान यह अनुमान है कि इस योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकताएं 39.00 करोड़ रुपये वर्ष 1983-84 के लिए 15.69 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1984-85 के लिए 23.38 करोड़ रु० की होगी।

12. वर्तमान शिक्षा प्रणाली में लड़कियों की शिक्षा एक मुख्य कमजोरी है इस समस्या को सुलझाने के लिए केन्द्र और राज्यों दोनों को ही मिलजुल कर प्रयास करने होंगे।

13. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकर बोर्ड इस मामले पर आगे विचार करके लड़कियों और महिलाओं में शिक्षा के प्रसार को तेज करने के लिए अन्य उपायों की सिफारिश करना चाहेगा ताकि 7वीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात् 1989-90 तक प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

अनुबन्ध—I

प्रारम्भिक स्तर (कक्षाएं—1—8) पर दाखिला
1950-80 तथा लक्ष्य 1980-85

वर्ष	आयुवर्ग 6--11/कक्षाएं 1—5		आयुवर्ग 11--14/कक्षाएं 6--8		आयुवर्ग 6--14/कक्षाएं 1--8	
	कुल	लड़कियां	कुल	लड़कियां	कुल	लड़कियां
1	2	3	4	5	6	7
1950-51	191.55	50.85	31.20	5.34	222.75	59.15
(प्रथम योजना) . . .	(42.6)	(24.6)	(12.7)	(4.5)	(32.4)	(17.4)
1955-56	251.67	76.39	42.93	8.67	294.60	85.06
(दूसरी योजना) . . .	(52.9)	(32.4)	(16.5)	(6.6)	(42.5)	(22.5)
1960-61	349.94	114.01	67.04	16.30	416.98	130.31
(तीसरी योजना) . . .	(62.4)	(41.4)	(22.5)	(11.3)	(48.7)	(30.9)
1968-69	543.68	202.11	125.36	35.47	669.04	237.58
(चौथी योजना) . . .	(78.1)	(59.6)	(33.5)	(19.4)	(82.5)	(45.5)
1973-74	612.55	231.09	139.50	42.97	752.05	274.06
(पांचवीं योजना) . . .	(77.0)	(59.9)	(32.8)	(21.0)	(61.6)	(46.5)
1979-80	709.43	271.81	194.83	65.28	904.26	237.09
(छठी योजना) . . .	(83.6)	(65.9)	(40.2)	(27.7)	(67.2)	(52.0)
1984-85	826.33	341.76	258.35	92.10	1084.68	433.86
(छठी योजना के लक्ष्य) . .	(95.2)	(81.5)	(50.3)	(36.8)	(78.8)	(64.8)

टिप्पणी 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े दाखिला-अनुपात दर्शाते हैं।

2. 1984-85 के लक्ष्य 1971 की जनगणना से सम्बद्ध जन संख्या प्रक्षेपणों के आधार पर हैं।

3. 1968-69 तक दाखिला अनुपात 1981 की जनगणना से संबंधित जनसंख्या प्रक्षेपणों पर आधारित है।

प्रौढ़ शिक्षा

महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के वास्ते यूनीसेफ सहायता

भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम इस उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है, कि 1990 तक 15—35 आयु वर्ग की समस्त निरक्षर जनसंख्या के लिए शैक्षिक सुविधाओं में विस्तार कर दिया जाए । महिला शिक्षा कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया है ताकि वे विकासात्मक कार्यक्रमों, परिवार नियोजन तथा बाल कल्याण के संवर्धन में सक्रिय रूप से भाग ले सकें । मात्रात्मक दृष्टि से महिला शिक्षा से अत्यधिक समस्याएं पैदा होती है । 1981 की जनगणना के अनुसार, महिलाओं की साक्षरता स्थिति (0.4 वर्ग को छोड़कर) केवल 28.50% है ।

2. महिलाओं में साक्षरता की प्रतिशतता में कम वृद्धि के मुख्य कारण हैं: लड़कियों में प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार में सीमित सफलता, महिला शिक्षा के विरुद्ध सामाजिक दृष्टिकोण, समय पूर्व विवाह, घरेलू कामकाज में महिलाओं की वयस्तता और प्रायः गर्भधारण करने तथा कुपोषण के कारण बुरा स्वास्थ्य । इसके अलावा, महिला, शिक्षकों की अनुपलब्धता की समस्या भी एक मुख्य समस्या हैं जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में है ।

3. प्रसंगाधीन यूनीसेफ परियोजना का लक्ष्य है: प्रौढ़ शिक्षा के वर्तमान कार्यक्रम में प्रसूति और बाल देख रख के पर्याप्त घटक प्रारम्भ करना और विकासात्मक कार्यक्रमों, अर्थात् परिवार नियोजन समाकलित बाल विकास, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण संरक्षण आदि में महिलाओं को शामिल करना ।

4. यूनीसेफ परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार है :—

(1) मातृ तथा बाल देखभाल घटक के साथ एक समाकलित साक्षरता और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम विकसित करना, ।

(2) मातृ तथा बाल देखभाल के घटक के साथ प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम संचालित करने वाले अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा अनुस्थापन के लिए, उपयुक्त प्रणालियां तथा पठन सामग्री तैयार करना।

(3) मातृ तथा बाल देखभाल के संबंध में सभी क्षेत्रीय भाषाओं में पठन सामग्री तैयार करना जो पुरुष तथा महिला दोनों को प्रौढ़ शिक्षा कक्षाओं म प्रयोग में लाई जाएंगी ।

(4) उपर्युक्त (3) के लिए स्रोत आधार तैयार करना ।

(5) पोषण बाल स्वास्थ्य सफाई, बीमारी में देख-भाल आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर लघु पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्री तैयार करना ।

(6) 1982-83 के दौरान 24,000 केन्द्रों के लिए बाल स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(7) व्यवहार्यता तथा प्रभावशीलता के संबंध में अध्ययन संचालित करना जिसके अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में, महिला नौसिखियों को उनके भाग लेने के दौरान, बाल देखभाल सुविधाएं प्रदान की जाए।

(8) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की मातृ तथा बाल देखभाल घटक का नियमित अनुश्रवण तथा मूल्यांकन करने के लिए योजना बनाना।

5. यूनिसेफ सहायता मुख्य रूप से सां तथा बाल देखभाल केन्द्रों के घटक सहित विद्यमान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने, मांग तथा बाल देखभाल के विभिन्न, पहलुओं पर विशेष शिक्षण पठन पाठन सामग्री तैयार करने, महिलाओं में कार्य करने के लिए कला कौशल सहित कार्मिक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने और पठन पाठन शिक्षण सत्र आयोजित करने पर केन्द्रित है । महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कुल मिलाकर मुख्य उद्देश्यों के कार्य ढांचे, आधार ढांचे और वित्तीय पद्धति और देश में सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए अपनाए गए अनुश्रवण तथा मूल्यांकन पद्धतियों की सीमा के अन्दर ही तैयार किए जाएंगे । ऐसा प्रस्ताव है कि लगभग 24,000 केन्द्र इस परियोजना के अंतर्गत महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में प्रयोगात्मक आधार पर भाग लेंगे ।

6. कार्यक्रम 2 वर्ष अर्थात् 1982 और 1983 की अवधि के लिए है । युनिसेफ सहायता 7.72 लाख डालर अर्थात् 71.00 लाख रु० के लगभग होगी । परियोजना के अंतर्गत विभिन्न प्रयोजनों के लिए वर्ष 1982-83 के लिए इस आवंटन का वितरण इस प्रकार है :—

I आपूर्ति मदें	1982	1983
(1) उ० क्षे० के० तथा टा०क्षे० के० को सुदृढ़ करने के लिए दृश्य श्रव्य उपकरण	75,000	15,000
(2) बाल रक्षा केन्द्रों के लिये उपकरण तथा मृदा सामग्री .	1,50,00	1,00,000
(3) समुद्री भाड़ा . .	6,000	3,000
कुल	(I) 2,31,000	1,18,000

II गैर आपूर्ति क्रियाकलाप		
(1) विकास के लिए कार्यशाला संगोष्ठीय शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री का मुद्रण	75,000	2,50,000
प्रशिक्षार्थियों और अधिकारियों का प्रशिक्षण . .	15,000	50,000
अनुसंधान अध्ययन और मूल्यांकन	3,000	30,000
कुल (ii)	93,000	3,30,000
कुल (I) और (II)	3,24,000	4,48,000

कुल जोड़ = 7,72,000 (लगभग 71.00 लाख रु०)

केवल लड़कियों के लिए अनौपचारिक प्रारंभिक शिक्षा केन्द्र

6–14 आयु वर्ग की लड़कियों की प्रतिशतता कुल गैर नामांकित बच्चों का 77.1 है । गैर नामांकन की इस विशाल समस्या का संर्व-सुलभ प्रारंभिक शिक्षा के अनुच्छेद 45 संवैधानिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समाधान किया जाना है। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अधिकाधिक लड़कियां नामांकित करने के लिए किए गए प्रयासों के बावजूद स्थिति काफी गम्भीर बनी हुई है । सभी संबंधितों का यह पक्का विचार है कि यदि बड़े पैमाने पर कुछ प्रभावी कार्यक्रम शुरू नहीं किए जाते है तो अगली योजना अवधि के दौरान भी यह समस्या बनी रहेगी जिसका परिणाम लक्ष्य की अनुपलब्धि होगा ।

2. शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नौ राज्यों में जिनमें कुल गैर नामांकित बच्चों का 80% है यह समस्या अत्यंत गम्भीर है । यह भी सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के मामले में लड़के और लड़कियों के नामांकन के बीच यह अन्तर काफी अधिक है । औपचारिक पद्धति के जरिए अतिरिक्त नामांकन करने के वास्ते छठी योजना का लक्ष्य 180 लाख है—प्राइमरी स्तर पर 117 लाख तथा मिडिल स्तर पर 63 लाख । इसमें से लड़के और लड़कियों का अतिरिक्त नामांकन निम्न प्रकार है :—

(लाखों में)

स्तर	लड़के	लड़कियां	कुल
प्राइमरी . . .	47.00	70.00	117.00
मिडिल . . .	36.50	26.50	63.00
कुल . . .	83.50	96.50	180.00

उपर्युक्त आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि लड़कों का अतिरिक्त नामांकन कुल का 83.5 लाख है और लड़कियों का अतिरिक्त नामांकन 96.5 लाख हैं ।

आधार वर्ष (1979-80) के दौरान और योजना अवधि (1984-85) के अंत में लड़के और लड़कियों के नामांकन के बीच अन्तर निम्न प्रकार होगा ।

वर्ष	स्तर	प्रतिशतता की दृष्टि से लड़के और लड़कियों के नामांकन के बीच अन्तर
1979-80	प्राइमरी	34.3
1979-80	मिडिल	24.3
1984-85	प्राइमरी	26.6
1984-85	मिडिल	26.3

उपर्युक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि लड़के और लड़कियों के नामांकन के बीच का अन्तर चालू योजना के दौरान, प्राइमरी स्तर पर 1979-80 में 34.3% से 1984-85 में 26.6% तक घट जाएगा जबकि मिडिल स्तर पर यह अन्तर 1979-80 में 24.3% से 1984-85 में 26.3% तक थोड़ा और बढ़ जाएगा । तथापि औपचारिक पद्धति के जरिए लड़कियों का नामांकन बढ़ने के मामले में और अधिक प्रगति होने की संभावना नहीं है ।

3. औपचारिक पद्धति के लिए 180 लाख के अतिरिक्त नामांकन के अलावा आशा की जाती है कि चालू योजना अवधि के दौरान 60 लाख को अनौपचारिक पद्धति के जरिए इसमें शामिल किया जाएगा । औपचारिक तथा अनौपचारिक पद्धतियों की एक साथ लेने से अतिरिक्त नामांकन 240 लाख का होगा । प्राइमरी तथा मिडिल स्तर पर क्रमशः 95 और 50 की नामांकन प्रतिशतता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1981 की जनगणना के अनुसार, अतिरिक्त नामांकन लगभग 264 लाख होगा अतः यदि 1981 की जनगणना संबंधी प्राक्कलनों को ध्यान में रखा जाता है तो 24 लाख इसके अंतर्गत शामिल होने से रह जाएंगे। 24 लाख के अतिरिक्त नामांकन के काफी भाग को अनौपचारिक केन्द्रों की विशेष योजना जो केवल लड़कियों के लिए है के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है ।

4. शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नौ राज्यों में प्रारंभिक आयु वर्ग की अनौपचारिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 25.00 करोड़ रु० के परिव्यय की एक केन्द्र प्रायोजित योजना है । 50:50 आनुपातिक आधार पर संचालित इस योजना से आशा की जाती है कि चालू योजना के दौरान शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नौ राज्यों में कुल 53 लाख बच्चे शामिल कर लिए जाएंगे । उपलब्ध सूचना के अनुसार इन राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत शामिल कुल संख्या में 1/4 भाग लड़कियों का बैठता है । अतः प्राइमरी तथा मिडिल दोनों स्तरों पर केवल लड़कियों के लिए अनौपचारिक केन्द्रों के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना की आवश्यकता है । योजना को योजना आयोग के साथ हुए पहले विचार-विमर्श के आधार पर अन्तिम रूप दिया जा रहा है । प्रस्तावित योजना के अंतर्गत लड़कियों के केन्द्र में महिला अध्यापिका को वरीयता दी जाएगी इसके अतिरिक्त इस प्रकार के केन्द्रों के प्रति आकर्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ दस्तकारी के कार्यकलाप उपलब्ध कराने का

प्रस्ताव है । इस प्रयोजन के लिए यथा अनुमोदित केन्द्र प्रायोजित योजना में लागत की अन्य मदों के अलावा विशेष उपकरण अनुदान तथा फुटकर व्यय में वृद्धि के साथ एक अंशकालिक दस्तकारी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना होगा । यह अनुमान है कि प्राइमरी स्तर के 4 000 केन्द्रों में पहले वर्ष में एक लाख बच्चों को शामिल करने की लागत 136.40 लाख रुपये होगी । बाद वाले वर्षों में 4,000 केन्द्रों को चालू करने की लागत 104.40 लाख रु० होगी । इसी प्रकार पहले वर्ष में मिडिल स्तर के 4,000 अनौपचारिक केन्द्रों में एक लाख बच्चों के शामिल करने की लागत 165.40 लाख रु० होगी तथा दूसरे वर्ष में यह लागत 120.40 लाख रु० होगी । इस आधार पर प्राइमरी स्तर पर कुल 12 लाख लड़कियों और 8 लाख लड़कों तथा मिडिल स्तर पर 4 लाख लड़कियों को शामिल करने की कुल लागत 25.00 करोड़ रु० होगी । प्राइमरी स्तर पर 4 लाख लड़कियों को शामिल करने से प्रथम वर्ष में लागत 541.60 लाख रु० होगी । मिडिल स्तर पर 2 लाख लड़कियों को शामिल करने पर प्रथम वर्ष के दौरान 330.80 लाख रु० का खर्चा आएगा । अतः प्रथम वर्ष के दौरान कुल खर्चा 8.72 करोड़ रु० बैठता है ।

5. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कागज के रूप में वस्तु सहायता देने की एक और केन्द्रीय क्षेत्र योजना है जिसमें 28.00 करोड़ रु० के केन्द्रीय क्षेत्र परिव्यय के साथ अनौपचारिक शिक्षा का एक कार्यक्रम शामिल है । इस राशि का आधा अर्थात् 14.00 करोड़ रु० 20,000 मैट्रिक टन कागज की अनुमानित लागत है । हमें यह राशि पांच वर्ष की अवधि अर्थात् 1979—84 के लिए 21 जनवरी 1980 को हस्ताक्षरित भारत स्वीडिश करार के अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए स्वीडिश रोकड़ सहायता के रूप में प्राप्त हो रही है । शेष आधी राशि आयात व अन्य करों, संचालन भंडारण सेवा प्रभार आदि के जरिए आन्तरिक लागत के रूप में है । यह आशा की जाती है कि 1983-84 के दौरान इस योजना में 5.00 करोड़ रु० की बचत होगी । लड़कियों के वास्ते अनौपचारिक शिक्षा की योजना के लिए मात्र कागज की ही सहायता देने के बजाए अन्य रूप में भी सहायता देने हेतु स्वीडिश प्राधिकारियों से की गई बातचीत के परिणामस्वरूप स्वीडिश प्राधिकारियों ने इस संबंध में सिद्धांततः अपनी सहमति व्यक्त की है । तद्नुसार यह प्रस्ताव है कि लड़कियों के केन्द्रों का शत-प्रतिशत सहायता देने के प्रस्ताव को चालू योजना के भाग के रूप में स्वीकृत कर दिया जाए । अनौपचारिक शिक्षा के लिए प्रस्तावित प्रावधान को एस० आई० टी० ए० के लिए किए गए प्रावधान में से सम्भावित बचत के फलस्वरूप बढ़ा दिया जाएगा । लड़कियों के लिए शत-प्रतिशत सहायता अनौपचारिक शिक्षा के लिए बढ़े हुए प्रावधानों से ही पूरी की जा सकती है । तथापि वर्ष 1983-84 के दौरान अतिरिक्त आबंटन की आवश्यकता होगी ।

6. यदि स्वीडन अनौपचारिक शिक्षा के लिए अगले वर्ष के बाद सहायता जारी रखने से सहमत नहीं होता है तो चालू योजना अवधि के अन्तिम वर्ष (1984-85) में योजना को जारी रखने के लिए योजनागत स्रोतों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता होगी ।

अनुबन्ध–IV

शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 9 राज्यों के कुल प्राथमिक अध्यापकों, महिला अध्यापिकाएं तथा उनकी प्रतिशतता का ब्यौरा :

क्र० सं०	राज्य का नाम	कुल अध्यापक	महिला अध्यापक	महिला अध्यापिकाओं की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	98,136	28,321	28.86
2.	असम	49,218	10,194	20.71
3.	बिहार	1,37,605	20,526	14.92
4.	जम्मू और काश्मीर	16,768	6,100	36.38
5.	मध्य प्रदेश	1,22,823	22,376	18.22
6.	उड़ीसा	76,419	6,882	9.01
7.	राजस्थान	43,840	7,671	17.50
8.	उत्तर प्रदेश	2,47,339	45,300	18.31
9.	पश्चिम बंगाल	1,58,343	33,853	21.44
	कुल	9,50,491	1,81,223	19.00

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-8896
Date 20-10-95

शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों म प्राइमरी स्कूलों के लिए महिला अध्यापिकाओं की भर्ती तथा प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय सहायता

शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 9 राज्यों में 1980—85 के दौरान प्राईमरी स्तर पर लक्षित अतिरिक्त नामांकन निम्न प्रकार है :—

(लाखों में)

स्तर	लड़के	लड़कियां	कुल
प्राइमरी . . .	39.12	51.13	90.25

2. चालू योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान प्राइमरी स्तर पर अतिरिक्त नामांकन की प्रगति का अनुमान निम्न प्रकार है:

वर्ष	लड़के	लड़कियां	कुल
1980-81 . .	5.60	4.46	10.06
1981-82 . .	10.22	9.78	20.00
1982-83 . .	9.60	8.89	18.49
कुल	25.42	23.13	48.55

3. उपर्युक्त आंकड़े देखने से यह पता चलता है कि लड़कों के 39.12 लाख अतिरिक्त नामांकन में सें 24.12 लाख पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं जिसका अर्थ यह हुआ कि 64.98 की प्रतिशत प्राप्त हो गई। लड़कियों के मामले सें 51.13 लाख के लक्षित अतिरिक्त दाखिले में से 23.13 लाख अतिरिक्त दाखिले पहले ही प्राप्त किए जा चुके हैं जिसका अर्थ यह हुआ कि 45.24 की प्रतिशतता प्राप्त हो गयी। दूसरे शब्दों में लड़कियों के दाखिले में लड़कों के दाखिले की भांति प्रगति नहीं हुई है। प्रांरभिक स्तर पर लड़कियों को शामिल करने के लिए इस संबंध में विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है।

4. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रारम्भिक स्तर पर गैर नामांकित कुल बच्चों में सें 71 प्रतिशत लड़कियां है। क्योंकि छठी योजना में प्राइमरी स्तर पर ही बल दिया गया है। अतः चालू योजना के अगले दो वर्षो में और सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985—90) में, जिसके अन्त तक शिक्षा सब को सर्वसुलभ करा देने का लक्ष्य रखा गया है, लड़कियों के नामांकन के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिएं।

5. देश के योजनाबद्ध विकास के प्रारभ से ही लड़कियों का नामाकन लड़कों से काफी पीछे रहा है अनुबन्ध के रूप में दिया गया विवरण इस स्थिति का प्रमाण है। 1950-51 में 42.6 प्रतिशत के कुल नामांकन के मुकाबले प्राइमरी स्तर पर लड़कियों का नामांकन केवल 24.6 प्रतिशत रहा।

चालू योजना के आधार वर्ष (1979-80) में प्राइमरी स्तर पर लड़कियों का नामांकन लड़कों के 100.2 प्रतिशत नामांकन के मुकाबले 65.9 प्रतिशत तक बढ़ गया है। मिड़िल स्तर पर यह अन्तर काफी सुस्पष्ट है। यही एक समस्या है जो अभी तक बनी हुई है और चालू योजना अवधि के अंत तक भी बनी रहेगी, जब कि प्राइमरी स्तर पर लड़कियों की नामांकन प्रतिशतता 108.1 होगी इसके अलावा लड़कियों के शत-प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अगली योजना अवधि के दौरान इसे हाथ में लेना आवश्यक है। गैर नामांकित बच्चों में ज्यादातर संख्या लड़कियों की है जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, गैर नामांकित कुल बच्चों में 71% लड़कियाँ हो है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियां के बीच दाखिल न की गई लड़कियों का अनुपात सभी बच्चों सें अधिक है।

6. लड़कियों का लड़कों से पिछड़ने के सामाजिक आर्थिक कारणों के अलावा एक महत्वपूर्ण समस्या महिला अध्यापिकाओं का अभाव है। 1978-79 में चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 15,99,182 अध्यापकों में से, महिला अध्यापिकाओं की संख्या केवल 4,37,696 (27.37% थी। शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नौ राज्यों सें, प्राइमरी शिक्षकों की कुल संख्या 9,50,491 है जिसमें से महिला अध्यापिकाओं की संख्या 1, 81,223 (कुल का 19%) है। अत: कार्यक्रम को सर्वव्यापी बनाने के हित में यह भी अनिवार्य है कि यदि महिला अध्यापकों की संख्या पुरुष अध्यापकों से अधिक नहीं की जा सकती कम से कम उनके बर.बर होनी ही चाहिए।

7. राज्यों को यह सलाह दी जाती है कि वे पुरुष शिक्षकों और महिला शिक्षकों में एक समानता लाने के लिए महिला-शिक्षकों की संख्या में वृद्धि करें। यह भी सुझाव है कि राज्यों को नए शिक्षकों के सभी पदों पर महिला शिक्षकों की ही नियुक्ति करनी चाहिए। लेकिन किन्ही कारणवश, इस महत्वपूर्ण पहलू पर अभी तक कोई प्रगति देखने में नहीं आई है। अत : महिला शिक्षकों की नियुक्ति में, केन्द्रीय

सहायता के रूप में एक महत्वपूर्ण तथा सार्थक कार्यक्रम की आवश्यकता है।

8. शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए नौ राज्यों में से सात राज्यों में स्थापित किए जाने वाले नए प्राइमरी स्कूलों की कुल संख्या 25,634 अथवा 26,000 (बिहार तथा जम्मू और काश्मीर को छोड़कर जिनसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है) है। हमारे सुझावों के अनुसार ऐसी संभावना है कि ये स्कूल कम से कम 2 शिक्षकों वाले स्कूल होंगे। इस बात पर फिर जोर दिया जाता है कि नए शिक्षकों की कुल संख्या का कम से कम आधा भाग अर्थात 26,000 महिलाएं होनी चाहिएं। यह प्रस्ताव है कि चालू योजना के शेष दो वर्षों तथा अगली योजना अवधि के दौरान महिला अध्यापकों की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

तदनुसार यह प्रस्तावित किया गया कि शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र के अन्तर्गत अगले सात वर्षों के दौरान अर्थात 1980---90 तक जो कि लक्ष्य वर्ष है, में चलाने के लिए एक विशेष योजना तैयार की जानी चाहिए इस योजना के अंतर्गत यह प्रस्ताव किया गया कि शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों से केन्द्रीय निधियों से, एक चरणबद्ध कार्यक्रम के तौर पर, नियुक्ति, प्रशिक्षण अवधि के दौरान वेतन देने, तथा 1989-90 तक वेतन लागत के लिए धन रखा जाना चाहिए। 26,000 महिला अध्यापकों को जिन्हें केन्द्रीय निधि से नियुक्त किया जाना है तथा बनाए रखा जाना है इस प्रकार नियुक्त किया जाएगा :-

1983-84	8,000
1984-85	6,000
1985-86	6,000
1986-87	6,000

लड़कियों के दाखिले से जल्दी से जल्दी निपटने के लिए, प्राइमरी महिला अध्यापकों की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यवस्था का सुझाव दिया गया है।

9. विभिन्न राज्यों में शिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में विभिन्न पद्धतियां प्रचलित हैं। उन राज्यों में जहां शिक्षकों को पहले नियुक्त किया जाता है और फिर प्रशिक्षण पर भेजा जाता है, वहां प्रशिक्षण अवधि को शिक्षक पद पर सेवा की अवधि के रूप में माना जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की सिफारिशों के अनुसार प्राइमरी स्तर अध्यापक की प्रशिक्षण अवधि दो वर्ष है, जबकि कुछ राज्यों में एक वर्ष की पूर्व सेवा प्रशिक्षण अवधि अभी भी प्रचलित है। शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में चालू योजना के अगले दो वर्षों में 14,000 महिला अध्यापकों (8,000 अध्यापक 1983-84 में तथा 6,000 अध्यापक 1984-85 में नियुक्त किए जाने है) के रख रखाव के लिए कुल लागत कम से कम 18.62 करोड़ रुपये होगी (अध्यापक को औसतन 700 रुपये प्रतिमाह तथा 15-रु० प्रति वर्ष की वेतन वृद्धि जैसा कि अनुमानित लागत के संलग्न विवरण में दिखाई गई है)। प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम के हित में इस योजना के अंतर्गत, महिला अध्यापकों की नियुक्ति तथा उनके प्रशिक्षण की जिम्मेदारी केन्द्र की होगी भर्ती में अर्हता प्राप्त स्थानीय लड़कियों/महिलाओं को तरजीह दी जाएगी यदि ऐसा उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तब केवल ऐसी महिला अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कार्य करना स्वीकार करें। उन्हें एक अनुबन्ध पत्र भरना होगा ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से इन्कार ब कर सकें।

10. शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में महिला अध्यापकों की नियुक्ति में प्रस्तावित केन्द्रीय हस्तक्षेप से सभी आवश्यकताएं अपने आप पूरी नहीं ही जाएंगी। परन्तु महिलाएं अध्यापकों की संख्या में वृद्धि करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान निरूत्साही प्रयास इस प्रयोजन के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता से पर्याप्त उत्साह पकड़ेंगे। प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों के दाखिले को बढ़ाने और इन्हें स्कूलों में बनाए रखने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि चालू योजना के दो वर्षों के लिए 18.62 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 14 हजार महिला अध्यापकों की भर्ती, प्रशिक्षण और उनके अनुरक्षण के लिए ही केन्द्रीय सहायता दी जाएगी। अगली योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त 12,000 प्राथमिक महिला अध्यापकों की भर्ती, प्रशिक्षण और अनुरक्षण तथा चालू योजना अवधि के दौरान भर्ती की गई और नियुक्त की गई 14,000 महिला अध्यापकों के अनुरक्षण को जारी रखने के लिए सातवीं योजना अवधि की कुल लागत 107.47 करोड़ रु० होगी।

11. इन राज्यों में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता कोई समस्या नहीं है क्योंकि इनमें कुल मिलाकर 447 प्राथमिक स्तर की अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं। अब आवश्यकता है कि :-

(i) सभी नई नियुक्तियों के लिए अतिरिक्त अध्यापकों के पदों के स्थान पर और सेवा निवृत्ति के परिणाम स्वरूप और अन्यथा जाने वाले अध्यापकों के स्थान पर महिला अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में एक सजग और निश्चित नीति अपनाई जाए।

(ii) प्राथमिक स्कूलों में सेवा तथा उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण देने के लिए महिला अध्यापकों की भर्ती कर उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा पूर्व सेवा/और अथवा कार्यान प्रशिक्षण की अवधि के संबंध में राज्य का स्थिति के अनुसार निर्णय किया जाएगा। महिला अध्यापकों के पहले बैच को प्राथमिक स्कूलों

में तत्काल भेज दिया जाएगा, और महिला अध्यापकों के दूसरों बैच के उपलब्ध होने पर पहले बैच को प्रशिक्षण केन्द्र पर भेजा जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो इस तीव्रगामी कार्यक्रम के लिए एक वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण और ग्रीष्म-कालीन सान्तराल विशेष पाठ्यक्रम तैयार करना होगा।

(iii) महिला अध्यापकों की भर्ती और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी, परन्तु 1989-90 तक उनका खर्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।

1983-1984 से 1989-90 तक 26,000 प्राथमिक महिला अध्यापकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण तथा अनुरक्षण की अनुमानित लागत

अनुमानित लागत तैयार करते समय वेतन, भत्ते आदि सहित औसतन 700 रुपये प्रति माह का वेतन तथा प्रथम पांच वर्षों के लिए 15 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अनुवर्ती वर्षों के लिए 20 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि को इस लागत में लिया गया है।

छठी योजना 1983-84 तथा 1984-85 की आवश्यकता

	रु०
1983-84 के दौरान 8,000 प्राथमिक महिला अध्यापकों की नियुक्ति	6,72,00.000
1984-85 के दौरान 8,000 प्राथमिक महिला अध्यापकों का बनाए रखना . . .	6,86,,40.000
1984-85 के दौरान 6,000 नई प्राथमिक महिला अध्यापकों की नियुक्ति . . .	5,04,00.000
कुल रु०	18,62,40,000
अथवा रु०	18.62करोड़

सातवीं योजना 1985-90 के लिए आवश्यकता

1983-84 में नियुक्त किए गए 8,000 अध्यापकों को को 1989-90 तक कार्यपर लगाए रखना .	36,62,40,000
1984-85 में नियुक्त किए गए 6,000 अध्यापकों को 1989-90 तक कार्य पर लगाए रखना . .	25,33,80,000
1985-86 में 6,000 नए अध्यापकों की नियुक्ति तथा 1989-90 तक उन्हें कार्य पर लगाए रखना .	25,29,00,000
1986-87 में 6,000 नए अध्यापकों की नियुक्ति तथा 1989-90 तक उन्हें कार्य पर लगाए रखना .	20,21,40,000
कुल आवश्यकता : 26,000	
रु०	1,07,46,60,000
अथवा	
	107.47 करोड़ रुपये

विषय संख्या 4 शिक्षा में मूल्योनुस्थापन

क्यों कि चरित्र निर्माण शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है अत: सरकार का हमेशा यही विचार रहा है कि इस प्रयोजन के लिए शैक्षिक संस्थानों में नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा किसी न किसी रूप में दी जानी चाहिए। इस पहलू पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कई विशेषज्ञ निकायों जैसे कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, धार्मिक तथा नैतिक शिक्षण समिति, कुलपति सम्मेलन शिक्षा आयोग आदि द्वारा विचार किया गया है। स्वतन्त्रता से पहले के० शि० स० बोर्ड ने इस मामले पर विचार किया तथा निम्नलिखित संकल्प पारित किया।

"जब कि वे चरित्र निर्माण में आध्यात्मिक तथा नैतिक शिक्षण के मौलिक महत्व की स्वीकार करते हैं तो भी ऐसे शिक्षण, की व्यवस्था, जहां तक इसे सामान्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षण में नहीं किया जा सकता, की जिम्मेदारी उस घर तथा समुदाय की होगी जिससे कि बच्चा संबंध रखता है।"

तथापि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) जिसके अध्यक्ष डा० एस० राधाकृष्णन थे बोर्ड से सहमत नहीं हुआ तथा उन्होंने कहा कि:-

"बच्चे को यदि जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में धार्मिक पहलुओं को समझने के लिए मार्गदर्शन से वंचित रखा जाता है तो उसका पूर्ण विकास नहीं हो सकता। यदि इस मार्गदर्शन का काम घर और समाज पर छोड़ दिया जाता है तो सम्भावना यही है कि साम्प्रादायिक धर्मान्धता, असहिष्णुता और स्वार्थ ही पनपेगा।"

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की सिफारिश की कि सभी शैक्षिक संस्थानों को कम अवधि की मूक आराधना अथवा चिन्तन से कार्य प्रारम्भ करना चाहिए।

धार्मिक तथा नैतिक शिक्षण समिति (1959) जिसके अध्यक्ष श्रीश्री प्रकाश थे, देश के शैक्षिक संस्थानों में नैतिक तथा आध्यात्मिक विषयों के शिक्षण पर विशेष बल दिया। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की सिफारिश की कि प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक के सभी स्तरों के लिए ऐसी उपयुक्त पुस्तकें तैयार की जानी चाहिएं जिनमें सभी धर्मों के मूल विचारों के साथ-साथ महान धार्मिक नेताओं की जीवनियों तथा शिक्षाओं का सार, तुलनात्मक तथा सहानुभूतिपूर्वक दिया जाना चाहिए। समिति का यह भी विचार था कि यह बहुत कुछ वातावरण पर निर्भर करता है और अच्छा वातावरण अच्छे अध्यापक द्वारा तैयार किया जा सकता है। अत: शिक्षकों की भर्ती अथवा प्रशिक्षण पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। समिति ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षण के लिए एक व्यापक स्वरूप का भी इस प्रकार संकेत किया : (1) प्रारम्भिक (2) माध्यमिक, (3) विश्वविद्यालय। इस समिति

की सिफारशें जनवरी, 1961 में राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों तथा विश्वविद्यालयों को कार्यान्वित करने के लिए भेजी गई ।

शिक्षा आयोग (1964–66) ने यह सिफारिश भी की कि केन्द्र तथ राज्य सरकारों को सभी शैक्षिक संस्थाओं में नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा को शुरू करने के लिए कदम उठाने चाहिएं । आयोग ने चरित्र निर्माण के लिए स्कूलों के वातावरण, शिक्षकों के व्यक्तित्व, तथा बर्ताव, स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं को बहुत महत्व दिया । नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों को अप्रत्यक्ष रूप से पैदा करने के अतिरिक्त, आयोग ने इस बात पर भी विचार किया कि स्कूल कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष रूप से नैतिक शिक्षण देने की विशेष व्यवस्था ज्यादा वांछनीय है । श्री प्रकाश समिति की इन सिफारिशों से सहमति प्रकट करते हुए, कि स्कूल समय सारिणी में सप्ताह में एक या दो पीरियड नैतिक तथा अध्यात्मिक विषयों के शिक्षण के लिए नियत किए जाएं इसने यह सिफारिश की कि :

> "प्राथमिक स्तर पर ऐसा शिक्षण सामान्य तौर पर रोचक कहानियों के माध्यम से दिया जाएगा जिसमें विश्व के धर्मों से ली गई कहानियां शामिल होंगी । माध्यमिक स्तर पर पैदा किए जाने वाले मूल्यों के संबंध में अध्यापकों तथा छात्रों के बीच प्रायः चर्चाएं की जाएं । शिक्षण का तरीका कोई भी हो किन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि नैतिक शिक्षण बाकी की पाठ्यचर्चा से अलग हो जाए अथवा एक ही पीरियड तक सीमित हो जाए । यदि इन मूल्यों को छात्र चरित्र का एक अंग बनाना है तो जीवन के नैतिक रूप के सभी पहलुओं को शामिल करने की आवश्यकता है ।

विभिन्न समितियों तथा आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों को राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों को विचारार्थ तथा उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। क्योंकि शिक्षा मुख्यतः राज्यों की जिम्मेदारी है अतः यह काम मुख्यतः राज्य सरकारों का है कि वे विभिन्न समितियों तथा विशेष निकायों की सिफारिशों पर ध्यान दें तथा इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। 1980 में रा० शै० अ० प्र० परिषद द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित दस राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र ने स्कूल पाठ्यचर्या में नैतिक शिक्षा के लिए औपचारिक प्रावधान किया है :

> आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तथा पांडिचेरी ।

शिक्षा में मूल्य अनुस्थापन का प्रश्न आजकल जोर पकड़ चुका है । प्रधानमंत्री ने उपयुक्त मूल्यों को पैदा करने के महत्व पर बार बार बल दिया है । उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि हमें राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता धरोहर पर गर्व, सामासिक संस्कृति, प्राकृति से सामन्जस्य आदि जैसे मूल्यों पर बल देना चाहिए । हमारी आजादी की लड़ाई से संबंधित ज्ञान का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है ।

शिक्षा मंत्रालय ने दो कार्यदल नियुक्त किए––एक तो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा, विशेषकर छात्रों में नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों की पैदा करने के उद्देश्य से तथा दूसरा कुछ ऐसे माडल स्कूल स्थापित करने के संबंध में विचार करने के लिए, जो नैतिक शिक्षा पुनर्निर्मित आधार पर सामान्य शिक्षा के एक अंग के रूप में प्रदान करें ।

शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी कार्य दल के विचारार्थ विषय बहुत विविध हैं । दल ने अपनी रिपोर्ट में दस मुख्य सिफारिशें की हैं । जिन का सार नीचे दिया गया है :––

1. मूल्य शिक्षा से संबंधित पाठ्यचर्या तथा भारतीय संस्कृति का अध्ययन जैसा कि रिपोर्ट में दिया गया है सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यान्वित किया जाना चाहिए ।

2. एक अन्तरिम उपाय के तौर पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को––(क) मूल्य अनुस्थापन शिक्षा का दर्शन, (ख) मूल्य अनुस्थापन शिक्षा का मनोविज्ञान, तथा (ग) भारत तथा भारतीय मूल के तीन प्रश्न पत्र आजकल निर्धारित किन्हीं अन्य तीन पेपरों के स्थान पर वैकल्पिक पेपर के रूप में निर्धारित किए जाने चाहिएं ।

3. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की दो धाराएं शुरू करना–– (i) सीनियर सैकेन्डरी के पश्चात् 5 वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम जिससे शिक्षा की मास्टर डिग्री मिलेगी तथा, (ii) प्रथम तीन वर्षीय स्नातक अथवा 5 वर्षीय स्नातकोत्तर शिक्षा के पश्चात्, 2 वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम जिस से मास्टर डिग्री मिलेगी। यह कार्यक्रम रिपोर्ट में सुझाए गए शिक्षा शास्त्रीय विचारों तथा मूल्य अनुस्थापन पाठ्यचर्या के आधार पर होंगे ।

4. ऐसे तरीके से 2 वर्षीय अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ऐच्छिक आधार पर व्यवस्था, जिससे कि अध्यापक प्रशिक्षार्थी दो चरणों में सारे कार्यक्रमों को पूरा कर सकें––पहला चरण एक वर्ष को अवधि का और दूसरा चरण 5 वर्षों की अवधि से अधिक न हो जिसके अंतर्गत दूसरे वर्ष के कार्यक्रम को ग्रीष्म पाठ्यक्रमों अथवा अन्य अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है ।

5. पथप्रदर्शक और नेतृत्व सम्पन्न मूल्योनुस्थापन संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए, अधिमानतः प्रत्येक राज्य में एक। इन्हें रिपोर्ट में सिफारिश किए गए नए विचारों और मूल्यों के आधार पर अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

6. अध्यापक शिक्षा की कुछ राष्ट्रीय संस्थाएं स्थापित की जाएं और उन्हें भारत के अध्यापक शिक्षा कालेजों के कर्मचारियों को शिक्षित करने की विशेष जिम्मेदारी दी जाए।

7. मौखिक जांच के साथ-साथ लिखित परीक्षाओं द्वारा अध्यापक प्रशिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए एक अखिल भारतीय सार्वजनिक परीक्षा की व्यवस्था। इसमें परीक्षार्थी परियोजना रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। जिनमें उत्कृष्टता के विकास, मूल्य शिक्षा और भारत और भारतीय मूल्यों की जानकारी पर विशेष बल दिया जाए।

8. विभिन्न ऐसी बुराइयों और खामियों को दूर करने के उपाय जो अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में खतरनाक रूप से बढ़ रही है।

9–10. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के सभी पहलुओं से संबंधित कार्य के लिए एक राष्ट्र स्तरीय संगठन का निर्माण

अथवा

वर्तमान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को ही कुछ उपयुक्त संशोधनों के साथ उपरोक्त राष्ट्र स्तरीय संगठन के रूप में पुनर्गठित किया जाए।

रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए नए विचारों की आजमाइश का प्रस्ताव है और तत्संबंधी सिफारिशों को जांच और अपनाने के लिए विभिन्न सम्बन्धित निकायों के पास भेजा जा रहा है। बुनियादी रूप से दृष्टिकोण यह है कि शिक्षा में मूल्य अनुस्थापन का काम तीन ओर से हो :—

(1) नई शैक्षिक सामग्री का निर्माण।

(2) शिक्षा में मूल्य अनुस्थापन अध्यापकों की विशेष तैयारी।

(3) इस कार्य को व्यवहारिक रूप देने के लिए विशेष संस्थाओं की स्थापना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कुछ अच्छी योजनाएं भी तैयार कर ली हैं। इन योजनाओं पर योजना आयोग के परामर्श से विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।

मूल्य शिक्षा के कार्यक्रम से संबंधित कुछ बुनियादी सवालों पर मई, 1981 में शिमला में, रा० शै० अ० प्र० परि० द्वारा आयोजित, नैतिक शिक्षा संबंधी एक उच्च स्तरीय सेमिनार में विचार विमर्श किया गया। सैमिनार ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि देश के सभी स्कूलों में मूल्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए और इस प्रयोजन के लिए रा० शै० अ० प्र० परि० पाठ्यचर्या तथा शैक्षिक सामग्री तैयार करें और अध्यापक अनुस्थापन की व्यवस्था करें। इस सेमिनार की सिफारिशें विचार और कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पास भेज दी गई हैं।

रा० शै० अ० प्र० परि० नैतिक शिक्षा के लिए एक आदर्श पाठ्यचर्या तैयार करने का भी कार्य कर रही है। नैतिक शिक्षा संबंधी पाठ्चर्या की मार्गदर्शी रूप रेखाओं के विकास के लिए, नवम्बर, 1981 में बंगलौर में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित को गई थी। नैतिक शिक्षा की पाठ्यचर्या के विकास के लिए एक मार्गदर्शिका पहले ही तैयार की जा चुकी है जिसमें विभिन्न स्कूल स्तरों पर नैतिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और इसके साथ-साथ स्कूलों में नैतिक शिक्षा प्रदान करने के सामान्य सिद्धांतों के रूप में, दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। नैतिक शिक्षा संबंधी स्तरबद्ध पाठ्यचर्या के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। माध्यमिक कक्षाओं के लिए नैतिक शिक्षा संबंधी पूरक पुस्तकें लिखने के लिए लेखक नियुक्त कर दिए गए हैं।

बोर्ड कृपया इस महत्वपूर्ण विषय पर आगे विचार करे और शिक्षा में मूल्य अनुस्थापन की गति को तेज करने के लिए सर्वोत्तम सम्भव नीतियों के संबंध में सलाह देने का कष्ट करें।

विषय सं० 5 राष्ट्रीय एकता और शिक्षा

पाठ्य पुस्तकें राष्ट्र के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भारत सरकार की इस धारणा पर पर्याप्त बल दिया गया है कि शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश की गई व्यापक रूप रेखाओं के अनुसार शिक्षा का आमूलचूल पुनर्गठन देश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय एकता और समाज, की समाजवादी पद्धति के आदर्श को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय नीति में यह उल्लिखित है "इसके लिए पद्धति को इस प्रकार बदलना होगा कि वह जनजीवन के अधिक निकट आ सके, सभी स्तरों पर शिक्षा की कोटि में सुधार के लिए सतत और गहन प्रयास करने होंगे, विज्ञान और प्रौद्यौगिकी के विकास पर बल देना होगा और नैतिक और सामाजिक मूल्यों को पैदा करना होगा। शैक्षिक शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे राष्ट्रीय सेवा और विकास के प्रति वचनबद्ध योग्य और चरित्रवान युवक/युवतियां तैयार हो सकें। केवल तब ही शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ाने एक साझी नागरिकता और संस्कृति की भावना का निर्माण

करने और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में अपनी महत्व-पूर्ण भूमिका निभा सकेगी । यदि देश को अपनी महान सांस्कृतिक परम्पराओं और क्षमताओं के अनुरूप शिष्ट राष्ट्रों में अपना उचित स्थान प्राप्त करना है तो यह आवश्यक है"।

2. मंत्रिमंडल के निदेशानुसार इसे ध्यान में रखते हुए, एक समयबद्ध आधार पर पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है कि पुस्तकें राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन दें और राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध न हों । यह भी कहा जा सकता है कि यह कदम शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों और राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों पर उठाया गया है ।

3. शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के अनुरोध पर 1981 में रा० शै० अ० प्र० परि० द्वारा स्कूली पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन का एक कार्यक्रम शुरू किया गया था । शुरू-शुरू में मूल्यांकन के लिए इतिहास और भाषा की स्कूल पाठ्य-पुस्तकें ली गई हैं । अन्य विषयों से संबंधित पाठ्य पुस्तकें बाद में ली जाएंगी । कार्य की अधिकता को देखते हुए मूल्यांकन की प्रक्रिया को विकेन्द्रित कर दिया गया है । वास्तविक मूल्यांकन संबंधित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाता है रा० शै० अ० प्र० परि० सारे कार्यक्रम का समन्वय करती है । इसने विशेषज्ञों की सहायता से इतिहास और भाषाओं की पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करने के लिए मार्गदर्शी रूप रेखाएं और अन्य साधन तैयार किए हैं। मूल्यांकन की मार्गदर्शी रूप-रेखाओं और साधनों की इन एजेन्सियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई थी और सितम्बर, 1981 में रा० शै० अ० प्र० परि० की आयोजित बैठक में इन्हें अन्तिम रूप दिया गया था । उक्त बैठक में कार्यक्रम को जारी रखने के लिए भी एक प्रक्रिया तैयार की गई थी । अन्तिम रूप से तैयार मार्गदर्शी रूप-रेखाओं और साधनों को सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के पास भेजा जा चुका है ।

4. यह समीक्षा छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करने और ऐसी सामग्री और दृष्टिकोणों का पता लगाने के लिए शुरू की गई है जो प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, धार्मिक असहिष्णुता, भाषावाद, जाति भेद आदि को बढ़ावा देती है । वे मदें जिनसे समीक्षकों को आपत्तिजनक सामग्री का पता लगाना है, निम्नलिखित से संबंधित हैं :--

(i) साम्प्रदायिकता;

(ii) क्षेत्रवाद और भाषावाद;

(iii) जातिवाद;

(iv) जाति भेद; और

(v) रूढ़िवाद और अन्धविश्वास ।

5. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है । यह भी कार्य के स्वरूप को मद्दे नजर रखते हुए किया गया है क्योंकि यह कार्य राज्य स्तर पर अधिक अर्थपूर्ण तरीके से किया जा सकता है जहां पाठ्य पुस्तकें तैयार करने निर्धारित करने के बारे में निर्णय लिए जाते हैं । बहुत से राज्यों में एजेन्सियां नियुक्त की गई हैं जो पाठ्यपुस्तकें तैयार करने निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं । यह एजेन्सियां पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन का कार्यक्रम हाथ में लेने और मूल्यांकन कार्यक्रम के निष्कर्षों के कार्यान्वयन के लिए बेहतर कार्य कर सकती है । राज्यों को योजना बनाने और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संचालन समितियां गठित करने के लिए कहा गया है । ये समितियां कार्यक्रम के लिए मोटी मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित करती हैं और अन्य आवश्यक कदम उठाती हैं ।

6. राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चस्तरीय संचालन समिति गठित की गई है जो अन्य कार्यों के अलावा राज्यों/रा० शै० अ० प्र० परि० से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्टों पर विचार करेगी, कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करेगी, जहां आवश्यक हो आगे की कार्रवाई के लिए नीति संबंधी मार्गदर्शी रूप-रेखाएं बनाएगी और सीधे मूल्यांकन का कार्य करेगी । इस समिति की अभी तक दो बैठकें हुई हैं । इन बैठकों में राज्यों में किए गए कार्य की समीक्षा की गई और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों की कोटि में सुधार के लिए भविष्य की नीतियां तैयार की गईं ।

7. कार्यक्रम के प्रति उत्तरदायी राज्य एजेंसियों के प्रमुखों और संचालन समिति के सदस्यों की संयुक्त एक बैठक सितम्बर 3-4-1982 को अमृतसर में हुई । उस बैठक में विभिन्न राज्यों में किए गये कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई । बैठक में पाठ्यपुस्तकों की कोटि में सुधार के संबन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की गई :

(1) इतिहास और भाषाओं की स्कूली पाठ्यपुस्तकों का निर्माण निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार ही किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय एकता और युवकों की बौद्धिक सृजनात्मकता की प्रोन्नति के प्रयोजन को इस संदर्भ में विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए:--

(क) राष्ट्रीयता की सशक्त भावना हमारे सामाजिक अस्तित्व का आधार और हमारी एकता और शक्ति का आधार है ।

(ख) कि राष्ट्रीयता की यह भावना उन सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी हुई है जिन्हें हमारे लोग शताब्दियों से मिल-जुल कर सींचते आ रहे है और जिसने हमारी राजनीतिक

आजादी की लड़ाई को प्रेरित किया और जो आज तक राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है ।

(ग) कि राष्ट्रीयता की भावना हमें व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से उन विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों जिनको हम मानते हैं का आदर करने के लिए प्रेरित करती है और ऐसा आपसी आदर एक धरोहर है जिस पर हम भारतीय गर्व करते हैं ।

(घ) कि राष्ट्रीयता की चेतना हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को एक ओर तो अपने इलाके और राज्य के कार्यों में तो दूसरी ओर स्वदेश के प्रति कर्तव्यों और आभार के अलावा विश्व समुदाय के प्रति सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करती है ।

(2) ऊपर बताए गए सिद्धान्त राज्यों और केन्द्र की स्कूली पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन में प्रतिबिम्बित होने चाहिए ।

(3) राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन का कार्य चूंकि पूरा होने वाला है अतः यह आवश्यक है कि निजि तौर पर व्यक्तियों या सामूहिक रूप से तैयार की गई पाठ्यपुस्तकें जो कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जा रही है का भी मूल्यांकन किया जाए । उन एजेंसियों द्वारा जिनकों राज्यों ने नियुक्त किया है और भारत सरकार के निर्णय के अनुसार जिनको सौंपा गया कार्य वे पूरा कर चुकी हैं । इन पुस्तकों का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए ।

(4) उस सामग्री को पाठ्यपुस्तकों में शामिल करने का समय आ चुका है जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकती है । इस प्रयोजन के लिए राज्य स्तर पर विशेषज्ञ दलों द्वारा उपयुक्त पठन सामग्रियों को विकसित करना आवश्यक है । इसके साथ-साथ राष्ट्रीय संचालन समिति को राज्य एजेन्सियों के सहयोग से उनके संरक्षण के अन्तर्गत संग्रह/संदर्भ सामग्रियां तैयार करने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए । यह संग्रह और सामग्रियां राज्य और केन्द्र स्तर पर गठन सामग्रियां तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है ।

(5) यह महसूस किया गया कि यद्यपि विद्यमान पाठ्य-पुस्तकों में गंभीर गल्तियां नहीं होनी चाहिए फिर भी नीति के अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय एकता के ठोस मूल्यों को पर्याप्त रूप से शामिल किया जाए। इस दृष्टि में स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के विभिन्न विषयों की नामिकाएं बनाना आवश्यक है । यह नामिकाएं या तो विद्यमान पाठ्यपुस्तकों से या इनके निर्माण करने के प्रयास करके बनाई जा सकती है ।

(6) पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने के लिए राज्यों में उपलब्ध संस्थागत ढांचे की समीक्षा से पता चला है कि कुछ राज्यों में पाठ्यपुस्तकें तैयार करने, उनके निर्माण और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए इन ढांचों की समीक्षा की आवश्यकता है ।

8. ये सिफारिशें राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ भेज दी गई है कि आवश्यक कार्यवाई शुरू की जाए ।

9. पुस्तकों की समीक्षा विशेष रूप से विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित/अनुशासित इतिहास और भाषा पुस्तकों की समीक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकें एवं अन्य पुस्तकों की समीक्षा करने के लिए कहा है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह देखने के लिए कि क्या पुस्तकों में एतिहासिक घटनाओं का संतुलित विवरण दर्शाया गया है। अपने इतिहास पैनल को विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न स्तरों पर इति-हास में निर्धारित पुस्तकों की समीक्षा करने के लिए कहा है। आयोग ने इस मामले में भारतीय एतिहासिक अनुसंधान परिषद् को मदद भी मांगी है । आयोग के अन्य पैनलों की सहायता से भाषाओं और अन्य सामाजिक विज्ञान पुस्तकों की भी ऐसी ही समीक्षा करने का प्रस्ताव है ।

10. राष्ट्रीय एकता परिषद् की शिक्षा समिति ने इति-हास और भाषा पुस्तकों के मूल्यांकन और इनके सुधार करने में आने वाली कठिनाइयों को समझते हुए ताकि शैक्षिक सत्र 1983-84 तक उपयोग के लिए संशोधित पुस्तकें उपलब्ध हो सकें, इस बात पर बल दिया कि किसी भी स्थिति में सत्र 1983-84 से आगे देश में उपयोग में लाई जाने वाली इतिहास और भाषा की पाठ्यपुस्तकें संशोधित ही जानी चाहिए । 5 और 6 जनवरी 1983 को हुई राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों की बैठक में संबन्धित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया कि वे समीक्षा के प्रबन्ध के लिए ऐसे आदेश दें जिनसे शैक्षिक सत्र 1983-84 आरम्भ होने से पहले पाठ्यपुस्तकें संशोधित हो सकें।

11. जैसाकि पिछले पैरों में उल्लेख किया जा चका है इतिहास और भाषा की पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए

राज्यों को दिशा निर्देश और मार्गदर्शी रूप रेखाएं भेजी जा चुकी है। आशा है कि वर्तमान मूल्यांकन पूर्ण होने के पश्चात राज्य एजेंसियां अन्य विषयों विशष रूप से उन विषयों जिनमें कुछ आपत्तिजनक सामग्रियां अधिक हो सकती हैं कि पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन करेंगी। इतिहास और भाषा पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए तैयार की गई मार्गदर्शी रूप रेखाएं और दिशा निर्देश तथा और मूल्यांकन के लिए निर्धारित पद्धति में भाषा और इतिहास के अलावा अन्य विषय क्षेत्रों की पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन की नीतियां तैयार करने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन दिया गया है।

12. 3-4 सितम्बर, 1982 को अमृतसर में हुई कार्यक्रम के प्रति उत्तरदायी राज्य एजन्सियों के प्रमुखों और संचालन समिति के सदस्यों की उल्लिखित संयुक्त बैठक में, भविष्य में की जानी वाली समीक्षा/मूल्यांकन की समस्या पर पहले ही विचार कर लिया गया है। 7 से 9 दिसम्बर, 1982 को गांधी नगर में रा०शै०अ०प्र०प० द्वारा आयोजित स्कूली पाठ्यपुस्तकों से संबन्धित राष्ट्रीय सम्मेलन ने भी शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के प्रश्न पर विचार किया। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाली पाठ्य-सामग्रियां विकसित करने के लिए अधिक ठोस प्रयास करने की सिफारिश करते हुए सम्मेलन ने सितम्बर, 1982 में अमृतसर में हुई राज्य ऐजन्सियों के प्रमुखों और संचालन समिति के सदस्यों की संयुक्त बैठक द्वारा की गई सिफारिशों पर पुनः बल दिया।

13. इस बात की आवश्यकता है कि पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए उत्तरदायी एजेंसियां पाठ्यपुस्तकों की कोटि का सतत मूल्यांकन करें। इस प्रयोजन के लिए पाठ्यपुस्तकों की कोटि में सुधार के लिए उत्तरदायी संगठनों की अनुसंधान सहायता भी लेनी चाहिए।

14. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार वोर्ड कृपया आगे की जाने वाली उस कार्यवाई के संबन्ध में सुझाव दे जिससे कि पाठ्यपुस्तकों में ऐसी सामग्रियां शामिल की जा सकें जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर सकें। वे पुस्तकों की संस्थागत समीक्षाएं/मूल्यांकन करने के लिए भी दिशा निर्देश दे। पुस्तकों के निर्धारण/अनुशंसा के लिए उपयुक्त दिशा निर्देशों पर विचार कर लेना लाभदायक होगा ताकि ऐसी समीक्षा प्रारंभिक स्तर पर ही हो जाए।

विषय सं० 6, माध्यमिक शिक्षा

(क) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण वर्तमान शैक्षिक पद्धति के पुनर्निर्माण की ओर एक प्रमुख कदम है। 10+2 पद्धति की स्कूली शिक्षा के अन्तर्गत देश में +2 स्तर पर व्यावसायीकरण 1977 के आसपास इन उद्देश्यों को लेकर लागू किया गया था (i) बड़ी संख्या में स्कूल जाने वाले छात्रों को शैक्षिक विषय वस्तु को हटाए बिना अर्थपूर्ण व्यावसायिक कार्यक्रमों की तरफ मोड़ना;

(ii) किसी विशेष व्यावसायिक क्षेत्र के लिए अपेक्षित पर्याप्त कौशल के साथ छात्रों का उद्यमी आहवान के लिए तैयार करना; और

(iii) विश्वविद्यालयों में भीड़ कम करना।

2. शिक्षा और संस्कृति संबन्धी कार्यदल (1980—85) ने शिक्षा और विकास के बीच महत्वपूर्ण कड़ी और माध्यमिक शिक्षा को रोजगार से सम्बद्ध और संबन्धित बनाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए व्यावसायीकरण के महत्व पर बल दिया। दल ने सफल कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित पूर्व अपेक्षताओं की सिफारिश की :—

(i) निम्नलिखित का पता लगाने के लिए विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण :—

(क) ऐसे रोजगार क्षेत्र जिनके लिए मौजूदा कोई मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नहीं है।

(ख) पहले से ही उपलब्ध सुविधाएं अर्थात् कार्यशाला उपस्कर जिनका सरकारी और निजी क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है;

(ग) ऐसे शिक्षण और प्रशिक्षण कार्मिक जिनको अंशकालीन आधार पर लगाया जा सकता है।

(ii) भावी नियोक्ताओं और भावी शिक्षण और प्रशिक्षण कार्मिकों के परामर्श से रोजगार से संबन्धित प्रत्येक निर्धारित पाठ्यक्रम के लिए विस्तृत पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण तैयार करना।

(iii) सार्वजनिक और निजी मौजूद और भावी रोजगार की मांग को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों और छात्रों की संख्या तय करना है।

(iv) जहां कहीं आगे कौशल विकसित करने की आवश्यकता हो वहां पर प्रशिक्षुता उपलब्ध कराना।

(v) ऐसी नौकरियों के लिए उपयुक्त अर्हताएं निर्धारित करना ताकि व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सफल होने के बाद छात्रों को मान्यताप्राप्ति और उन्हें रोजगार मिल सके।

(vi) शिक्षा के उच्च स्तरों में प्रवेश की व्यवस्था करना।

3. छठी पंचवर्षीय योजना (1980—85) के दस्तावेज में भी यह उल्लेख है कि सामान्य शिक्षा पद्धति में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा महत्वपूर्ण शिक्षा समाप्ति स्तर हैं और शिक्षा को कार्य संसार के साथ जोड़ने वाले

पहले स्तर हैं। दस्तावेज में आगे कहा गया है कि शिक्षा और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी, माध्यमिक शिक्षा के रोजगारोन्मुख व्यावसायीकरण के माध्यम से मानव शक्ति के विकास से उपलब्ध होती है इसे बहुत ध्यानपूर्वक तैयार करना होगा और इसे मौजूदा और संभावित कार्य अवसरों और उपलब्ध शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तृत सर्वेक्षण पर आधारित होना चाहिए । इसके लिए विभिन्न एजेंसियों की विशेष भूमिका और जिम्मेदारियां भी ध्यान में रखनी होंगी और विकासात्मक कार्यक्रमों और शैक्षिक पद्धति के बीच संचालन स्तर पर समन्वय सुनिश्चित करना होगा। ऐसी विविधता आमतौर से माध्यमिक स्तर के बाद शुरू होगी और इसकी अवधियां व्यावसायिक क्षेत्र, व्यवसायों के समूह, अपेक्षित कौशल के स्वरूप और स्तर पर निर्भर होगी । इसमें स्कूली शिक्षा में प्रयोगात्मकता पर अधिक बल देने की परिकल्पना की गई है और इसको मजबूत करने के लिए क्षेत्र, खेत फैक्टरी की स्थितियों में वास्तविक उपयुक्त प्रशिक्षुता दी जानी चाहिए । यह आवश्यक नहीं है कि विभिन्न कौशलों को प्राप्त करने के लिए कठोर अनुक्रम का पालन किया जाए। आवश्यक शैक्षिक अंश जोड़कर, केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को मजबूत करना भी संभव होना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा पद्धति में ही किसी के रोजगार/कार्यजीवन को व्यावसायिक गति प्रदान करने और जीविका विकास के लिए उपयुक्त संबन्ध स्थापित किए जाने चाहिए । संबन्धित व्यावहारिक कौशलों की व्यवस्था के लिए विशेष रूप से काम करके सीखने के लिए कृषि उद्योग और वन विकास केन्द्रों और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का उपयोग किया जा सकता है । इसी प्रकार अनुभवी शिल्पियों और कला व्यावसायियों को उनसे अनावश्यक शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की मांग किए बिना संचालन कौशल सिखाने के लिए लगाया जाएगा । जहां कहीं भी नई सुविधाएं सृजित की जानी होगी उन्हें यथासंभव अधिकतम सीमा तक ग्रामीण क्षेत्रों में ही उपलब्ध कराया जाएगा।

4. व्यावसायीकरण के सिद्धान्त को देश भर में स्वीकार कराने को सुनिश्चित करने और हमारी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के लिए इस धारणा का संगतता और महत्व स्थापित करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र प्रायोजित योजना फरवरी, 1977 में आरम्भ की गई थी। केन्द्रीय सहायता इनके लिए उपलब्ध कराई गई थी। (i) जिला व्यावसायिक सेवा का संचालन (ii) जिला व्यावसायिक अधिकारियों की नियुक्ति (iii) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उपस्कर की खरीद (iv) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षकों के लिए वेतन । इस योजना के अन्तर्गत असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मनीपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिल नाडु, और त्रिपुरा के 131 चुने हुए जिलों में व्यावसायिक सेवा के लिए वित्तीय सहायता दी गई थी। कर्नाटक के 9 जिलों महाराष्ट्र के 8 जिलों और सिक्किम के 1 जिले में व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए भी आर्थिक सहायता दी गई थी। इस दिशा में पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए उपस्कर खरीदने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता दी गई थी । परन्तु इससे पहले कि यह कार्यक्रम जड़ पकड़ पाता केन्द्र प्रायोजित योजना को राज्य सेक्टर में स्थानान्तरिक करने के राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसरण में यह योजना अप्रैल, 1979 से बन्द कर दी गई। (v) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस योजना को पुनः सक्रिय करने के प्रयास फलीभूत नहीं हुए क्योंकि योजना आयोग इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ।

5. मौजूदा 24 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों जिन्होंने स्कूली शिक्षा की 10+2 पद्धति अपना ली है, में से, केवल 10 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिल नाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नागर हवेली, गोआ, दमन और दीव, दिल्ली, पांडिचेरी ने 10+2 स्तर पर यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया है। तमिल नाड को छोड़कर सभी राज्यों ने सीमित पैमाने पर ही इसे लागू कर दिया है।

6. 2 जून, 1981 को हुए पिछले शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की प्रगति की समीक्षा की गई सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की सिफारिश की :—

> "केवल कुछ राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने ही 10+2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किए हैं। शिक्षा में अपेक्षित सुधार लाने के लिए +2 स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण किए बिना नयी पद्धति को अपनाना प्रभावी नहीं होगा। इसलिए सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र + 2 स्तर पर बहुत शीघ्र व्यावसायिक पाठयक्रम लागू करेंगे। सर्वेक्षण करने पाठ्यचर्याएं तैयार करने, पाठ्यक्रमों को लागू करने, संस्थान खोलने आदि के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाएगा ताकि न्यूनतम सम्भव समय में अधिकतम परिणाम मिल सकें।

7. योजना आयोग ने इस बात पर बल दिया है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए—1983-84 की वार्षिक योजना—आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाए। इसने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सचिवों को भेजे अपने पत्र में इस बात पर बल दिया है कि "शिक्षा के अन्तर्गत योजना में माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर बल दिया गया है" इसके लिए विद्यमान और सम्भावित कार्य तथा सेवा अवसरों एवं उपलब्ध शैक्षिक और प्रशिक्षण सुविधाओं के व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर ध्यानपूर्वक तैयार किए

गये कार्यक्रम की आवश्यकता होगी। राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि इस प्रयोजन के लिए वार्षिक योजना 1983-84 में आवश्यक व्यवस्था की जाए।

8. हमने राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को भी लिखा है कि +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किए बिना नई शिक्षा पद्धति आरम्भ करना शैक्षिक सुधारों की भावना के विपरीत है। इनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे अगली वार्षिक योजना में इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त निधियां रखें और यह सुनिश्चित करें कि इसे सफल बनाने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

9. जनवरी, 1983 में हुए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों के सम्मेलन में व्यावसायीकरण पर विशेष बल देते हुए स्कूली शिक्षा की 10+2 पद्धति पर विचार किया गया।

सम्मेलन ने इस बात पर पुनः बल देना अनिवार्य समझा कि +2 स्तर की शिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है। यह बताया गया कि केवल कुछ राज्य ही इस कार्यक्रम को गम्भीरता से कार्यान्वित कर रहे हैं। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से कहा गया कि वे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को अधिक रोजगार उन्मुख बनाने के लिए तुरन्त कार्रवाई करें।

इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि इन पाठ्यक्रमों को एन०सी०यू०टी० से प्रमाणित कराने और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सफल होने वाले को प्रशिक्षुता योजना का लाभ देने के मामलों के संबंध में श्रम मंत्रालय से तुरन्त लिखा पढ़ी की जाए।

सम्मेलन ने इस बात की वांछनीयता से सहमति प्रकट की कि तमिलनाडु में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायीकरण के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव विभिन्न राज्यों द्वारा राज्य स्तर पर कायक्रम सभी राज्य सरकारों को उपलब्ध कराए जाएं।

इसलिए यह निर्णय किया गया कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से राज्य सरकार के अनुभवों को निर्धारित करने के लिए, रा०शै०अ०प्र०प०, तमिलनाडु सरकार के सहयोग से एक मूल्यांकन अध्ययन करेगी उससे अल्प राज्य सरकारों को व्यवसायीकरण के कार्यक्रम की योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने में सहायता मिलेगी।

10. इस क्षेत्र से संबंधित प्रयासों के समन्वय के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर पर एक अखिल भारतीय व्यावसायीकरण बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। बोर्ड व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम तैयार करेगा और राज्य एजेन्सियों का मार्गदर्शन और मदद करेगा।

11. वित्तीय सहायता के अभाव में मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को लगातार तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता आ रहा है। रा०शै०अनु० प्र०प० ये सेवाएं उपलब्ध कराता रहा है अर्थात् व्यावसायिक सेवा के लिए कार्मिकों को मार्गदर्शी रूप रेखाएं और प्रशिक्षण प्रदान करना; पाठ्यचर्या और शिक्षण सामग्रियां विकसित करना, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना; प्राचार्यों और अधिकारियों की अनुस्थापना, आलोचनात्मक, अध्ययनों का आयोजन और राष्ट्रीय गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन परन्तु इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त निवेश न होने के कारण कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के सम्मेलनों में संकल्प पारित हो जाने के बावजूद थी यह कार्यक्रम प्रगति नहीं कर रहा हैं। योजना आयोग ने भी व्यावसायीकरण के महत्व पर बराबर बल दिया है। जैसे कि वार्षिक योजना (1983-84) में परन्तु यह सभी बल कागज पर ही रहे हैं क्योंकि योजनाओं और बजटों में पर्याप्त प्रावधान नहीं हुआ।

12. जनवरी, 1983 में हुए उपरोक्त शिक्षा सचिवों के सम्मेलन के बाद मंत्रालय ने व्यावसायीकरण की गति बढ़ाने के लिए कुछ और कदम भी उठाए। तमिल नाडु और महाराष्ट्र में इस कार्यक्रम की उपलब्धियों को दर्शाने और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से व्यावसायीकयण से संबंधित एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई। व्यावसायीकरण के कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए अन्तरमंत्रालीय प्रतिनिधित्व के साथ एक संचालन समिति गठित की गई है।

13. जबकि इन कार्रवाइयों से इस कार्यक्रम के महत्व को तो बल मिल सकता है परन्तु परिणाम केवल निवेश के बाद ही प्राप्त हो सकते है। बोर्ड कृपया इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर और आगे विचार करें और +2 स्तर पर देश भर में व्यावसायीकरण लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम सम्भव नीतियों के संबंध में सलाह देने का कष्ट करे।

(ख) त्रिभाषा सूत्र

संसद द्वारा 1968 में पारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी त्रि-भाषा सूत्र निम्नलिखित है :—

> माध्यमिक स्तर पर, राज्य सरकारों को त्रि-भाषा सूत्र जिसमें एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल है अपनाना चाहिए, और इसे सशक्त रूप से कार्यान्वित करना चाहिए। जिसमें हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक दक्षिणी भाषा तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ हिन्दी भाषा और गैर हिन्दी भाषी राज्यों में अंग्रेजी भाषा को तरजीह दी गई है। विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में हिन्दी और/अथवा अंग्रेजी

के उपयुक्त पाठ्यक्रमों को भी उपलब्ध किया जाना चाहिए ताकि इन भाषाओं में निर्धारित विश्वविद्यालीय स्तरों तक छात्रों की योग्यता को उन्नत किया जा सके।

2. इसका अनुसरण करते हुए, संसद में 1968 में भाषा नीति संबंधी एक संकल्प पारित किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया कि :—

"जबकि देश के विभिन्न भागों में लोगों में एकता की भावना को बढ़ाना और संचार को सुकर करना आवश्यक है तो राज्य सरकारों के परामर्श से भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत त्रिभाषा सूत्र सभी राज्यों में पूर्णतया कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए ;

संसद यह संकल्प पारित करती हैं कि एक आधुनिक भारतीय भाषा के अध्ययन हेतु सूत्र के अनुसार व्यवस्थाएं की जानी चाहिएं जिसमें हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी तथा अंग्रेजी के अलावा एक दक्षिणी भाषा तथा गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ हिन्दी को तरजीह की गई है ।

3. भारत सरकार इस सूत्र के लिए वचनबद्ध है। इस भाषा सूत्र को अत्यधिक कारगर बनाने के लिए सभी दृष्टिकोणों से विचार किया गया है। तथापि, इसे कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है । शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय ने इस कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए अनेक योजनाएं शुरु कर रखी हैं जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं :—

1. स्कूलों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गैर-हिन्दी भाषी राज्यों को वित्तीय सहायता।

2. आंध्र प्रदेश, असम, केरल, कर्नाटक, नागालैण्ड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।

3. मुख्यतः द्वितीय भाषा के शिक्षण हेतु तथा भाषा शिक्षण संबंधी साहित्य और सामग्री प्रस्तुत करने के लिए स्कूल शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु सहयोग देने के लिए मैसूर, पूना, भुवनेश्वर, पटियाला, तथा सोलन में पांच क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों सहित केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर की स्थापना करना।

4. त्रि-भाषा सूत्र को पूर्णतया तथा उपयुक्त रूप से कार्यान्वित के संबंध में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को प्रेरित करने के लिए यह मंत्रालय राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को, हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने हेतु समय-समय पर लिखता रहा है और सूत्र को वास्तविक रूप से कार्यान्वित करने के लिए उनसे अनुरोध करता रहा है। इस विषय में त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन के लिए जून, 1982 में राज्य सरकारों को लिखा गया था कि वे भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही योजनाओं/सुविधाओं का पूर्ण लाभ उठाएं।

5. 31-12-1982 के अनुसार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा त्रि-भाषा सूत्र के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाने वाला विवरण (अनुबन्ध-1) संलग्न है। अधिकांश राज्यों ने त्रि-भाषा सूत्र को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है। राज्य विधान मंडल द्वारा 1968 में पारित संकल्प के अनुसार, तमिल नाडु सरकार ने दो भाषायी सूत्र स्वीकार किया है तथा पांडिचेरी और कराइकल क्षेत्रों में तमिलनाडु की भांति इस सूत्र को अपनया है। कुछेक राज्य, शैक्षिक आवश्यकताओं तथा वहां विद्यमान स्थानीय स्थितियों से सम्बद्ध कुछेक परिवर्तनों सहित इसे कार्यान्वित कर रहे हैं। कुछ राज्यों ने अपने राज्यों में हाल ही में नई भाषा पद्धतियां शुरू की हैं।

6. त्रि-भाषा सूत्र के संदर्भ में, कुछेक राज्यों में प्रचलित भाषा पद्धतियों के विरोध में समय समय पर प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं। संसद में इस विषय पर संसद प्रश्न/मुद्दे उठाए गए हैं। वाद-विवादों के दौरान इस पर बल दिया गया है कि त्रि-भाषा सूत्र का उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

7. कर्नाटक में गोकाक समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में राज्य सरकारों द्वारा त्रि-भाषा सूत्र के कार्यान्वयन तथा कर्नाटक सरकार द्वारा नई भाषा पद्धति को अपनाने के मामले पर जुलाई, 1982 के दौरान संसद में विचार-विमर्श किया गया था। चर्चा के दौरान, यह स्वीकार किया गया कि कर्नाटक सरकार द्वारा स्वीकृत भाषा पद्धति में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं को उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया कि राज्य में नई भाषा पद्धति का निर्णय लेते समय त्रि-भाषा सूत्र के स्वरूप को ध्यान में रखा जाए जबकि इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती कि राज्य में क्षेत्रीय भाषा अर्थात् कन्नड़ के अध्ययन को सुदृढ़ किया जाना चाहिए हिन्दी और अंग्रेजी के अध्ययन को, त्रिभाषा सूत्र से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में यथा निर्धारित उचित स्थान दिया जाना चाहिए।

8. महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शैक्षिक सत्र 1982-83 से राज्य के स्कूलों में भाषाओं के अध्ययन की पद्धति

में संशोधन करने का निर्णय किया है। इसके अनुसार, शिक्षा के सभी माध्यमों के छात्रों के लिए कक्षा 8 से 10 तक हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य नहीं होगा। मंत्रालय में प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें यह बल दिया गया है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार को परामर्श दिया जाए कि वह हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय बनाने तथा महाराष्ट्र के स्कूलों में हिन्दी के अध्ययन को यथा पूर्व स्थिति प्रदान करने के अपने आदेशों को वापस ले।

9. भारत सरकार बहुत चाहती है कि राज्य सरकारें त्रि-भाषा सूत्र को पूर्णतः कार्यान्वित करें। इस मामले को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समक्ष विचारार्थ तथा सिफारिशों के लिए रखा गया है।

भारत के राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(31-12-82 तक की यथा स्थिति के अनुसार)

क्रम संख्या	राज्य/संघशासित क्षेत्र	ली गई भाषाएं	वे कक्षाएं/स्तर जिनसे भाषाएं ली जाती हैं	कैफियत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	I. प्रथम भाषा	मातृ-भाषा और क्षेत्रीय भाषा कक्षा-1	
		(निम्नलिखित समूहों में कोई एक ली जा सकती है)।		
		(क) निम्नलिखित में एक : तेलुगु, हिन्दी, उर्दू, कन्नड़, तमिल, उड़िया, मराठी, गुजराती अथवा		
		(ख) निम्नलिखित में उल्लिखित भाषाओं में किसी एक का मिश्रित पाठ्यक्रम :		
		(क) समबद्ध प्राचीन भाषा सहित उपरोक्त अथवा	अंग्रेजी कक्षा — 5	
		(ग) निम्नलिखित का मिश्रित पाठ्यक्रम :		
		(1) उपरोक्त (क) में दी गई भाषाओं में से कोई एक, जो छात्र की मातृ भाषा है, और	हिन्दी कक्षा — 6	
		(2) एक राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में से एक अन्य भाषा (तेलुगु, उर्दू, तमिल, कन्नड़, उड़िया, तथा मराठी राज्य की मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाएं हैं)		
		अथवा		
		(घ) पाठ्यक्रम के एक गौण भाग के रूप में देवनागरी लिपि में हिन्दी के अध्ययन के साथ-साथ उर्दू या कन्नड़ या तमिल या उड़िया या मराठी या गुजराती।		
		II द्वितीय भाषा		
		(क) उनके लिए जो प्रथम भाषा के अन्तर्गत (क), (ख), (ग) और (घ) में से किसी एक समूह में हिन्दी नहीं पढ़ते हैं—हिन्दी।		
		(ख) उनके लिए जो (ख) में दी गई भाषाओं के अलावा प्रथम भाषा के अन्तर्गत तेलुगु नहीं पढ़ते हैं—तेलुगु		
		(ग) उनके लिए जो राज्य के स्थायी निवासी नहीं हैं अर्थात् जिन सरकारी कर्मचारियों का तबादला देश के किसी भी भाग में किया जा सकता हो, उनके बच्चे राज्य की कोई क्षेत्रीय भाषा (छात्र की प्रथम भाषा के अलावा अन्य) अथवा कोई आधुनिक भारतीय भाषाप्रथम भाषा के अलावा अन्य (ड्राइंग अथवा कोई अन्य ललित कला जैसे संगीत)।		
		III. तृतीय भाषा		
		अंग्रेजी : उन अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों को छोड़कर जिनमें अंग्रेजी अपेक्षाकृत पहले शुरू होती हैं, छठी कक्षा से शुरू होगी।		

1	2	3	4	5
2.	असम	(1) मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा (2) अंग्रेजी (3) (हिन्दी) असम वालों के लिए अथवा असमी (असम में न रहने वाले के लिए)।	त्रिभाषा सूत्र को केवल 5 से 7 तक की कक्षाओं में ही कार्यान्वित किया जा रहा है।	
3.	बिहार	1. मातृ भाषा-- हिन्दी, उर्दू, बंगला, उड़िया, मैथिली, नेपाली और अंग्रेजी 2. अंग्रेजी 3. राष्ट्रीय भाषा/द्वितीय भारतीय भाषा-- हिन्दी (जिनकी मातृ भाषा हिन्दी के अलावा है) अथवा संस्कृत अथवा बंगला, उड़िया, उर्दू	कक्षा 1 से 10 कक्षा 6--10 कक्षा 3--10	
4.	गुजरात	माध्यमिक शिक्षा स्तर पर, कक्षा 8 से 9 तक, त्रिभाषा सूत्र प्रचलित है। ये तीन भाषाएं हैं(1) गुजराती अथवा कोई अन्य मातृ भाषा (2) हिन्दी और (3) अंग्रेजी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाएं निचले स्तर की भाषाओं के रूप में पढ़ाई जाती हैं। यदि मातृ भाषा हिन्दी हो तो क्षेत्रीय भाषा निचले स्तर की भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। कक्षा 10 के अन्त में सार्वजनिक परीक्षा में दो भाषाएं अनिवार्य होती हैं और छात्र तृतीय भाषा को एक वैकल्पिक विषय के रूप में ले सकता है। अतः त्रिभाषा सूत्र सार्वजनिक परीक्षा स्तर पर भी लागू है।	उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हिन्दी-अंग्रेजी अनिवार्य भाषा विषय नहीं है किन्तु छात्रों की भाषा विषयों के समूह से कोई एक भाषा चुनने का विकल्प दिया जाता हैं।	
5.	हरियाणा	1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. पंजाबी/उर्दू/संस्कृत/तेलुगु	प्रथम प्राइमरी से छठी कक्षा/माध्यमिक से 7वीं कक्षा/माध्यमिक से	
6.	हिमाचल प्रदेश	1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. उर्दू	1 से 10 तक 6 से 10 तक 9 से 10 तक	
7.	जम्मू और काश्मीर	1. आसान उर्दू 2. अंग्रेजी 3. उर्दू/हिन्दी अथवा पंजाबी	कक्षा 1 से 5 तक कक्षा 6 से 10 तक कक्षा 6 से 10 तक	
8.	कर्नाटक	1. कर्नाटक राज्य सरकार निम्नलिखित भाषा-पद्धति माध्यमिक स्कूल स्तर पर अपनाएगी/शैक्षिक वर्ष 1987-88 से **(क) प्रथम भाषा :** कन्नड़ एकमात्र प्रथम भाषा होगी। (125 अंकों के लिए) **(ख) निम्नलिखित में से दो अन्य भाषाएं :** उर्दू, तमिल, तेलुगु, मराठी, अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, अरबी, फारसी, मलयालम और कन्नड़ (प्रत्येक के 100 अंक होंगे)		

1	2	3	4	5

टिप्पणी :—1. कृपांक 10 वर्ष की अवधि के लिए उन छात्रों को दिए जाएंगे।

(क) जिनकी मातृभाषा कन्नड़ नहीं हैं, उन्हें प्रथम परीक्षा में;

(ख) हिन्दी परीक्षा में उन छात्रों को, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, लेकिन हिन्दी का अध्ययन करते हैं।

2. कर्नाटक राज्य से बाहर के जो छात्र, कर्नाटक में कक्षा 8 अथवा 9 अथवा 10 में प्रवेश लेते हैं और जिन्होंने पहले कभी कन्नड़ का अध्ययन न किया हो, को प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी अथवा हिन्दी लेने की अनुमति दी जा सकती है।

3. गैर-कन्नड़ स्कूलों में कन्नड़ भाषा का शिक्षण, शैक्षिक वर्ष 1982-83 से प्रारम्भ होगा तथा हाई स्कूलों के लिए उक्त निर्धारित की गई भाषा प्रणाली शैक्षिक वर्ष 1987-88 से लागू होंगी।

9. केरल	(i) क्षेत्रीय भाषा	
	(क) मलयालय, तमिल, कन्नड़।	क्षेत्रीय भाषाएं कक्षा–1 से आगे तक
	(ख) अरबी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, कोंकनी, सिरलाक	
	(ii) द्वितीय भाषा-अंग्रेजी	द्वितीय–भाषा कक्षा 4
	(iii) तृतीय भाषा हिन्दी	तृतीय भाषा कक्षा 5
10. मध्य प्रदेश	(i) मातृ भाषा	त्रिभाषा सूत्र केवल
	(ii) (क) हिन्दी (अहिन्दी भाषियों के लिए)	मिडिल स्कूल स्तर अर्थात् कक्षा 6 से कक्षा 8 तक प्रचलित है।
	(ख) संस्कृत (हिन्दी भाषियों के लिए)	
	(iii) अंग्रेजी।	
11. महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य में, कुल मिलाकर शिक्षा के 7 माध्यम हैं जिनके द्वारा स्कूलों में कक्षा 5 से 10 तक शिक्षा प्रदान की जाती है।	
	विभिन्न शिक्षा माध्यमों के लगभग सभी मामलों में, राज्य में विभिन्न समुदायों की आवश्यकताओं के अनुसार त्रिभाषा सूत्र का अनुसरण किया जा रहा है। भाषा अध्ययन की इस प्रणाली को शैक्षिक वर्ष 1972-73 से लागू किया गया है। तथापि, जहां तक भाषा सूत्र का संबंध है, वर्तमान प्रणाली में शैक्षिक वर्ष 1982-83 से मामूली सा संशोधन कर दिया गया है इसके अनुसार संस्कृत कक्षा 8 से एक वैकल्पिक भाषा है। यदि कोई स्कूल संस्कृत को अपनाने का इच्छुक हो तो उसे संस्कृत के लिए हिन्दी को छोड़ने की छूट होगी। तथापि, हिन्दी कक्षा 7 तक अनिवार्य होगी।	
12. मणिपुर	(i) मणिपुरी अथवा मान्यता प्राप्त जनजातीय बोलियां	कक्षा–1 से
	(ii) अंग्रेजी	कक्षा–3 से
	(iii) हिन्दी	कक्षा–6 से
13. मेघालय	हिन्दी	प्राथमिक : (वैकल्पिक, यह केवल कुछ स्कूलों में ही अनिवार्य है, जिनमें शिक्षा का माध्यम हिन्दी है)
	हिन्दी	मिडिल : (वैकल्पिक, यह केवल कुछ स्कूलों में अनिवार्य है, जिनमें शिक्षा का माध्यम हिन्दी है)
	हिन्दी	उच्च (हाई)—वही— उच्च (हाई) अहिन्दी भाषी स्कूलों में अनिवार्य

1 2	3	4	5
14. नागालैंड	(1) मातृ भाषा	कक्षा–1 से आगे तक	
	(2) अंग्रेजी	कक्षा–1 से आगे तक	
	(3) हिन्दी	कक्षा–5 से	
15. उड़ीसा	(1) उड़ीया	त्रिभाषा सूत्र श्रेणी 6	
	(2) अंग्रेजी	से 10 तक लागू हैं	
	(3) हिन्दी	(अंग्रेजी श्रेणी 4 से शुरू की गई है।)	
16. पंजाब	(1) पंजाबी	कक्षा 1– से	
	(2) हिन्दी	कक्षा–4 से	
	(3) अंग्रेजी	कक्षा–6 से	
17. राजस्थान	(1) हिन्दी	मिडिल तथा माध्यमिक स्तरों में	
	(2) अंग्रेजी	त्रिभाषा सूत्र लागू है।	
	(3) संस्कृत अथवा उर्दू अथवा सिंधी अथवा गुजराती अथवा पंजाबी अथवा मलयालय अथवा तमिल अथवा बंगाली		
18. सिक्किम	(1) अंग्रेजी	कक्षा–1 से 12 तक }	
	(2) हिन्दी	कक्षा–1 से 8 तक } **	
	(3) नेपाली/तिब्बती/लेपचा/लिम्बू	कक्षा–1 से 8 तक }	
19. तमिलनाडु	(1) तमिल अथवा छात्र की मातृ-भाषा जहां तक यह तमिल से भिन्न है।	प्रथम भाषा कक्षा–1 से पढ़ाई जाती है और दूसरी भाषा	तमिलनाडु में राज्य विधान मंडल के संकल्प के अनुसार दो भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं।
	(2) अंग्रेजी अथवा कोई अन्य अभारतीय भाषा	अंग्रेजी कक्षा–3 से अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है।	
20. त्रिपुरा	(1) बंगला प्रथम भाषा	कक्षा–1	राज्य में माध्यमिक स्तर के स्कूलों की कक्षाओं में इस भाषा सूत्र के कार्यान्वयन हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।
	(2) अंग्रेजी––द्वितीय भाषा	कक्षा 3	
	(3) संस्कृत––हिन्दी तृतीय भाषा	कक्षा––7 और 8 के लिए	
21. उत्तर प्रदेश	(1) हिन्दी	कक्षा–6 से 8 तक	
	(2) संविधान की आठवी अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से एक	त्रिभाषा सूत्र कार्यान्वित किया जा रहा है।	
	(3) अंग्रेजी अथवा कोई अन्य आधुनिक योरपीय भाषा।		
22. पश्चिम बंगाल	(1) पहली भाषा––एक		
	असमी, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, हिन्दी, लुशाई, मलयालय, मराठी, आधुनिक तिब्बती, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, (गुरमुखी), संथाली, सदनी, तेलुगु, तमिल, उर्दू।		
	(2) दूसरी भाषा––एक		
	अंग्रेजी यदि अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा पहली भाषा के रूप में पढ़ी जाती है अथवा बंगला यदि अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में पढ़ी जाती है।	कक्षा 6 से कक्षा 10 तक	
	(3) तीसरी भाषा––एक		
	(क) प्राचीन भाषा	कक्षा 6 से	

** कक्षा 9 और 10 में या तो 2 अथवा 3

1	2	3	4	5
		(ख) अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक विदेशी भाषा।	कक्षा X तक	
		(ग) बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित पहली भाषा के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा।		
23. अरूणाचल प्रदेश		(क) अंग्रेजी पहली भाषा के रूप में	कक्षा–1 से	
		(ख) हिन्दी दूसरी भाषा के रूप में	कक्षा–1 से	
		(ग) असमी तीसरी भाषा के रूप में	कक्षा–6 से कक्षा–8 तक	
24. अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह		हिन्दी वैकल्पिक अंग्रेजी वैकल्पिक मातृ भाषा हिन्दी तथा अंग्रेजी अनिवार्य मातृ भाषा मातृ भाषा अंग्रेजी/हिन्दी	1 तथा 2, 3 तथा 8 8 तथा 9	
		मातृ भाषा अंग्रेजी/हिन्दी	11 तथा 12	
25. चण्डीगढ़ प्रशासन		1. हिन्दी 2. पंजाबी	जो छात्र पहली भाषा के रूप में हिन्दी लेते हैं, उनका कक्षा 4 से पंजाबी लेनी अपेक्षित है। इसी प्रकार जो छात्र पहली भाषा के रूप में पंजाबी को लेते हैं, उनको कक्षा 4 से दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी लेनी अनिवार्य है।	
		3. अंग्रेजी	कक्षा—3 (साधारण स्कूल) एल०के०जी० (माडल स्कूल)	
26. दादरा तथा नागर हवेली		हिन्दी	5 वीं	
		गुजराती	पहली	
		मराठी	पहली	
		अंग्रेजी	5 वीं	
27. दिल्ली		(क) मिडिल स्तर पर (कक्षा 6 से 8 तक)		
		(i) हिन्दी		
		(ii) अंग्रेजी		
		(iii) संस्कृत/हिन्दी का एक मिश्रित पाठ्यक्रम/कोई भी क्षेत्रीय भाषा/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित कोई अन्य भाषा		
		(ख) माध्यमिक स्तर पर		
		(i) कक्षा 9 और 10		
		(ii) सभी छात्र कक्षा 8 तक तीन भाषाओं का अध्ययन करेंगे।		
		(ii) कक्षा 8 तक तीसरी भाषा का अध्ययन किया जायेगा और आन्तरिक रूप से परीक्षा ली जायेगी यदि छात्र तीसरी भाषा पास नहीं करता तो उसको कक्षा 9 में पुनः परीक्षा संबंधित स्कूल द्वारा, ली जानी चाहिये जो कक्षा 8 के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के अनुसार होगी। जो छात्र, कक्षा 9 के अन्त में भी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते, को कक्षा 10 में वही परीक्षा पास करने का एक और अवसर दिया जाता है।		
		छात्र को सामान्य कक्षा-उन्नति नियमों के अन्तर्गत प्रथम और द्वितीय भाषा में अर्हता प्राप्त करनी है/पास होना है।		

1	2	3	4	5
		इस प्रकार सभी तीनों भाषाओं में पास होना, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली की माध्यमिक परीक्षा में बैठने की पूर्व-अपेक्षा है । (iii) कक्षा 9 तथा 10 में दो भाषाओं का अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिये तथा इन भाषाओं में बोर्ड द्वारा छात्र की परीक्षा बाह्य रूप से ली जायेगी । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित इन दो भाषाओं में, अंग्रेजी अथवा हिन्दी की एक भाषा के रूप में शामिल करना चाहिये और बोर्ड द्वारा बनाई गई निम्नलिखित 26 भाषाओं की सूची में से कोई दो भाषाएं होनी चाहिये :— हिन्दी, अंग्रेजी, असभी, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, सिन्धी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, फ्रांसिसी, जर्मनी, रूसी, अरबी, फारसी, नेपाली, पुर्तगाली, लेपचा, लिम्बु और तिब्बती ।		
28.	गोआ, दमन तथा दीव	1. मातृ भाषा (मराठी, कोंकनी, अंग्रेजी, कन्नड़, उर्दू, हिन्दी, गुजराती आदि)	प्राथमिक से माध्यमिक तक	
		2. हिन्दी	कक्षा 5 से 10 तक	
		3. अंग्रेजी	कक्षा 3 से 10 तक	
29.	लक्षद्वीप	केरल की तरह	केरल की तरह	
30.	मिजोरम	(i) मिजो कक्षा—क (ii) अंग्रेजी— कक्षा—3 (iii) हिन्दी— कक्षा—4		
31.	पांडिचेरी	1. हिन्दी	पांडिचेरी और कराईकल में प्रथम भाषा के रूप में 6 से 10 तक महा तथा यानम में तीसरी भाषा के रूप में 5 से 10 तक	त्रिभाषा सूत्र केवल महा और यानम क्षेत्रों में और द्विभाषा सूत्र पांडिचेरी तथा कराईकल क्षेत्रों में अपनाया गया है।
		2. अंग्रेजी	कक्षा— 1 से तक	प्रशासन पड़ोसी राज्यों की भांति शैक्षिक पद्धति का अनुसरण करता है ।

(ग) के०मा०शि०बोर्ड के छात्रों की समस्याएं

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सभी राज्यों तथा भारत के अधिकांश संघ शासित क्षेत्रों के 1600 से अधिक स्कूल सम्बद्ध हैं जिनमें 24 स्कूल विदेशों में हैं। प्रत्येक वर्ष बोर्ड की परीक्षाओं में 2 लाख से अधिक छात्र बैठते है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा उन छात्रों को अध्ययन में सतता बनाए रखने के लिए की गई थी जिनके अभिभावक सरकारी सेवा/रक्षा क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों आदि में हैं तथा जिनके तबादले सारे देश में किए जा सकते हैं। ये छात्र उन राज्यों के विश्वविद्यालयों/व्यावसायिक पाठयक्रमों में उच्च स्तर के संस्थानों में प्रवेश लेते हैं जहां से इन्होंने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा पास की होती है।

प्रवेश में कठिनाइयां

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्रों को उच्च अध्ययन संस्थानों/विश्वविद्यालयों/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश में निम्नलिखित कारणों से अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है :—

(क) अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को प्रवेश के लिए मुख्य मानदण्ड रखा जाता है भा० प्रो० सं०/अ० भा० अ० स० जैसी राष्ट्रीय महत्व की अनेक संस्थाएं प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कर रही हैं। इससे प्रत्येक छात्र को अपनी योग्यता दिखाने का पूरा अवसर मिलता हैं तथा प्रवेश योग्यता पर आधारित होते है जैसा कि परीक्षा में प्रमाणित होता हैं। इस पद्धति का सभी वर्गों द्वारा स्वागत किया गया हैं। तथापि, अधिकांश कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सामान्य मानदण्ड छात्र द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक होते हैं जिसमें निम्नलिखित त्रुटियां है :—

(i) बोर्ड साधारणतया औसतन अथवा अमुद्दयांकित अंक प्रदान करते हैं। बिना पैमाने अथवा मानकीकृत किए बिना, विभिन्न विषयों के अंकों को जोड़ा नहीं जा सकता। अतः कुल अंक छात्र की सच्ची योग्यता नहीं दर्शाते।

(ii) कुछ बोर्ड अंक देने में बहुत उदार हैं। उनके छात्रों का, अधिक अंकों के कारण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्रों की तुलना में पलड़ा भारी होता है।

(iii) यदि अंक प्रदान करने के लिए सामान्य पैमाना 50 और वही मानक असमानता अर्थात् 10 अपना लिया जाता है तो एक बोर्ड के छात्र द्वारा प्राप्त अंकों की दूसरे छात्र के अंकों से तुलना करना सम्भव हो सकेगा।

समकक्षता प्रदान न करना

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित अधिकांश राज्यों ने 10+2+3 की राष्ट्रीय पद्धति अपना ली है। तथापि, अभी भी कुछ राज्य कक्षा X के बाद 11 वर्षीय उच्चतर माध्यमिक अथवा माध्यमिक शिक्षा का अनुसरण करते हैं, उसके बाद एक वर्षीय उच्चतर माध्यमिक/पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम होता है और उसके बाद 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम होता है।

10+2+3 पद्धति के लागू हो जाने पर, भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने के० मा० शि० बोर्ड के +2 स्तर को, सभी राज्यों में जहां यह पद्धति लागू है, +2 स्तर के समकक्ष रखने का निर्णय किया गया है।

सभी राज्यों में जहां शिक्षा पद्धति ऐसी है कि प्रथम डिग्री (11+3) के लिए 14 वर्षों की आवश्यकता है, वहां के० मा० शि० बोर्ड के नए +2 स्तर को तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में पास के समकक्ष अथवा दो वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की योग्यता के समकक्ष समझा जाएगा।

स्पष्ट समकक्षता प्रदान करने के बावजूद भी, कुछ राज्य कक्षा XII के पास छात्रों को राज्य पद्धति की कक्षा XI के पास छात्रों के समान मानने पर जोर देते हैं। आजकल पंजाब विश्वविद्यालय इसका स्पष्ट उदाहरण है।

भेद भाव पैदा करने वाली अन्य तकनीकी रूकावटें निम्नलिखित हैं :—

(i) पात्रता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना

(ii) निवास-स्थान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

(iii) मूल्यांकन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

(iv) राज्य शैक्षिक पद्धति का अनुसरण न करने वाले छात्रों को बाहरी छात्र घोषित करते हुए अपात्र मानना।

एक विषय के रूप में सा०उ०उ० का० को मान्यता नहीं देना

10+2 पद्धति लागू होने पर तथा राष्ट्रीय नीति जिसे भारत के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद् की मंजूरी भी प्राप्त है के एक भाग के रूप में सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादन कार्य को बोर्ड की पाठ्यचर्या में माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक स्तरों पर पाठ्यचर्या के एक अनिवार्य भाग के रूप में लागू किया गया था। इसे विषय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने भी मंजूरी दी है। तदनुसार कक्षा XII के अंत में के० मा० शि० बोर्ड के प्रमाणन की आवश्यकता होती है :

1. एक भाषा
2. सामाजिक रूप से उपयोगी कार्य
3. अनुमोदित सूची में से कोई से तीन वैकिल्पक विषय।

कुछ विश्वविद्यालय अभी भी प्रवेश के लिए पात्रता शर्त के रूप में पांच शैक्षिक विषयों पर जोर देते हैं। इसने छात्रों को विश्वविद्यालयों द्वारा लगाई गई आवश्यक शर्तों को पूरा करने के उद्देश्य से एक अतिरिक्त विषय लेने के लिए मजबूर किया है। यहां यह बताना आवश्यक है कि हाई स्कूल तथा इंटर मीडिएट शिक्षा बोर्ड को पास करने के लिए केवल एक भाषा और तीन वैकल्पिक विषयों की आवश्यकता होती है।

काफी पहले की प्रवेश समापन तिथि रखना

कुछ राज्य के० मा० शि० बोर्ड के परिणामों के घोषित होने से पहले ही प्रवेश की तारीख समाप्त कर देते हैं इससे उन छात्रों को अनावश्यक असुविधा होती है जो के० मा० शि० बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं।

उपरोक्त कठिनाइयों की ध्यान में रखते हुए कुछेक प्रभावी स्कूल बोर्ड से सम्बद्धता समाप्त कर रहे हैं जिससे के० मा० शि० बोर्ड स्कूल के सम्मान तथा अस्तित्व पर प्रभाव पड़ रहा है।

के० मा० शि० बोर्ड के सुझाव

1. भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली द्वारा तय की गई समकक्षता की व्यवसायिक/उच्चतर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के प्रयोजन से स्वीकार किया जाए।

2. प्रवेश के लिए पात्रता मानदण्ड निर्धारित करने में राज्य बोर्ड तथा के० मा० शि० बोर्ड के छात्रों को बराबर समझा जाए जैसा कि महाराष्ट्र में किया जाता है।

3. उच्च पाठ्यक्रमों/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश सामान्य खुली परीक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए।

4. यदि सम्भव हो, तो जैसा कि बिड़ला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी द्वारा अपनाया गया है एक मानक फार्मूले के अनुसार विभिन्न बोर्डों की अंक प्रणाली एक समान रखना : (परिशिष्ट क)।

5. प्रवेश यथानुपात आधार पर किए जाएं जैसा कि गुजरात राज्य द्वारा पात्र छात्र अभ्यार्थियों के मामले में एक फार्मूले के अनुसार (परिशिष्ट ख) किया जा रहा है, जो सहर्ष स्वीकार्य है।

समस्या को दीर्घकालीन आधार पर निपटाने के उद्देश्य से, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भारत सरकार, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली के विचारार्थ कुछ सुझाव प्रस्तुत करता है।

(i) कि के० मा० शि० बोर्ड जैसी अखिल भारतीय योजना के उम्मीदवारों के लाभ के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ केन्द्रीय कालेज आरम्भ किए जाएं।

(ii) कि के० मा० शि० बोर्ड के छात्रों तथा राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का अनुसरण करने वाले अन्य छात्रों की प्रवेश सम्बन्धी शर्तों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक न्यास, सोसायटियों जैसी कुछ अन्य स्वतन्त्र एजेन्सियों को ऐसे कालेज अथवा केन्द्रीय विश्वविद्यालय आरम्भ करने की अनमति दी जाए।

अंकों के मानकीकरण के लिए प्रस्तावित फार्मूला

(जैसा कि बिड़ला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी द्वारा अपनाया जाता है)

प्रत्येक उम्मीदवार के सामान्य अंकों की कुल प्रतिशतता उक्त परीक्षा में उसके बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए अधिकतम अंकों के संदर्भ में आंकी जाती है तथा योग्यता सूची सामान्य अंकों की प्रतिशतता (एन० पी० सी०) के घटते क्रम में तैयार की जाती है।

अनुमान है कि एक बड़े बोर्ड/विश्वविद्यालय के प्रथम स्थान के छात्र को एक अन्य बड़े बोर्ड/विश्वविद्यालय के प्रथम स्थान के छात्र को शैक्षिक रूप से समकक्ष समझा जाता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक बड़े बोर्ड/विश्वविद्यालय के सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र के सामान्य कुल अंकों की प्रतिशतता 100 होती है। इस प्रकार, विभिन्न बोर्डों/विश्वविद्यालयों के सभी उम्मीदवारों के कुल अंकों की प्रतिशतता को एक ही आधार पर लाया गया है।

उदाहरणार्थ :

वर्ष 1979 में महाराष्ट्र बोर्ड के उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में कुल 70%प्रतिशतता वाले उम्मीदवार का एन० पी० सी० जहां इस परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र का कुल योग % 90.67 है।

$$\frac{70.00 \times 100}{90.67}$$

इसी प्रकार, महाराष्ट्र बोर्ड के सभी उम्मीदवारों के एन० पी० सी० की गणना की जा सकती है।

इसी प्रकार, वर्ष 1979 में उत्तर प्रदेश बोर्ड के इण्टर विज्ञान परीक्षा में 70 प्रतिशत कुल योग सहित सभी अभ्यर्थियों का एन० पी० सी० उच्चतम छात्र का कुल योग % 83.6 है

$$\frac{70.00 \times 100}{83.6}$$

इसी प्रकार, अन्य बोर्डों के सभी उम्मीदवारों के एन० पी० सी० की गणना की जा सकती है।

इसी प्रकार, सभी उम्मीदवारों के सामान्य कुल योग % की गणना उक्त परीक्षा में उनके अपने बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए उच्चतम कुल योग % के संदर्भ में की जाती है।

प्रवेश तारीख--1982

(गुजरात सरकार द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में केन्द्रीय मा० शि० बोर्ड के छात्रों के लिए स्थानों का आबंटन)

क्र० सं०	चिकित्सा	इंजीनियरी
(1)	(2)	(3)
1. पात्रता नियमों के अनुसार 55 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंकों से पास के० मा० शि० बोर्ड के छात्रों की संख्या	92	92
2. पात्रता नियमों के अनुसार 55 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंकों से पास गुजरात उच्चतर माध्यमिक छात्रों की संख्या .	3288	3288
3. प्रवेश के लिए स्थानों की कुल संख्या . . .	575	1224
4. यथानुपात आधार पर के० मा० शि० बोर्ड के छात्रों के लिए प्रवेश स्थान . .	17	34
5. दाखिल किए गए अन्तिम उम्मीदवार की प्रतिशतता :		
(क) के० मा० शि० बोर्ड का छात्र . .	198/310 63 प्रतिशत	180/310 68 प्रतिशत
(ख) गुजरात उच्चतर माध्यमिक छात्र . .	325/450 72.5 प्रतिशत	290/450 64 प्रतिशत
शहरवार सोटो का और बटवारा यथानुपात के अंतर्गत अहमदाबाद . .	6	12
बड़ौदा . .	4	10
जामनगर . .	3	--
सूरत . . .	3	4
मोरवी . .	--	3
पेन्टल (अहमदाबाद) . .	1	--

टिप्पणी 1. उपरोक्त सूचना ज्ञान की दृष्टि के अतिरिक्त इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कक्षा 10 के पश्चात स्कूल छोड़ने वाले छात्र अथवा अभिभावक का संदेह दूर हो जाए और वे गुजरात राज्य उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में इस विचार के साथ न जाएँ कि के० मा० शि० बोर्ड के छात्रों का प्रवेश संभव नहीं है।

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थान भी के० मा० शि० बोर्ड के छात्रों को दिए जाते हैं। यथानुपात आधार पर ऐसे स्थान यदि इनके लिए आवेदन नहीं किया जाता है, तो के० मा० शि० बोर्ड के छात्रों के लिए खुली योग्यता वाले स्थानों में बदल दिए जाते हैं।

3. यथानुपात स्थान स्पष्टत: कम हो सकते हैं, फिर भी के० मा० शि० बोर्ड के प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या भी समान रूप से कम होती है, अन्ततोगत्वा प्रतियोगिता बहुत कम उम्मीदवारों में रह जाती है। यह अंकों की प्रतिशतता पर ध्यान दिए बिना हमेशा ही प्रवेश प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाती है।

4. चिकित्सा तथा इंजीनियरी में प्रवेश के प्रभारी प्रोफेसरों के साथ बातचीत के अनुसार, यह महसूस किया जाता है कि हमें उनके द्वारा यथानुपात स्थानों की गिनती के लिए उनके द्वारा अपेक्षित आवश्यक सूचना देने में समय की पाबन्दी बरतनी चाहिए यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह हमारे अपने हित में है।

विषय संख्या 7. शैक्षिक प्राद्योगिकी तथा स्कूली शिक्षा के लिए संचार साधन सुविधाओं का प्रयोग

शिक्षा मंत्रालय ने 1972 में चौथी पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम आरम्भ किया। कार्यक्रम का लक्ष्य है शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए, शिक्षा तक व्यापक पहुंच लाने तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों और जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में विद्यमान विषमताओं को कम करने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी के संसाधन लगाना। यह योजना दूरदर्शन सुविधाओं के विस्तार तथा शैक्षिक प्रयोजनों के लिए उपलब्ध किए जा रहे हैं सेटलाइट के संदर्भ में तैयार की गई थी। यह केन्द्र तथा राज्यों में अवस्थापना तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक प्रयास था जिससे शिक्षा के लिए दूरदर्शन के नए साधन का लाभ उठाना सम्भव होगा। योजना का लक्ष्य था शिक्षा की कोटि को सुधारने के लिए दूरदर्शन तथा अन्य अनुदेशात्मक साधनों, विशेषकर आकाशवाणी तथा चलचित्र के प्रयोग को प्रोत्साहन देना।

2. योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित थी तथा इसमें मंत्रालय में शैक्षिक प्रौद्योगिकी एकक की स्थापना, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा प्रोटोटाइप निर्माण के लिए रा० शै० अनु० तथा प्रशिक्षण परिषद् में शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र, तथा राज्य में शिक्षा के विस्तार तथा सुधार के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य शिक्षा विभागों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैलों की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र, 1973 में स्थापित किया गया था तथा इसने मार्च, 1980 तक उपकरणों, विशेषज्ञों तथा शिक्षावृत्तियों के रूप में यू०एन०डी०पी० सहायता प्राप्त की। राज्य सरकारें पांच वर्षों की अवधि तक स्थापना, अनुरक्षण तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैलों के कार्यक्रमों के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करती है जिसके पश्चात् यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बन जाती है । अब तक शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैल 21 राज्यों में स्थापित किए जा चुके है केवल त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है जिसे इसमें शामिल नहीं किया गया है । संघ शासित क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था ।

3. यद्यपि, कार्यक्रम 1972 में आरंभ किया गया था, परन्तु यह 1975-76 में सैटेलाइट अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग के शुरू होने पर ही शुरू हुआ था। साइट के अंतर्गत अनुदेशात्मक दूरदर्शन कार्यक्रम सेटेलाइट से सीधे ही ग्रामीण क्षेत्रों में रिसेपशन सैटों में प्रसारित किए गए थे । इस प्रयोग में 6 राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान) में दूर दूर फैले 2,330 गांवों को शामिल किया गया था । दूरदर्शन कार्यक्रम, सुबह प्राथमिक स्कूलों में तथा शाम को आम लोगों के लिए प्रसारित किए गए ।

4. यद्यपि, कार्यक्रम धीरे-धीरे आगे बढ़ा है, फिर भी इसका प्रभाव अपर्याप्त नहीं है । परम्परागत दिग्विन्यास शैक्षिक पद्धतियों दबावों के अन्दर, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा शैक्षिक प्रोद्योगिकी सैल शिक्षा के नए तरीकों और तकनीकों की अन्तःशक्ति का चिह्न है जिसने भेदन की प्रतिज्ञा की 6 साइट राज्यों में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया जिसके द्वारा दूरदर्शन का लाभ देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में पहुंचाया गया । सामान्य रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम जो काफी लोगों द्वारा एक साथ देखे गए, दूरदर्शन की अन्तःशक्ति शिक्षा तथा सूचना के साथ जोड़कर प्रदर्शित की । साइट के दौरान बहु-साधन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव परम्परागत शिक्षक प्रशिक्षण प्रणालियों के लिए एक अपूर्व विषमता थी । दूरदर्शन कार्यक्रम सारे प्राथमिक स्कूल को सम्बोधित करके, श्रेणी तथा आयु की भिन्नताओं के आधार पर शिक्षा देने के परम्परागत आधार को अलग रखा गया था । प्रयोग ने कुछ अनुदेशात्मक क्षेत्रों में दूरदर्शन की सीधी शिक्षण भूमिका भी स्थापित की ।

5. दूरदर्शन के अनुभव को प्राथमिक विद्यालयों और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आकाशवाणी प्रसारण के प्रयोग में भी लाया गया । शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आकाशवाणी तथा समर्थित सामग्री के जरिए विशेष रूप से, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिल नाडु और असम में आयोजित किए जा रहे हैं । तमिलनाडु तथा राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए आकाशवाणी प्रसारणों का बहुत अधिक प्रयोग किया जा रहा है । प्राथमिक स्कूली बच्चों को प्रथम भाषा (हिन्दी) के शिक्षण के लिए आकाशवाणी के प्रयोग में एक महत्वपूर्ण परियोजना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा शैक्षिक प्रोद्योगिकी सैल, राजस्थान के सहयोग से चलाई जा रही है ।

6. कार्यक्रम का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षाविदों में विशिष्ट प्रसारणों की कोटि में सुधार के साधन के रूप में तथा नीति तैयार करने के आधार के रूप में प्रसारण कार्यक्रमों के प्रभाव तथा उपयोगिता जानने की रुचि को बढ़ाना रहा है।

7. इन उपलब्धियों को आगे बढ़ाने तथा कार्यक्रम के प्रभाव को मजबूत बनाने के उद्देश्य से, सभी राज्यों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैल मजबूत करने तथा संघ शासित क्षेत्रों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैल स्थापित करने का निर्णय किया गया है। एक संशोधित शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना तैयार की गई है। जिसके अंतर्गत शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैलों को आवश्यक कर्मचारियों सहित निर्माण संबंधी सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। यह संशोधित योजना केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजने हेतु राज्यों में परिचालित की गई है।

8. जून, 1979 में शिक्षा मंत्रालय ने दूरदर्शन तथा अन्य सुविधाओं के लिए प्रयोग के लिए संचालन योजना तैयार करने के कदम उठाए जो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सेटेलाइट छोड़े जाने से उपलब्ध होगा जिसकी उस समय 1981 के मध्य आशा थी। अन्तरिक्ष प्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद से एक दस्तावेज तैयार करने का अनुरोध किया गया था जिस पर जनवरी, 1980 में भूतपूर्व शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक में विचार किया गया था। सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। यह स्वीकार किया गया कि सैटेलाइट की आकाशवाणी तथा दूरदर्शन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए सभी प्रयत्न किये जाने चाहिये तथा इस प्रयोजन के लिए विस्तृत योजनायें तैयार की जानी चाहिये। इस उद्देश्य के लिए यह निर्णय लिया गया कि सभी प्रयोग करने वाले मंत्रालयों को इन्सैट प्रयोग के लिए सोफ्टवेयर योजना तैयार करने के लिए शामिल करने के तत्काल कदम उठाए जाने चाहिये। इस उद्देश्य के लिए बैठक शिक्षा मंत्रालय अथवा ग्रन्थिल सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के रूप में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा बुलाई जा सकती है। यह भी निर्णय लिया गया कि शैक्षिक योजनाएं तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय का अपना दल होगा।

9. फरवरी, 1980 में, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने दूरदर्शन माध्यम के जरिये इन्सेट के प्रयोग के लिए विस्तृत सोफ्टवेयर योजना तैयार करने के लिए कार्यदल स्थापित किया। कार्यदल में सभी प्रयोगकर्ता मंत्रालयों तथा अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के कार्यदल की चर्चाओं के दौरान, यह सुझाव दिया गया कि प्रयोगकर्ता मंत्रालयों को ऐसे कार्यक्रम तैयार करने में सक्रिय भाग लेना चाहिये जो विशेष रूप से, उन्हीं के उपयोग के लिए हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया है कि इन्सैट की दूरदर्शन सुविधाएं आर्थिक तथा सामाजिक सहायता के रूप में उपयोग में लाई जानी चाहिए और जहां तक संभव हो इसका लाभ अधिक लोगों तक पहुंचे, विशेषकर, भारत के गांवों में। अतः कार्यक्रमों को संबद्ध, अर्थपूर्ण तथा प्रभावी होने चाहिये ताकि विकास कार्य में भाग लेने वाले लोगों को सुनिश्चित किया जा सके। अतः विकेन्द्रीकृत स्त पर उत्पादन क्षमताओं का विकास करना आवश्यक था। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने यह निर्णय किया था कि शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण की जिम्मेदारी दूरदर्शन के शैक्षिक प्राधिकारियों द्वारा ली जानी चाहिए।

10 इस मुख्य निर्णय को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा मंत्रालय ने इन्सैट दूरदर्शन उपयोगिता के शैक्षिक उपस्कर की योजना के लिए मई 1980 में एक अध्ययन दल गठित किया। अध्ययन दल में सभी संबंधित विभागों तथा मंत्रालयों के प्रतिनिधि, संस्थाओं के विशेषज्ञ तथा विभिन्न क्षेत्रों के अलग-अलग विशेषज्ञ शामिल हैं। अध्ययन दल ने इस निर्णय से उत्पन्न हुई कठिनाइयों पर विस्तार रूप से विचार किया कि अवस्थापना तथा जनशक्तिपरक आवश्यकताओं, प्रशिक्षण आवश्यकताएं तथा स्पष्ट दृष्टिकोण, प्राथमिकताएं, श्रोताओं के लक्ष्य तथा कार्यक्रमों के सारांशों के मामले में शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण के लिए शैक्षिक प्राधिकारी जिम्मेदार होंगे। अध्ययन दल ने सिफारिश की कि इन्सैट राज्यों में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र चरणबद्ध तरीके से स्थापित किये जाने चाहिये।

11. राज्यों में कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों की स्थापना के निर्णय से सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को अवगत करा दिया गया था ताकि उनके द्वारा तैयार किये जाने वाले मंत्रिमंडल नोट में उसका ब्यौरा दिया जा सके। मंत्रिमंडल ने इन्सैट दूरदर्शन क्षमताओं के उपयोग तथा आवश्यक मैदानी क्षेत्र प्रदान करने के लिए सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के प्रस्तावों पर स्वीकृति दे दी है।

12. अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर, इनसैट दूरदर्शन सुविधाओं के उपयोग के प्रस्तावों से संबंधित व्यय वित्त समिति के लिए एक ज्ञापन तैयार किया गया था। इनसैट राज्यों में निर्माण केन्द्रों की स्थापना के अतिरिक्त, रा० शै० अनु० तथा प्र० परि० में शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र की केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान में सुदृढ़ करने का प्रस्ताव था। यह भी निर्णय किया गया था कि संशोधित शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना के माध्यम से भविष्य में इनसैट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शेष राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को तैयार रहना चाहिये। जुलाई 1982 में व्यय वित्त समिति की हुई बैठक में निम्नलिखित चार प्रस्तावों के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई थी :—

(1) इनसैट राज्यों में शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण की प्रोन्नत तथा समन्वय के लिए केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना।

(2) स्थानीय आधार पर शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण की प्रोन्नति के लिय प्रत्येक छः इनसैट राज्यों में राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना।

(3) निर्माण क्षमताओं के सृजन के लिए शेष राज्यों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के विस्तार का सतत कार्यान्वयन ताकि वे आवश्यक अनुभव प्राप्त कर सकें और यथा समय इनसैट कार्यक्रम में एकदम भाग लेने के लिए आवश्यक सम्भावना का विकास कर सकें।

(4) एक राज्य (त्रिपुरा) तथा नौ संघ शासित प्रदेशों में विस्तृत शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम लागू करना।

13. निकट भविष्य में, शैक्षिक कार्यक्रम की मुख्य प्राथमिकताएं, विशेषकर शैक्षिक प्रयोजन के लिए रेडियो तथा दूरदर्शन के संबंध में निम्नलिखित होंगी :—

— औपचारिक तथा गैर औपचारिक—दोनों में प्रारंभिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण ;

— प्रौढ़ों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षा को आर्थिक तथा सामाजिक कार्यों के साथ सम्बद्ध करना ;

—व्यावसायिक कुशलताओं का विकास ;

— नागरिकता के लिए प्रशिक्षण;

— वैज्ञानिक सम्भावनाओं के विकास के लिए विज्ञान का प्रचार;

— राष्ट्रीय एकता की प्रोन्नति; तथा

— राष्ट्रीय महत्व के विषयों—जनसंख्या, शिक्षा, ऊर्जा, वन्यजीवन का परिरक्षण, पर्यावरण, परिरक्षण संरक्षण, पोषण आहार तथा स्वास्थ्य की सूचना प्रदान करना।

अध्यापक शिक्षा के इतनी अधिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, औपचारिक स्कूली शिक्षण में सीधी सहायता देने के लिए अध्यापकों की प्रशिक्षित करने के लिए जन-साधन का प्रयोग किया जायगा। अध्यापक कार्यक्रमों को निम्नलिखित मुख्य प्रयोजनों के लिए तैयार किया जाएगा :—

— अध्यापकों के अनुभव तथा ज्ञान की बढ़ाना;

— औपचारिक स्कूल-शिक्षण में सीधी सहायता प्रदान करना; तथा

—इनसैट के अन्तर्गत शैक्षिक उद्देश्यों के लिए दूरदर्शन तथा रेडियो के उपयोग में सहायता करना।

तथापि, राज्य निर्माण केन्द्रों की स्थापना तथा पूर्णत: संचालित होने के समय तक, कार्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा तथा अध्यापक प्रशिक्षण तक सीमित रहेंगें।

14. यह कहना सार्थक होगा कि इनसैट-1ए के असफल हो जाने के बावजूद, हम शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण की जिम्मेदारी लेने के मूल निर्णय के कारण कार्यक्रम के कार्यान्वयन को आगे बढ़ा रहे हैं। सम्प्रेषण तरीकों पर ध्यान दिए बिना भी हमें कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना होता है जिसकी जिम्मेदारी दूरदर्शन की है। यद्यपि, इनसैट-1 ए संचालन में नहीं है, इनसैट-1 बी 1983 के मध्य तक उपलब्ध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, पार्थिक सम्प्रेषण सुविधाएं तथा माइक्रोवेव सम्बद्ध भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन ने एशियाड के संदर्भ में कम-शक्ति के ट्रांसमीटर भी स्थापित किए हैं। दूरदर्शन द्वारा उनके सामान्य कार्यकलापों के भाग के रूप में दूरदर्शन सुविधाओं का भी विस्तार करने का प्रस्ताव है। अत: शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए काफी संख्या में सम्प्रेषण सुविधाएं उपलब्ध हैं जो केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राज्य निर्माण केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे,। अत: इनसैट-1ए की असफलता का प्रभाव हमारी परियोजना पर किसी भी प्रकार नहीं पड़ेगा।

15. शिक्षा मंत्रालय ने दिसम्बर 1980 में आकाशवाणी, दूरदर्शन, रा० शै० अनु० तथा प्र० परि० तथा अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से शैक्षिक प्रसारण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यशाला की मुख्य उपलब्धि शैक्षिक प्रसारण के लिए मार्गदर्शी रूप-रेखाएँ तैयार करना था। मार्गदर्शी रूपरेखाओं को सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का भी सहयोग प्राप्त है और इन्हें औपचारिक नीति विवरण के रूप में अपनाने से पहले, राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को टिप्पणी के लिए परिचालित किया गया है। मार्गदर्शी रूप-रेखाओं की प्रतिलिपि अनुबन्ध 1 पर है।

16. यद्यपि, शिक्षा के लिए दूरदर्शन सुविधाओं के उपयोग के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार करने पर कम ध्यान दिया गया है लेकिन शिक्षा के लिए रेडियो प्रसारण को भुलाया नहीं गया है। शिक्षा मंत्रालय ने मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच करने हेतु शिक्षा के लिए रेडियो के उपयोग पर एक अध्ययन दल स्थापित किया है जैसाकि दूरदर्शन उपयोग अध्ययन दल द्वारा किया गया था। रेडियो दल ने अपना कार्य शुरू कर दिया है और उसने चार उप-दल गठित किए हैं :—

(i) कार्यक्रम उपयोग तथा मूल्यांकन
(ii) नीति, आयोजना तथा समन्वय
(iii) हार्डवेयर
(iv) कर्मचारी तथा प्रशिक्षण

सभी संबंधित मंत्रालय तथा विभाग और विशेषज्ञ संस्थाओं के प्रतिनिधि, अध्ययन दल और इसके उप-दलों के सदस्य हैं। जैसा कि शैक्षिक दूरदर्शन के मामले में किया गया था, अध्ययन द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर शैक्षिक रेडियों प्रसारण के लिए एक बार फिर विस्तृत परियोजना को तैयार करना होगा।

17. शिक्षा के लिए रेडियो प्रसारण के उपयोग में तत्काल सुधार लाने के लिए, राज्य शिक्षा विभागों तथा आकाशवाणी के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर स्थित रा० शै० अनु० तथा

प्र० परि० के चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों को शामिल करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक क्षेत्रीय कालेजों में दो समितियां स्थापित की गई हैं--एक समन्वय तथा दूसरी रेडियों पाठ्यचर्या को तैयार करने के लिए शैक्षणिक समिति। रा० शै० अनु० तथा प्र० परि० शैक्षिक रेडियो प्रसारण के उपयोग के लिए क्षेत्रीय कालेजों हेतु आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के सहयोग से मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार करेगा। रेडियो पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए रा० शै० अनु० तथा प्र० परि० अलग सें भी समिति स्थापित कर रही है। भुवनेश्वर, कलकत्ता, चण्डीगढ़ तथा मद्रास स्थित तकनीकी प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग जहां तक सम्भव होगा, प्रोटो-टाइप रेडियो तथा वीडियो कार्यक्रमों के निर्माण के लिए किया जाएगा।

18. यहां यह कहना उचित ही होगा कि शैक्षिक रेडियो और दूरदर्शन सुविधाओं का उपयोग अब तक आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के प्रयास से किया जाता रहा है। शैक्षिक प्राधिकारियों ने, अपनी आयोजना तथा निर्माण को छोड़ते हुए, कार्यक्रमों के उपयोग में कम रुचि ली है। रेडियो शैक्षिक प्रसारण 40 वर्षों से विद्यमान है किन्तु उसका उपयोग बहुत कम किया गया है। शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम भी पिछले 15 वर्ष अथवा उससे अधिक समय से उपलब्ध है, किन्तु इसमें शैक्षिक प्राधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है। शैक्षिक दूरदर्शन की स्थापना से, कम से क़म शैक्षिक प्रसारण की आयोजना में, शैक्षिक प्राधिकारियों को शामिल कर लिया गया है। तथापि, शिक्षा के लिए संचार साधन सुविधाओं के उचित उपयोग पर यह प्रभाव दिखाना बहुत कम है। शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम के निर्माण, तथा केन्द्र और राज्य स्तर पर आवश्यक निर्माण अवस्थापना आरंभ करने की जिम्मेदारी लेने के निर्णय से, शैक्षिक प्रयोजनों के लिए संचार साधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

शिक्षा तथा विकास के लिए प्रसारण
मार्गदर्शी रूपरेखा

1 शैक्षिक प्रसारण की भूमिका

1.1 विकास के लिए शिक्षा को बढ़ाने में शैक्षिक प्रसारण को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। एक ओर निरक्षरता की भारी प्रतिशतता और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को बहुत बड़ी संख्या की समस्या के सामने आने वाली भारत जैसे विकासशील समाज में प्रचलित परिस्थितियों के संदर्भ में और दूसरी ओर औपचारिकता अनौपचारिक शैक्षणिक प्रणालियों में शिक्षा की बढ़ती हुई तत्काल आवश्यकता के संदर्भ में यह भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण है। शैक्षिक प्रसारण विभिन्न वर्गों के सीखने के लिए शिक्षा का एक प्रमुख उपस्कर और दूहरी तथा विकल्पिक शिक्षण प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण घटक बन सकता है। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक प्रसारण का उपयोग निम्नलिखित बातों के लिए भी किया जा सकता है :--

(क) प्रेरणा के तौर पर राष्ट्रीय विकास में भाग लेने के लिए लोगों को सूचित करना;

(ख) अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के एक मुख्य घटक के रूप में स्कूल न जाने वाले बच्चों, युवक तथा प्रौढ़ों को शिक्षा के वैकल्पिक दृष्टिकोण से अवगत कराना;

(ग) मध्यस्थता की आवश्यकता अनुसार सीधे अनुदेशात्मक माध्यम तैयार करने;

(घ) शिक्षा की औपचारिक पद्धति की समृद्धि के रूप में जहां यह अनुदेशात्मक दूरी को पूरा करे अद्यतन ज्ञान तथा नए अध्ययन अनुभव प्रस्तुत करना;

(ङ) अध्यापकों (अनुदेशक) तथा पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण घटक के रूप में;

(च) व्यावसायिक (कृषि तथा औद्योगिक) तथा पेशेवर (चिकित्सा तथा इन्जीनियरी) कुशलता प्रदान करने के साधन के रूप में।

अत: शैक्षिक प्रसारण, पाठ्यचर्या उनमुख दृष्टिकोणों, से अलग रहेगा सीधे अध्यापन पर बल तथा अध्ययन कक्ष के भार को कम किया जाएगा। इसका जनशक्ति प्रशिक्षण के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रम की कोटि को सुधारने के लिए उपयोग किया जाएगा।

1.2 भारत जैसे देश में आगे काफी समय तक रेडियो की बहुत अधिक मांग रहेगी किन्तु रेडियो और दूरदर्शन दोनों के उपलब्ध होने पर कुछ विशेष प्राथमिकताएं होंगी जिनके लिए अगले दस वर्षों में दोनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये प्राथमिकताएं निम्नलिखित हैं :--

(क) औपचारिक तथा गैरऔपचारिक दोनों ही प्रकार की प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण;

(ख) प्रौढ़ों के लिए अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षा को आर्थिक तथा सामाजिक कार्यों से सम्बद्ध करना;

(ग) व्यावसायिक कुशलता का विकास ;

(घ) नागरिक प्रशिक्षण;

(ङ) वैज्ञानिक सम्भावनाओं के विकास के दृष्टिकोण में विज्ञान की लोकप्रिय बनाना;

(च) राष्ट्रीय एकता की प्रोन्नति; तथा

(छ) राष्ट्रीय महत्ता के विषयों जनसंख्या शिक्षा, ऊर्जा संरक्षण जीवन का परिरक्षण, पर्यावरण परिरक्षण, पोषण आहार तथा स्वास्थ्य की सूचना प्रदान करना।

2 समूह प्राथमिकताएं

2.1 प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए लड़कियों, ग्रामीण तथा शहर के गरीब लोगों तथा विभिन्न असुविधा प्राप्त समूहों पर बल देना चाहिए।

2.2 गैर-औपचारिक प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्राथमिक लक्ष्य, निरक्षर तथा नव साक्षर होने चाहिए। महिलाओं तथा विभिन्न असुविधा प्राप्त समूहों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

2.3 अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मुख्य लक्ष्य समूह हैं प्राथमिक स्कूल अध्यापक, प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशक, पर्यवेक्षक तथा परियोजना अधिकारी

3 नीति तथा प्रबन्ध

3.1 उपरोक्त उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए पहली आवश्यकता शैक्षिक प्रसारण को उपयोग में लाने के लिए राष्ट्रीय निर्णय की है। ऐसे निर्णय में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि शैक्षिक प्रसारण को कुल शैक्षिक पद्धति में शामिल किया जाना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि, शैक्षिक प्रसारण के नीति और प्रबंध की जिम्मेदारी शैक्षिक प्राधिकारियों पर होनी चाहिए । इन स्थितियों में नीति तथा प्रबन्ध पर निम्नलिखित संस्थाएं प्रभाव डालेंगी :--

(क) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर सलाहकार निकाय; और

(ख) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थाएं।

3.2 ये सलाहकार तथा कार्यकारी संस्थाएं शिक्षा के सभी साधन पहलुओं के लिए जिम्मेदार होगी अर्थात् नीति तैयार करने, कार्यक्रमों की आयोजना तथा निर्माण, उपयोग के संगठन, सूचना तथा मूल्यांकन, कार्मिकों की प्रशिक्षण, मुद्रण सहायता तथा प्रचार। वे कार्यक्रमों के वित्तीय प्राक्कलन बनाने के भी जिम्मेदार होंगे।

3.3 ये संस्थाएं देश की शैक्षिक अवस्थापना का एक भाग होनी चाहिएं। इनके पास संचालन स्वतन्त्रता होनी चाहिए तथा शिक्षा के सभी स्तरों व किस्मों को शामिल किया जाना चाहिए।

3.4 इनका मुख्य कार्य जन समूह के प्रसारण संबंधित होना चाहिए। तथापि, बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय सेवा के अतिरिक्त, यह अनिवार्य है कि शैक्षिक प्रसारण स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार, भाषा तथा संस्कृति का अन्तर तथा अन्य वैसी ही बातें शामिल करके उसे इस प्रकार आयोजित किया जा सके कि इसे क्षेत्र अथवा स्थानीय रूप दिया जा सके। बाद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय तथा स्थानीय प्रसारण स्टेशनों के लिए सलाहकार निकाय स्थापित किये जाने चाहिएं।

4. कार्यक्रमों की आयोजना तथा निर्माण

4.1 एक ऐसा राष्ट्रीय ढांचा होना चाहिए जिसमें शैक्षिक प्रसारण के कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं, व्यापक क्षेत्रों, विषय-वस्तु तथा उद्देश्यों को सूचित किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर उचित तथा वैसी ही कार्यवाई की जानी चाहिए।

4.2 कार्यक्रमों का आयोजन सहयोगात्मक होना चाहिए जिसमें पाठ्यचर्या तैयार करने वाले, विषय-विशेषज्ञों, व्यावहारिक अध्यापकों, लिपि लेखकों समाज वैज्ञानिकों तथा निर्माता शामिल किए जाने चाहिए।

4.3 सभी कार्यक्रमों श्रृंखलाओं के लिए श्रोतागणों का वर्ग तथा आवश्यकता-मूल्यांकन अध्ययन अनिवार्य निवेश के रूप में होने चाहिए। सभी श्रृंखलाओं में कार्यक्रमों के विशिष्ट उद्देश्य तथा व्यापक विषय वस्तु होनी चाहिए। कुछ प्रोटोटाइप कार्यक्रमों का निर्माण किया जाना चाहिए और श्रृंखलाएं शुरू करने से पहले संभव संशोधन के लिए उनकी पूर्व जांच की जानी चाहिए।

4.4 शैक्षिक प्रौद्योगिकी समष्टि के रूप में, सूचना तथा सामग्री के विनिमय के लिए निकासी गृह के रूप में कार्य करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर सोफ्टवेयर के लिए संसाधन केन्द्र तैयार किए जाने चाहिए। श्रव्य टेप/कैसट/विडियो टेप पुस्तकालयों को भी विकसित किया जाना चाहिए।

4.5 प्रभावी शैक्षिक प्रसारण के लिए, निर्माताओं की सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण से परिचित होना चाहिए और वे उन क्षेत्रों से तैयार किए जाने चाहिए जिसके लिए कार्यक्रम हैं। ऐसे निर्माताओं को प्रसारण, निर्माण तथा तकनीकी संसाधनों के समन्वय में व्यावसायिक प्रशिक्षित किया जाना तथा विषय संबंधी पर्याप्त ज्ञान भी दिया जाना चाहिए।

4.6 कार्यक्रम आयोजना तथा निर्माण सिद्धान्त में श्रोतागणों के शामिल होने तथा भाग लेने पर मुख्य रूप से विचार किया जाना चाहिए।

4.7 लिपि सामान्यतः विषय विशेषज्ञों, अध्यापकों तथा अन्य जिन्हें साधनों को लिखने के लिए प्रशिक्षित किया गया हो तैयार किया जाना चाहिए। उनमें लेखन सृजन के लिए सुषमदर्शिता तथा रेडियों/दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए विचार तैयार करने की योग्यता होनी चाहिए।

4.8 शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रभावी प्रस्तुतीकरण के लिए प्रस्तुतकर्ता को अच्छा संचारक होना चाहिए और इस प्रयोजनार्थ सावधानी से चुना जाना चाहिए। प्रस्तुतकर्ता को स्वयं लिपि लेखक होना आवश्यक नहीं है। उसे प्रस्तुतीकरण की तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

4.9 शैक्षिक फिल्म तथा दूरदर्शन के सफल निर्माण के लिए, दृश्य निवेशों का संश्लेशषण तथा कोटि तथा सफलतापूर्वक उपकरण निवेश की बहुत आवश्यकता है अतः लेखाचित्र कला, सजीवता लाने, कठपुतली, मॉडल तैयार करने जैसे उपकरण निवेशों को तैयार करने संबंद्ध क्रमिक प्रतिभाशाली कलाकार होने चाहिएं। यह आवश्यक है कि उन्हें साधनों की आवश्यकता तथा तकनीकों से अवगत कराने के लिए पूर्व सेवा तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

5. कार्यक्रमों का उपयोग

5.1 शैक्षिक प्रसारणों के पूरे तथा प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण अंग हैं:—

(क) प्राप्त करने के उपस्कर की उपलब्धता;

(ख) साधन का उपयोग करने वाले अध्यापकों तथा अनुदेशकों आदि को प्रशिक्षण देना जो कक्षा तथा अन्य अध्यापन केन्द्रों के प्रभारी हैं;

(ग) कार्यक्रमों का निर्माण श्रोताओं/दर्शकों के स्तर तथा आवश्यकतानुसार होना चाहिए।

5.2 सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सारे स्कूलों तथा सीखाने वाले केन्द्रों में सुनने/दिखाने के

उपस्कर पर्याप्त है और शैक्षिक प्रसारण के दौरान बिजली मुहैया करना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए । सार्वजनिक निधिकरण, यूनिसेफ, यूनेस्को, एफ ए ओ, डब्ल्यू एच ओ, जैसे समुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के भाग लेने का भी पता लगाया जाना चाहिए ।

5.3 प्रसारण संकेतों से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों को, केन्द्र तथा क्षेत्रीय अथवा स्थानीय स्टेशनों पर पहले रिकार्ड किए गए रेडियो प्रसारण कार्यक्रमों का पुनः अभिनय करने के लिए टेप-प्रतिश्रवण उपस्कर भी प्रदान करने होंगे । इन कार्यक्रमों के वितरण तथा परिचालन के लिए जिला ब्लाक स्तर के शैक्षिक प्रधिकारियों को शुरुआत करनी चाहिए ।

विषय सं० 8 : विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की समस्याएं

(क) शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के सुझाव

पिछले 10 वर्षों के दौरान, उच्च शिक्षा के विकास के प्रति यह सामान्य दृष्टिकोण रहा है कि पिछड़े क्षेत्रों को छोड़कर नई संस्थाएं खोलने पर अधिक से अधिक प्रतिबन्ध होने चाहिए । किन्हीं ठोस शैक्षिक आधारों और साथ ही पर्याप्त साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही उच्च शिक्षा की नई संस्थाएं खोली जानी चाहिए । नई संस्थाओं के बारे में स्थानों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाए और विद्यमान संस्थाओं को यथासम्भव व्यवस्थित किया जाना चाहिए । उच्च शिक्षा की सुविधाओं को, पत्राचार पाठ्यक्रमों जैसे अनौपचारिक शिक्षा के स्रोतों के माध्यम से व्यवस्था की जानी चाहिए ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नए संस्थान खोलने के लिए कुछ मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार की हैं । इनके अनुसार सम्बन्धित राज्य सरकारों को भावी आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए राज्य में उच्च शिक्षा सम्बन्धी विद्यमान सुविधाओं का एक सर्वेक्षण आयोजित करना चाहिए । इसके बाद राज्य सरकार को नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए अपने प्रस्तावों की प्रारम्भिक सूचना एक निर्धारित प्रपत्र में आयोग के पास भेजनी चाहिए । नए विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय साधनों से वित्तीय सहायता के प्रयोजन के लिए वि०अ०आ० अधिनियम की धारा 12-क के अन्तर्गत निर्मित नियमों में उल्लिखित कुछ शर्तों को भी पूरा करना होता हैं ।

इन सबके बावजूद, कुछ मामलों में अध्यादेश लागू होने पर भी राज्य सरकारों द्वारा अनेक नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं । वर्तमान स्थिति यह है कि देश में 16 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें अभी वि०अ०आ० की सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया जाना है, यद्यपि ये सभी राज्य विधान सभाओं के कानूनों के अन्तर्गत स्थापित किए गए हैं ।

शिक्षा मंत्री ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों को अभी हाल ही में लिखा है जिसमें कोई भी नया विश्वविद्यालय खोलने से पूर्व केन्द्रीय सरकार और वि०अ०आ० से पर्याप्त परामर्श करने सम्बन्धी आवश्यकता पर बल दिया गया है । उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यमान कानूनों में संशोधनों के मामले में केन्द्रीय सरकार और वि०अ०आ० के साथ ऐसे परामर्श किए जाने चाहिए । केन्द्र सरकार और वि०अ०आ० के साथ विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधानों पर ऐसे परामर्शों से एक स्वस्थ परम्परा का विकास और इस बात का सुनिश्चय होगा कि--

(क) नए विश्वविद्यालय केवल तब ही खोले जाएं जब ऐसी संस्थाओं के खोलने का ठोस शैक्षिक आधारों और संसाधनों की उपलब्धता का पूर्ण औचित्य हो, और

(ख) विश्वविद्यालयों की अभिशासन पद्धति में व्यापक समानता हो ।

अतः सभी राज्य सरकारों के सहयोग से ऐसी परम्परा की स्थापना और उसका विकास करना वांछनीय और आवश्यक होगा ।

विभिन्न राज्यों में नए कालेजों के खोलने के लिए भी उसी मानदण्ड के आधार पर नियमों का पालन करना है । कुछ राज्यों में खोले गए नए कालेजों की संख्या एक चिन्ता का विषय है । पिछले पांच वर्षों के दौरान 405 नए कालेज खोले गए थे । इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक कालेज केवल सात राज्यों में ही थे । तथापि, यह देखना होगा कि गत दशक अथवा इस अवधि के दौरान, कुल मिलाकर नामांकन में वास्तविक रूप से वृद्धि नहीं हुई है । इस अवधि के दौरान, औसतन वार्षिक वृद्धि की दर केवल 3.5 प्रतिशत थी । इस पृष्ठभूमि के विपरीत कालेजों की संख्या में वृद्धि स्पष्ट रूप से एक ऐसी स्थिति पर पहुंची है जिसमें अधिकांश कालेजों को कम नामांकन के कारण परिचालन में रखना संभव नहीं हैं । अतः यह अनिवार्य होगा कि ऐसी राज्य सरकारें नए कालेज खोलने के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अधिक कठोर प्रणाली तैयार करे और उसे कड़ाई के साथ लागू करें ।

उच्च शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने हेतु लागू प्रयासों के अलावा ऐसे अनेक विषय है जिनकी ओर राज्य सरकारों को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि उच्च शिक्षा में एक युक्ति-युक्त स्तर सुनिश्चित किया जा सके । इस प्रसंग में प्रमुख समस्याओं में से कुछ इस प्रकार हैं:--

(i) अवर स्नातक पाठ्यक्रम संरचना के ऐसे कार्यक्रमों को जिनके विस्तृत मार्गदर्शी रूपरेखाएं वि०अ०आ० द्वारा परिचालित कर दी गई हैं, तत्परता की भावना से प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया

जाना चाहिए । इसमें पाठ्यचर्या का संशोधन पाठ्य-विषय वस्तु को अद्यतन करना, नई-नई पद्धतियां लागू करना इत्यादि, शामिल होगा । इससे पाठ्यक्रमों को सामान्य गति मिलेगी जो छात्रों के लिए अधिक सार्थक होगी और जो हमारे राष्ट्रीय विकास के उद्देश्यों के अनुकूल होगी ।

(ii) पाठ्यक्रमों की संरचना के एक भाग के रूप में वि०अ०आ० ने प्रथम डिग्री स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में व्यवहारोन्मुख विषयों को लागू करने का सुझाव दिया है । इन प्रस्तावों की स्वीकृति और इनके कार्यान्वयन से स्नातकों के लिए रोजगार सम्भावना में वृद्धि होगी और इससे छात्र समुदाय में किसी हद तक असन्तोष को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकेगा ।

(iii) परीक्षा सुधार दूसरा ऐसा क्षेत्र है जिसकी ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है । परीक्षा सुधारों पर शीघ्रता से पालन करना होगा ताकि विश्वविद्यालय परीक्षाओं के दायित्व और उनकी साख को कायम रखा जा सके । वि०अ०आ० द्वारा सुझायी गई कार्य योजना को गम्भीरता से क्रियान्वित करना होगा ।

(iv) विश्वविद्यालयों और कालेजों के हेतु अनुरक्षण सहायता के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए । ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कुछ विश्वविद्यालयों को उपलब्ध सहायता का वर्तमान स्तर पर्याप्त नहीं है । अतः यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें इस बात को सुनिश्चित करें कि विश्वविद्यालयों और कालेजों की व्यवस्था के लिए पर्याप्त धन दिया जाए ताकि वे शिक्षा के अपेक्षित स्तरों को बनाए रखने की स्थिति में रह सकें ।

(ख) विश्वविद्यालय पद्धति को पुनः सक्रिय बनाने के लिए उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय (शिलांग) के कुलपति डा० बी०डी० शर्मा के सुझाव ।

स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में उच्च शिक्षा में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है । इस समय विश्वविद्यालयों की संख्या 125 और कालेजों की संख्या 5000 से अधिक है जिनमें 27 लाख छात्रों की संख्या है । राष्ट्रीय आवश्यकता और उसकी बुनियादी संरचना के विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ सम्बन्ध पर शिक्षा आयोग द्वारा काफी विचार किया गया है और यही नहीं बल्कि इसे समय-समय पर स्थापित कुछ समितियों ने भी काफी महत्व दिया है । कुछ संरचनाओं और डिजाइनों की जांच भी की जा रही है । किन्तु तथ्य यही रहा है कि काफी आलोचनात्मक पद्धति ऐसे विभिन्न तरीकों में हमारे राष्ट्रीय मंच को कई प्रकार से प्रभावित करती है । जिनमें से कई तरीके गम्भीर चिन्ता के कारण बन जाते हैं । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड विचार कर सकती है ।

(i) विश्वविद्यालय पद्धति का अखिल भारतीय स्वरूप

बहुत सी कमियों के बावजूद स्वतंत्रता पूर्व भारत में विश्वविद्यालयों ने बौद्धिक कार्यकलापों के ऐसे केन्द्रों के रूप में कार्य किया जहां समाज के विभिन्न वर्गों के सम्बन्ध में देश के अलग-अलग भागों के शिक्षा शास्त्री क्रियाशील रहते थे और राष्ट्र के शैक्षिक विकास में योगदान देते थे । कोई भी कुछ ऐसे उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों के नाम बता सकता है जो उनके साथ सहयोजित कुछ पक्के समर्थकों के नामों सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते थे । इनमें से अधिकांश संस्थाओं ने गत वर्षों में भारी ह्रास का सामना किया । आज ऐसे विश्वविद्यालयों की काफी संख्या है इनमें कुछ तो अच्छे उत्तर-स्नातक कालेज के स्तर के भी नहीं हैं । इस दयनीय स्थिति के लिए कुछ तत्व जिम्मेदार हैं जैसे अपर्याप्त सुविधाएं, पूरी तैयारी के बिना संस्थाओं की स्थापना, इन संस्थाओं के समग्र प्रशासन में वास्तविकता का अभाव ।

इन तत्वों में से अधिकांश तो उपचारात्मक हैं । किन्तु स्वतन्त्रता के बाद सबसे घटिया बात जो रही वह है विश्वविद्यालय पद्धति का अखिल भारतीय स्वरूप । जीवन के सभी अन्य क्षेत्रों की तरह प्रत्येक संस्थान हमारे ऊपर उठ रहे विशिष्ट वर्ग की जरूरतों की पहले पूरा करता है उन उद्देश्यों को भूलकर उनके लिए उनकी स्थापना की गई है । इस सन्दर्भ में इस दल के पास उपलब्ध उपायों का प्रयोग उन लाभों के लिए किया जाता हैं जिनके लिए संस्था की स्थापना की गई है अथवा उसके विकास की परिकल्पना की है । अतः विश्वविद्यालयों का चयन जाति तथा धर्म के आधार पर किया जाता है । प्रत्येक विश्वविद्यालय पूरी तरह से उस संस्था के स्नातकों और सीमित क्षेत्रों अथवा किसी वर्ग विशेष के समूहों तक सीमित होता जा रहा है । ये केवल सामान्य ज्ञान के केन्द्र बनकर रह गए हैं ।

जबकि अधिकांश संस्थाओं ने इस सम्बन्ध में कार्य करना बन्द कर दिया है, कुछ अच्छी संस्थाएं किसी दूसरे ढंग से इस प्रक्रिया की अभी भी आगे बढ़ा रही हैं । जो भी इनमें एक बार जाता है, उसे योग्यता, पदोन्नति आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से उसी संस्था में रहना होता है और इस प्रकार विश्वविद्यालय पद्धति में गतिशीलता नहीं रहती । इसके परिणामस्वरूप ये संस्थाएं स्वयं अन्तःप्रजनन की शिकार होती जा रही हैं और उनके प्रारम्भिक उत्साह उनकी अधिक समय तक बने रहने की आशा नहीं है । इस प्रकार हम एक ऐसी स्थिति पर पहुंच गए है जहां विश्वविद्यालय पद्धति पर भारी निवेश के बावजूद भी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो देश में बौद्धिक विकास और शैक्षिक कुशलता के लिए कोई अच्छा

अवसर प्रदान कर सके। यदि आज विकास के अत्यन्त महत्व के अनेक उभरते हुए क्षेत्रों में राष्ट्र में बुनियादी बौद्धिक निवेश की कमी होती हैं तो सामाजिक न्याय पर आधारित तीव्र विकास को प्राप्त करने के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रयासों में आगे चलकर काफी कठिनाइयां आएंगी।

विश्वविद्यालय पद्धति का चयन विश्वविद्यालय पद्धति के अधिकांश सदस्यों के लिए एक बहुत ही रुचिकर समय बिताने का साधन है और इसमें बाहर के हस्तक्षेप के लिए काफी गुंजाइश है। इसके परिणामस्वरूप उनमें सदा ही अशांति बनी रहती है। जो एक बार चयन का अवसर खो देते हैं वे अगले चयन के लिए शोर शराबा मचाना शुरू कर देते हैं। यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय पद्धति को इस संक्रामक से मुक्त किया जाए और शिक्षा अनुसंधान और विस्तार के बुनियादी विषयों पर ध्यान दिया जाए।

विश्व के कुछ सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में ऐसी परंपरा है कि किसी विश्वविद्यालय के स्नातक उसी विश्वविद्यालय में प्रारंभिक प्रवेश स्तर पर नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकते। उन्हें किसी अन्य विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों के रूप में जाना चाहिए। और वे अपनी मूल संस्थाओं में केवल उच्च स्तर पर ही आ सकते है । अपने ही देश में भी जीवन के कई अन्य क्षेत्रों में अखिल भारतीय सेवा और न्यायपालिका जैसी राष्ट्रीय स्वरूप की सेवाओं को बनाए रखने की ऐसी पद्धतियां प्रचलित हैं। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली के स्वरूप को पुनःस्थापित करने का यह सही समय है।

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड भारत सरकार को केन्द्रीय कानून बनाने की यह सलाह दे कि किसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों के रूप में प्रथम प्रवेश के लिए उसी विश्वविद्यालय के स्नातकों की 50 प्रतिशत से अधिक नियुक्तियां नहीं की जाएंगी । दूसरे राज्यों (अथवा राज्यों के एक समूह) तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालय सेवा आयोग की एक श्रृंखला की स्थापना की जाए जिसे सभी स्तरों पर शिक्षकों की भर्ती का कार्य सौंपा जाए ।

(ii) विश्वविद्यालय शिक्षा और सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के बीच सामंजस्य :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय को अपनी उस अवर-स्नातक शिक्षा की पुनःरचना करने की सलाह दी है जिसमें कोर शैक्षिक कार्यक्रम गैर-परम्परागत पाठ्यक्रम और विस्तार पर व्यापक रूप से एक प्रतिष्ठान पाठ्यक्रम शामिल है । कुछ विश्वविद्यालयों में कुछ शुरूआत तो की गई है जो अच्छे परिणाम प्रस्तुत कर रहे हैं ।

तथापि; विश्वविद्यालय शिक्षा का एक पहलू उपेक्षित रहता है अर्थात् विश्वविद्यालय के अध्ययन कमरों में सिखाए जा रहे ज्ञान और सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के वातावरण के बीच सामंजस्य ।

हमारे अधिकांश विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों की स्रोत सामग्री विदेशी और वहां पर विकसित विचार शक्ति से प्रभावित होती हैं । किसी सीमा तक यह अपरिहार्य है क्योंकि ज्ञान की राष्ट्रीय सीमा नहीं होती हैं, और यदि पश्चिमी देशों में नए अनुसंधान और विकास किए जाते हैं हमारे विश्वविद्यालयों को उन्हें वहां से प्राप्त करना होगा। फिर भी, स्थानीय स्थिति की दोनों प्रकार के प्रयुक्त विषयों और राष्ट्रीय विकास के प्रयासों में शैक्षिक दक्षता के अनुसार ही भारी लागत की उपेक्षा की जा सकती है।

एक व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण उस पर निर्भर करता है, जो कुछ वह अध्ययन करता है और जीवन भर उसका उपयोग किया जाता है । इन युवा लोगों के उत्तरदायित्व जब वे निर्णय लेने की स्थिति में पहुंचते हैं शैक्षिक उपलब्धि पर आधारित होते हैं । इनमें से अधिकांश लोग समस्याओं के प्रति पश्चिमी दृष्टिकोण अपनाते हैं जिसके अपरिहार्य दुःखद परिणाम सामने आते हैं । इसका छात्रों के शैक्षिक विकास पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उदाहरण के लिए जब एक अर्थशास्त्र के छात्र को कक्षा में पढ़ाए जा रहे सिद्धान्तों और पद्धति के बीच कोई सामंजस्य प्राप्त नहीं होता है तो उसके वह अनुभव के अभाव में निर्णय देने में असफल रह जाता है । उसका अध्ययन केवल एक बौद्धिक अभ्यास होता है । जिनके प्रति वह आश्वस्त नहीं होता । उसे ऐसी पुस्तक सत्ता को दिया जाता है जो जिज्ञासा—भावना के विपरीत होती है । इससे हमारे छात्र के शैक्षिक विकास में किसी ठोस आधार की व्यवस्था नहीं हो सकती ।

विश्वविद्यालयों से भी एक ऐसे मंच की व्यवस्था करने की आशा की जाती है जहां कुछ ऐसी सामाजिक-आर्थिक मामलों पर विचार किया जा सकता है और जो अन्यथा जाति और धर्म अथवा राजनीतिक दृष्टिकोणों से जुड़े होते हैं। यह विश्वविद्यालय पद्धति में ही है जिसकी वास्तविकता के साथ चर्चा की जा सकती है और उनके निष्कर्ष प्रबुद्ध सार्वजनिक मत के लिए आधार तैयार कर सकते हैं। अतः क्षेत्रीय समस्याओं के साथ शैक्षिक पद्धति के घनिष्ठ सम्बन्ध का अभाव इन संस्थाओं के इस महत्वपूर्ण कार्य को करने से रोकता है। उदाहरण के लिए कुछ मामलों में हानिकारक रूप में ये देश के अनेक भागों में प्रचलित बंधुवा श्रम के रूप में जाना जाता है। फिर भी, यह विषय सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रशासकों के वास्ते चर्चा के लिए छोड़ दिया गया है। शैक्षिक क्षेत्रों में, इसे अभी, तक एक सजीव समस्या नहीं माना गया है, तो भी तथ्य यह है कि बहुत से विश्वविद्यालय ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं जो इस अमानवीय व्यवहार से ग्रस्त हैं।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय से यह सिफारिश करनी चाहिए

कि ऐसे विभिन्न विषयों के लिए पैनल स्थापित किए जाएं जिन पर विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा सके और उसे प्राप्त करने के लिए विश्व-विद्यालयों के लिए मार्गदर्शी रूप-रेखाओं की व्यवस्था की जा सके ।

(III) विश्वविद्यालय डिग्री और रोजगारों का असम्बन्धन, एक शुरूआत

अन्तिम महत्वपूर्ण विषय जिसे मैं बोर्ड के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं वह विश्वविद्यालय पद्धति में बढ़ रही संख्या और इस पर उनका घट रहा प्रभाव है । अवर-स्नातक कक्षाओं की संख्या सैकड़ों तक चली गई है जो अध्यापकों और छात्रों के बीच सार्थक चर्चा के अवसर प्रदान नहीं कर सकता । उन्मुक्त विश्वविद्यालय, पत्राचार पाठ्यक्रमों इत्यादि के माध्यम से कुछ इच्छुक छात्रों का भार कम करने के लिए कुछ उपाय शुरू किए गए हैं । तथापि यह संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है । इस भीड़-भाड़ का बुनियादी कारण विश्वविद्यालय की वह डिग्री है जिस का जीवन की उच्च स्थिति में व्यक्तिगत प्रवेश के लिए होना जरूरी है । इसके लिए भी सामाजिक प्रतिष्ठा की अपेक्षा है । विश्वविद्यालय डिग्री का रोजगारों से सम्बन्ध तोड़ने के प्रश्न पर समय-समय पर विचार किया गया है किन्तु इस सम्बन्ध में कोई ठोस निर्णय नहीं किया जा सका । मैं समझती हूं कि इस सम्बन्ध में आगे और समय नष्ट किए बिना शुरूआत कर देनी चाहिए ।

मैं सार्वजनिक सेवाओं से सम्बन्धित भर्ती के कुछ नवीनतम विकास की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । विभिन्न प्रकार के रोजगारों के लिए आवेदन कर्त्ताओं की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि भर्ती का कार्य साधारणतया एक गैर-प्रबन्धकीय बन गया है और सभी प्रकार की कुप्रथाओं के हालातों को जन्म देता है ।

भर्ती एजेंसियां दूसरी दुविधा का भी सामना करती हैं । यद्यपि विश्वविद्यालय डिग्रियों को कुछ रोजगारों के लिए न्यूनतम अर्हताओं के रूप में निर्धारित किया गया है, तथापि, कुछ ऐसे विश्वविद्यालयों के ठीक वैसे ही प्रमाण-पत्रों पर यकीन करना उनके लिए कठिन हो जाता है जिनके स्तर इतने भिन्न होते हैं कि उनसे कोई अर्थ निकालना असम्भव हो जाता है । बहुत से विश्वविद्यालयों की पहली कक्षा कुछ विश्वविद्यालयों की एक साधारण दूसरी कक्षा के भी समतुल्य नहीं होती । किन्तु कोई भी एजेंसी इस पर कोई औपचारिक दृष्टिकोण नहीं अपना सकती और उन संस्थाओं के आधार पर तब तक कोई भेद नहीं कर सकती जिनसे उम्मीदवारों ने अपनी परीक्षा पास की है जब तक मामला बुरा न बन जाए कि संस्था की डिग्री को ही मान्यता न दी जाए । अतः प्राधिकारियों को अपनी उन परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए बाध्य किया गया है जिनकी जिम्मे-दारी और वैधता अपने आप में होती है । किन्तु यह केवल-मात्र विकल्प है । बहुत-सी प्रतिष्ठित संस्थाओं और व्याव-सायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए भी विशेष प्रतियोगी परीक्षाएं उसी कारणवश लागू करनी होंगी । यह सब विश्वविद्यालयों की डिग्रियों और प्रमाण-पत्रों की निर्थकता का सूचक है। अतः प्रश्न यह उठता है कि यदि अनेक भर्ती की वे समर्थ एजेंसियां, जो अपने निजी तौर पर अब प्रति-योगी परीक्षाओं का आश्रय ले रही हैं, रोजगारों में जाने के लिए आवश्यक अर्हता के रूप में यदि डिग्री को हटा दिया जाए तो क्या इससे कोई अन्तर सामने आएगा । यह भी तर्क दिया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में संख्या में आगे वृद्धि होगी और भर्ती का कार्य और अधिक कठिन बन जाएगा । इस बात की गहन अध्ययन करके जांच करने की आवश्यकता है ।

संघ लोक सेवा आयोग ने अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के लिए दो-स्तरीय परीक्षा को बढ़ावा दिया है क्योंकि उन्हें उन सेवाओं में प्रविष्टि के लिए डिग्री की न्यूनतम अर्हता के बावजूद अपनी परीक्षाओं में बढ़ रही संख्याओं की समस्या का सामना करना पड़ता है :— अब एक प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जाती है जिसमें उद्देश्यपूर्ण जांच करके उम्मीदवारों को चुना जाता है । और उनकी एक लघु सूची तैयार की जाती है जिन्हें व्यापक परम्परागत परीक्षा देनी होती है ।

प्रारम्भिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की संख्या इस समय एक लाख अथवा इसके लगभग है । प्रारम्भिक परीक्षा के आयोजन और अंकन प्रक्रिया को अब धारावाहिक कर दिया गया हैं ताकि जांच तकनीक में नवीनतम सुधारों, कम्प्यूटरों इत्यादि के प्रयोग का लाभ उठाया जा सके । इससे उम्मीदवारों की अत्यधिक संख्या होने के बावजूद भी परिणाम इस समय अधिक सन्तोषजनक हैं ।

यह स्पष्ट है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए प्रारम्भिक परीक्षा में उम्मीदवारों की संख्या अनुपात में स्नातकों की उस कुल संख्या से कुछ ही कम है जो विश्व-विद्यालय पद्धति से उत्तीर्ण होते हैं उनमें से अधिकांश इसे एक अवसर मानकर ही छोड़ देते है क्योंकि वे जानते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं होगा और साथ ही वे यह भी जानते हैं कि प्रारम्भिक परीक्षा में पास होना कोई आसान कार्य नहीं है । हमें इस पर विचार करना चाहिए कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए एक न्यूनतम आवश्यकता के रूप में यदि डिग्री को हटा दिया जाए तो उसका क्या परिणाम होगा । प्रारम्भिक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या आंशिक रूप से ही बढ़ सकती है और यदि संख्या फिर भी काफी बढ़ती है तो इस पद्धति को इस प्रकार तैयार की जाए कि यह काफी बड़ी संख्या का संचालन कर सके और प्रारम्भिक परीक्षा की अनुभूची में भी इससे कोई बाधा न पहुंचे । कुछ गैर-स्नातक छात्र अपनी योग्यता के आधार पर इस छांटन पद्धति के माध्यम से उत्तीर्ण होने में

सक्षम हो सकते हैं और वे अन्तिम परीक्षा दे सकते हैं। जबकि इससे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती पद्धति पर किसी भी तरह कोई प्रभाव न होगा, बल्कि यह देश में प्रतिष्ठा के अधिकांश पदों के लिए प्रवेश आवश्यकता से डिग्री को हटाने से अधिक लाभदायक सेवा होगी। विश्व-विद्यालय पद्धति में प्रवेश स्तर पर इसका प्रभाव धीरे-धीरे अनुभव किया जाएगा क्योंकि विश्वविद्यालय डिग्री से सम्बद्ध यह प्रतिष्ठा हट जाएगी।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को भारत सरकार से यह सिफारिश करनी चाहिए कि वह रोजगारों के मामलों में विश्वविद्यालय डिग्री को हटाने के प्रश्न पर विचार करें। उन अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय डिग्री की न्यूनतम अहर्ता को हटाकर शुरूआत की जा सकती है जिनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की जाती है।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D-8896
DOC, No.....
Date 20-10-95

NIEPA DC
D08896

प्र० भा० स० मु० रि०रो०, नई दिल्ली—6 ई एण्ड सी/83—VI—2-6-83—200